मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 24 अंक : 02

(विशेषांक)

5 अक्टूबर 2023

इस दशहरा, मिटेगी बुराई, जीतेगा सत्य

क्या खत्म होगा भूपेश बघेल के अत्याचार और भ्रष्टाचार का खेल

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
विशेष संवाददाता	अर्चना शर्मा

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

आवरण-कथा

इस दशहरा, मिटेगी बुराई, जीतेगा सत्य

क्या खत्म होगा भूपेश बघेल के अत्याचार और भ्रष्टाचार का खेल

(पृष्ठ क्र.-6)

Declare hamas war criminals

Page No. 69

विजया:)

इजरायल पर हमले से एक बार फिर विश्व दो गुटों में बंटा

यूक्रेन-रूस युद्ध अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हो पाया था कि इजरायल-फिलिस्तीन ने एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस्लामी आतंकी संगठन हमास के बढ़ते हमले और क्रूरता देखते हुए दुनिया भर के देशों ने हमास की कड़े शब्दों में निंदा व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि यदि यह युद्ध अधिक समय तक खिंचता है तो दुनिया एक बार फिर दो भागों में बंट जायेगी। क्योंकि इजरायल पर हमास के हमले पर कुछ देश समर्थन में हैं तो कुछ देश इसके विरोध में हैं। जहां तक भारत की बात की जाये तो वह इजरायल के साथ है और हमले की निंदा कर इजरायल के साथ खड़ा है। भारत ने इजरायल को भरोसा दिलाया है कि वह इजरायल के साथ खड़ा है।

वहीं बात अमेरिका बात की जाये तो अमेरिका की कोशिश है कि मध्य-पूर्व में स्थायी शांति के लिए इजराइल और सउदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य हो जाए। वो बीते कई सालों से सउदी अरब और यूएई समेत मध्य-पूर्व में अरब मुल्कों के साथ इजराइल से रिश्ते कायम करने की कोशिश में है। इस कोशिश में 2020 में यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए थे। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से हुए इस शांति समझौते को 'सदी का समझौता' कहा गया था। अमेरिका इसमें सउदी अरब को भी लाने की कोशिश में था, लेकिन सउदी पत्रकार जमाल खाशोज्जी की हत्या के बाद अमेरिका और सउदी अरब के रिश्ते बिगड़े और अमेरिका की ये कोशिश एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई। जुलाई 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सउदी अरब के आधिकारिक दौरे पर गए, जिसके बाद इसे लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हुई। हालांकि बातचीत धीमी गति से चली क्योंकि फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल के रूख में बदलाव न आने की दलील देकर सउदी अरब रिश्ते सामान्य करने की इस कोशिश में बातचीत रोकता रहा। जहां भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे समेत कई देश इसराइल के समर्थन में आते दिख रहे हैं, वहीं ईरान, कतर, पाकिस्तान जैसे मुल्कों ने फिलिस्तीन के लिए सहानुभूति ज़ाहिर की है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने फिलिस्तीन को दी जा रही मदद बंद करने की बात की है। कई मुल्कों ने गाज़ा पर इजराइल के कड़ी जवाबी कार्रवाई को लेकर को इजराइल से कहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन न करे। स्पेन, लक्सम्बर्ग और फ्रांस ने कहा है कि इन हालातों में आम फिलस्तीनी नागरिकों के लिए मदद बेहद ज़रूरी है।

खैर, युद्ध के मौजूदा हालातों पर नजर डालें तो लगता है कि यह युद्ध और खिंचने वाला है और हालात और बिगड़ने वाले हैं। इजरायल ने अपने हमले और तेज कर दिये हैं और काफी जानमाल का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जिन देशों के नागरिक वहां फंसे हैं, उन्हें निकालना प्राथमिकता है। इस दिशा में भारत ने भी प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। इज़रायल और फिलिस्तीन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय अपना काम करेगा। रूस-यूक्रेन युद्ध के समय भी भारत ने इसी तरह की तत्परता दिखाई थी। सूडान संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत ने अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाया था। इसमें देश के जांबाजों ने केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं, बल्कि दूसरे देश के नागरिकों को भी वहाँ से निकाला था। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार विशेष चार्टर्ड उड़ानों के जरिए भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। दरअसल इजरायल में 18 हजार भारतीय रहते हैं। इनमें नौकरी करने वालों से लेकर व्यापारी भी शामिल हैं। उच्च अधिकारियों का कहना है कि भारत ने गाजा सहित इज़रायल और फिलिस्तीन में फँसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए आकस्मिक तौर पर योजनाएं शुरू की है।

विजया पाठक

इस दशहरा, मिटेगी बुराई, जीतेगा सत्य

क्या खत्म होगा भूपेश बघेल के अत्याचार और भ्रष्टाचार का खेल

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण चुनावी वर्ष में चौतरफा घिरती नज़र आ रही है। एक के बाद एक उजागर हो रहे घोटालों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संलिप्तता लगभग हर घोटाले में नजर आ रही है। पिछले लगभग ०५ वर्ष के शासनकाल में घोटालों की फेहरिस्त इतनी लंबी हो गई है कि केन्द्रीय जांच एजेंसियों को एक साथ कई घोटालों की जांच साथ-साथ करनी पड़ रही है। प्रवर्तन निदेशालय लगातार राज्य में डेरा डालकर घोटालों की परतें खोल रहा है। और रोज नए-नए कारनामें उजागर हो रहे हैं। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव आनलाईन सट्टा घोटाला, पीएससी घोटाला, डीएमएफटी, गोठान घोटाला आदि प्रमुख घोटाले हैं, जिसके तार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से भी जुड़ रहे हैं। इन घोटालों की तह तक जाने पर पता चल रहा है कि इनमें मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर उच्च अधिकारियों का, जो सीएम भूपेश बघेल के चहेते हैं, सीधा संबंध है। इन सब घोटालों और भ्रष्टाचार के असली मास्टरमाईड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हैं जिन्होंने अपने चहेतों को घोटाले और भ्रष्टाचार करने की शह दी। अब इन घोटालों में फंसे ज्यादातर अधिकारी जेल के अंदर हैं, कुछ जमानत पर हैं और कुछ पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मुख्यमंत्री की शह पर इनके चहेते अफसरों ने हमर छत्तीसगढ़ को छलनी कर दिया है। छत्तीसगढ़ को लूटने वाली चांडाल चौकड़ी (सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर) के बाद अब मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा भी ईडी की जद में आ गए हैं। विनोद वर्मा सिर्फ मुख्यमंत्री के सलाहकार ही नही हैं बल्कि सीएम के रिश्तेदार भी हैं। सीएम के साथ अश्लील पोर्न वीडियो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। इसके साथ ही अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया, अनवर ढेबर, विजय भाटिया, मनीष बंछोर, रानू साहू, सूर्यकांत, विनोद वर्मा, समीर विश्नोई, आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा और अभिषेक माहेश्वरी जैसे अनेक अफसर हैं जो भूपेश के अनैतिक पुलिसिया कार्यवाही को अंजाम देने वाले खास अफसर हैं। जिन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शह पर भ्रष्टाचार/घोटाले कर प्रदेश को कंगाल कर दिया है और सरकारी योजनाओं को कमीशन का अड्डा बना दिया है। इन सब अफसरों के कारण ही प्रदेश में इतने बड़े-बड़े घोटाले अंजाम तक पहुंचे हैं। कहा भी जाता है कि छत्तीसगढ़ का शासन मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं मुख्यमंत्री के चहेते अफसरों के हाथों में है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद यह पहला मौका है जब सत्ताधारी दल के नेताओं और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों ने खुलेआम घोटालों/भ्रष्टाचारियों की झड़ी लगा दी हो। इसके बावजूद भी सरकार और उसकी वैधानिक एजेंसियों हाथ पर हाथ धरे बैठी हों। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरे कुनबे ने अपनी एक अलग सरकार बना ली है। जो घोटाले और भ्रष्टाचार के फैसलों पर मुहर लगाती है। अब जब धीरे-धीरे कर सभी ईडी की गिरफ्त में आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी इन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के दर्जनों आईएएस-आईपीएस अफसर ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। जिन पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। इन अफसरों ने भी जमकर भ्रष्टाचार किया है। कहा जा सकता है कि बीते पांच साल राज्य में भय-भ्रष्टाचार और अत्याचार के रहे। जिसमें जमकर घोटाले हुए और जमकर अत्याचार भी हुए। अब यह समय चुनाव का है। अब जनता भूपेश सरकार से पिछले पांच साल का हिसाब-किताब मांगने को तैयार है। वहीं भूपेश सरकार भी जनता के बीच जाने में हिचकिचायेंगी। क्योंकि जिन वादों और मुददों को लेकर कांग्रेस २०१८ में सत्ता में आयी थी उन वादों को भूपेश सरकार पूरा नहीं कर पायी है। पिछले पांच साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को हर एक मामले में गर्त में पहुंचा दिया है। किसानी, बेरोजगारी मुख्य समस्या बनकर उभरी है। बड़ा सवाल कांग्रेस आलाकमान के सामने यह है कि चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आती भी है तो क्या वह ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनायेगी जिसको चुनाव बाद निश्चित तौर पर गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

विजया पाठक

जहां तक प्रदेश के सबसे बहुचर्चित महादेव ऐप घोटाले की बात की जाये तो वर्तमान में पूरे देश में इस घोटाले की गूँज सुनाई दे रही है। ईडी इस मामले में प्रतिदिन नए-नए खुलासे कर रही है। देश भर में ईडी छापा मार रही है और नई-नई जानकारियां मिल रही हैं। महादेव ऐप के तार अब पूरे देश में फैल चुका है देश के हर राज्य में इसका नेटवर्क खड़ा हो चुका है और कुल घोटाला 20 हजार करोड़ से ऊपर का हो चुका है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 04 आईपीएस भी इस ऐप घोटाले में ईडी की रडार पर हैं। महादेव ऐप को लेकर एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, अनिल दम्यानी, सुनील दम्यानी, सतीश चंद्राकर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी के मुताबिक चंद्रभूषण वर्मा की गृह विभाग में पुलिस से लेकर आईपीएस अफसरों के तबादलों में बड़ी भूमिका रहती थी। सूत्रों का कहना है कि ईडी की कार्यवाही में भूपेश बघेल के पुत्र बिट्टू का भी नाम आ

पिछले दिनों भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल का वीडियो वायरल हुआ। इससे पहले भी वह भगवान राम के बारे में अपयश फैलाते रहे हैं, पर इस बार उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि क्या आप ब्राम्हणों के खिलाफ है तो उन्होंने सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों की पोस्टिंग दूर-दराज के क्षेत्रों में किया है। यह भूपेश केबिनेट के मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप भूपेश के पिता ने लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने ब्राम्हणों को बाहरी बताया। सवाल यह उठता है कि जो राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी ब्राम्हण कहते हैं, भूपेश के पिता द्वारा उनको गाली देने के लिए भूपेश गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देते। वास्तव में पिता पुत्र मिले हुये हैं।

आदिवासी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी बाकी सब हैं बाहरी

छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान में पिछले पांच साल से नही दिया भूपेश बघेल ने आदिवासी व संस्कृति को सम्मान, तीजा-पोरा तो मनाते हैं, बोरा-बासी खाते हैं पर आदिवासियों के देव पूजा, हरियाली अमावस्या और ग्यारस को नही मिला छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान में स्थान

आदिवासियों के त्यौहारों को भूपेश बघेल ने रखा छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान से बाहर, पिछले 5 साल से धूमधाम से नहीं बनाया भूपेश ने आदिवासियों के त्यौहार

राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी वहां के आदिवासी समाज हैं। इसके अलावा सारे समाज बाहर से आये विस्थापित हैं जो प्रदेश में रच-बस गये हैं। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मनवा कुर्मी क्षत्रीय समाज गुजरात से विस्थापित होकर आये थे। प्रदेश में आदिवासी आबादी 32 प्रतिशत के लगभग है जिसमें गोंड, बेगा, मुरिया, कोलवा, कोल एवं अन्य आदिवासी समाज प्रदेश के मूल निवासी हैं। आदिकाल से यह समाज वहां रचा-बसा हुआ है। भूपेश बघेल ने पिछले पांच साल में छत्तीसगढ़ गौरव का खूब प्रचार-प्रसार किया, पर इस स्वाभिमान में आदिवासियों को कोई स्थान नही मिला। भूपेश बघेल फर्राटेदार छत्तीसगढ़िया बोलते हैं पर प्रदेश में 22 प्रतिशत बोले जानी वाली गोंडी भाषा इस छत्तीसगढ़ गौरव में नही रखा गया। आलम यह है कि भूपेश बघेल अपने त्यौहार जैसे तीजा-पोरा के साथ बोरा-वासी अपनी संस्कृति के हिसाब से खूब प्रमोट करते हैं बल्कि प्रदेश के हर आईएएस, आईपीएस, कांग्रेस नेता बोरा-वासी खाते हुए फोटो-वीडियो खिंचाने का कोई मौका नही छोड़ते हैं पर यही भूपेश बघेल ने पौने पांच सालों में आदिवासी त्यौहारों और संस्कृति को इस गौरव में कोई स्थान नही दिलवाया है। आदिवासियों के प्रमुख त्यौहार जैसे देव पूजा, ग्यारस, हरियाली अमावस्या को मनाते हुए फोटो सेशन या इवेंट नही बनाया है। ऐसे में जब प्रदेश में आदिवासी आबादी 32 प्रतिशत है जिसमें से गोंड आदिवासी 22 प्रतिशत है तो क्यों नही राहुल गांधी और कांग्रेस 2023 के लिये आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित कर दे। पिछले पांच सालों की उपेक्षा से आहत हुए प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने बुझे मन से कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी एवं इस चुनाव में 52 सीटों पर आदिवासी समाज के केंडिडेट खड़े करने वाले हैं। आज कांग्रेस में दीपक बैज, मोहन मरकाम, नंद कुमार साय एवं कवासी लकमा जैसे दिग्गज आदिवासी नेता हैं तो उनमें से ही एक को मुख्यमंत्री के रूप में राहुल गांधी घोषणा कर दें। पिछले पांच साल के भूपेश राज में आदिवासियों को अपमान ही झेलना पड़ा है। आदिवासियों के खानपान और बोली को छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान से बाहर रखा।

सकता है क्योंकि ईडी की चार्जशीट अब तक टॉप बॉस की तरफ इशारा करती रही है। इसके साथ सीएम के दो ओएसडी, विजय भाटिया और मनीष बंछोर के यहां भी ईडी का छापा पड़ा है। क्योंकि ईडी ने इस बार भूपेश बघेल के करीबी और स्टॉफ को

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्यों डरे हैं जातीय जनगणना से?

प्रदेश में ओबीसी वर्ग से साहू समाज की आबादी 15 से 17 प्रतिशत है, ताम्रध्वज साहू हैं सबसे बड़े नेता

कांग्रेस एवं इंडिया एलायंस जाति जनगणना को अपना तुरूप का इक्का मानकर चल रहा है। पर छत्तीसगढ़ में इस जनगणना के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वह है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में ओबीसी की जनसंख्या 40 से 45 प्रतिशत है जिसमें साहू, यादव, धोबी, तेली, मनवा कुर्मी, क्षेत्रीय समाज एवं अन्य हैं। आबादी के हिसाब से देखा जाये तो इनमें सबसे ज्यादा 15 से 17 प्रतिशत साहू समाज की आबादी है इसके बाद यादव समाज आता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मनवा कुर्मी क्षत्रीय समाज से आते हैं जिसकी आबादी प्रदेश में 3 प्रतिशत तक है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना से पीछे हटते इसलिये नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछड़ी जातियों में उनकी जाति का वोट शेयर केवल 3 प्रतिशत के लगभग है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में साहू समाज के सबसे बड़े नेता ताम्रध्वज साहू प्रतिनिधित्व करते हैं और इस समाज का वोट शेयर 15 से 17 प्रतिशत तक है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना होती है और ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो सबसे मजबूत दावा प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज में आने वाले साहू समाज के ताम्रध्वज साहू का बनता है। आबादी के हिसाब से चरणदास महंत के समाज की जनसंख्या भी ओबीसी वर्ग में कम नहीं है। भूपेश बघेल जो मनवा कुर्मी क्षत्रीय समाज से आते हैं अगर पिछड़ों की राजनीति का कार्ड खेला गया तो पिछड़ों की राजनीति में पिछड़े ही नजर आयेंगे भूपेश बघेल। क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा साहू समाज की आबादी है तो हक मुख्यमंत्री पद पर उनका बनता है।

निशाना बनाया है।

छत्तीसगढ़ के 2100 करोड़ के शराब घोटाले और कोयला परिवहन घोटाले को लेकर भी ईडी एक्शन मोड में है। ईडी प्रदेश में छापे की कार्यवाही कर रही है। इन दोनों मामलों में ईडी अब तक दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें आईएएस समीर विश्नोई, रानू साहू, सौम्या चौरसिया सहित मुख्यमंत्री के कुछ करीबी नेता भी शामिल हैं। दरअसल, प्रदेश में अवैध शराब कार्टेल 2019 से चलाया जा रहा है। जिसे अनिल टुटेजा, अरूण पति

पिछड़ों की राजनीति में पिछड़ते नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल

त्रिपाठी, निरंजन दास और अनवर ढेबर मिलकर चला रहे थे। अब इस घोटाले पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जहां तक अनिल टुटेजा की बात की जाये तो यह शराब घोटाले में ईडी की रडार पर है। टुटेजा ही वह व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और उन्हें झूठे मुकदमो में फंसाते हैं। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत के जेल जाने के बाद विनोद

1 डीएमएफटी घोटाला

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का 10 हजार करोड़ का डीएमएफटी घोटाला

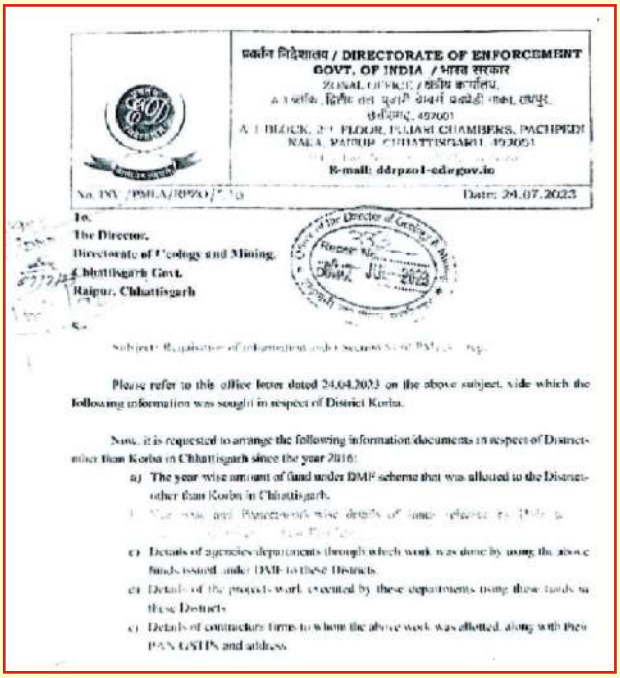

प्रवर्तन निदेशालय / DIRECTORATE OF ENFORCEMENT
GOVT. OF INDIA / भारत सरकार
ZONAL OFFICE / क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़, 492001
A-1 BLOCK, 2nd FLOOR, PUJARI CHAMBERS, PACHPEDI NAKA, RAIPUR, CHHATTISGARH, 492001
E-mail: ddrpzo1-ed@gov.in

Date: 24.07.2023

To,
The Director,
Directorate of Geology and Mining,
Chhattisgarh Govt.
Raipur, Chhattisgarh

Please refer to this office letter dated 24.04.2023 on the above subject, vide which the following information was sought in respect of District Korba.

Now, it is requested to arrange the following information/documents in respect of Districts other than Korba in Chhattisgarh since the year 2016:

a) The year wise amount of fund under DMF scheme that was allotted to the Districts other than Korba in Chhattisgarh.

c) Details of agencies/departments through which work was done by using the above funds issued under DMF to these Districts.

d) Details of the project/work executed by these departments using these funds in these Districts.

e) Details of contractors firms to whom the above work was allotted along with their PAN/GSTIN and address.

That vide notification no. F 7-47/2015/XII dated 2nd January 2016, the State Government constituted the District Mineral Foundation Trusts in all the Districts along with Designation of Trustees appointed in the District Mineral Foundation Trusts. The notification shall be deemed to have come into force on 12.01.2015.

That, as of October 2022, the total amount collected in the DMFT is Rs. 10,001.56 Crore. The mineral wise amount is reproduced below:-

State	Amount Collected in respect of Coal & Lignite	Amount Collected in respect of Major Minerals (Other than coal and lignite)	Amount Collected in respect of Minor Minerals	Total amount collected under DMFT
Chhattisgarh	4732.28	4972.21	297.07	10001.56

That, thereafter on 17.07.2017 Department of Mining, Government of Chhattisgarh issued a letter to all the District Collector cum Chairperson DMFT regarding the directives for implementation of DMFT Funds which is done in the minutes of review committee.

That, inspite of the clear direction District Mineral Foundation Trust Korba has neither made any monitoring committee nor evaluating committee. This has led to massive expenditure not meeting the objectives of the DMFT and PMKKKY scheme thereby defeating the very purpose of the Trust meant for welfare and benefit of the mining affected communities who do not have means to substantiate their livelihoods in the mining regions.

इस मामले में हाईकोर्ट में 16 कलेक्टरों को नोटिस दिया है। निश्चित तौर पर आगे जाकर इन अधिकारियों पर निलंबन सहित अन्य कार्यवाही भी होगी।

भूपेश बघेल के नेतृव में छत्तीसगढ़ को पूरे देश के सामने भ्रष्टाचार के कलंक का सामना करना पड़ रहा है। चाहे अवैध कोल लेवी घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, गोठान घोटाला, महादेव एप सट्टा घोटाला के बाद अब भूपेश राज में डीएमएफटी घोटाला सामने आया है। दरअसल डीएमएफ जिसे डिस्ट्रिक्ट माईनिंग फंड कहा जाता है उसका दुरूपयोग एवं आवंटन नियम विरूद्ध तरीके से किया गया था। जिला खनिज न्यास के कोष पर भी भूपेश बघेल और उसकी चांडाल चौकड़ी की नज़र पड़ गई। जैसे बिलासपुर जिले के डीएमएफटी के फंड से वर्ष 2018-19 में युवा जागृति मंच रायपुर को 01 करोड़ 44 लाख 28 हजार 750 रूपये हस्तांतरित किये गये। इसके साथ वर्ष 2019-20 में इसी संगठन को 02 करोड़ 88 लाख 57 हजार 500 रुपये हस्तांतरित किये, जो कि वर्ष 2020-21 में 04 करोड़ 32 लाख 86 हजार 250 रूपये हस्तांतरित किये गये। करीब-करीब तीन वित्तीय वर्षों में इस संगठन को सवा आठ करोड़ के

वर्मा, आरिफ शेख और अनिल टुटेजा ही सरकार चला रहे हैं। हालांकि विनोद वर्मा और टुटेजा को अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट में स्टे दे रखा है। यह वहीं अनिल टुटेजा हैं, जो छत्तीसगढ़ इतिहास के सबसे बड़े और चर्चित नान घोटाले के कर्ताधर्ता हैं, लेकिन इस समय भूपेश राज में मलाईदार पदों पर बैठकर खूब मलाई खा रहे हैं।

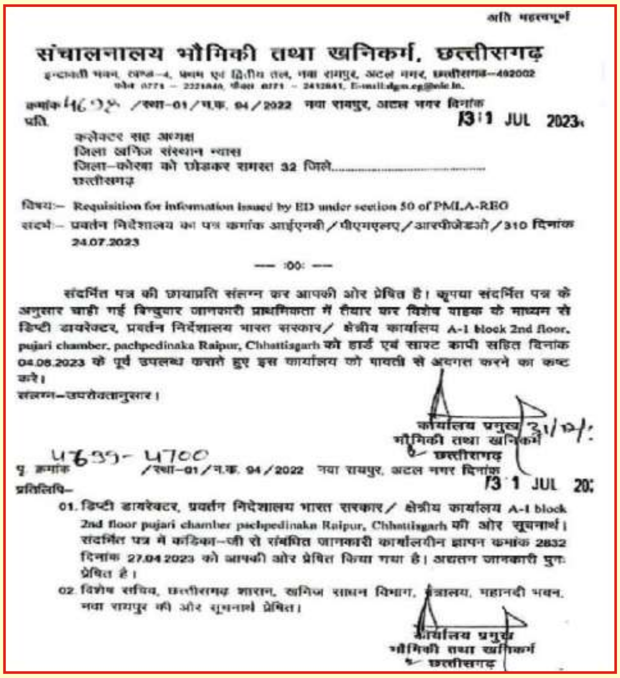

अति महत्वपूर्ण

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लाक-4, प्रथम एवं द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़-492002
फोन 0771 - 2221840, फैक्स 0771 - 2412841, E-mail:dgm.cg@nic.in.

क्रमांक 4698 /स्था-01/न.क. 94/2022 नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 JUL 2023

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला-कोरबा को छोड़कर समस्त 32 जिले..........
छत्तीसगढ़

विषय:- Requisition for information issued by ED under section 50 of PMLA-REO

संदर्भ:- प्रवर्तन निदेशालय का पत्र क्रमांक आईएनवी/पीएमएलए/आरपीजेडओ/310 दिनांक 24.07.2023

--- :00: ---

संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। कृपया संदर्भित पत्र के अनुसार चाही गई बिन्दुवार जानकारी प्राथमिकता में तैयार कर विशेष वाहक के माध्यम से डिप्टी डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय A-1 block 2nd floor, pujari chamber, pachpedinaka Raipur, Chhattisgarh को हार्ड एवं सास्ट कापी सहित दिनांक 04.08.2023 के पूर्व उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को पावती से अवगत करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

कार्यालय प्रमुख 31/7/
भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक 4699-4700 /स्था-01/न.क. 94/2022 नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 JUL 20

प्रतिलिपि-

01. डिप्टी डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय A-1 block 2nd floor pujari chamber pachpedinaka Raipur, Chhattisgarh की ओर सूचनार्थ। संदर्भित पत्र में कंडिका-जी से संबंधित जानकारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 2832 दिनांक 27.04.2023 को आपकी ओर प्रेषित किया गया है। अद्यतन जानकारी पुनः प्रेषित है।
02. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय प्रमुख
भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़

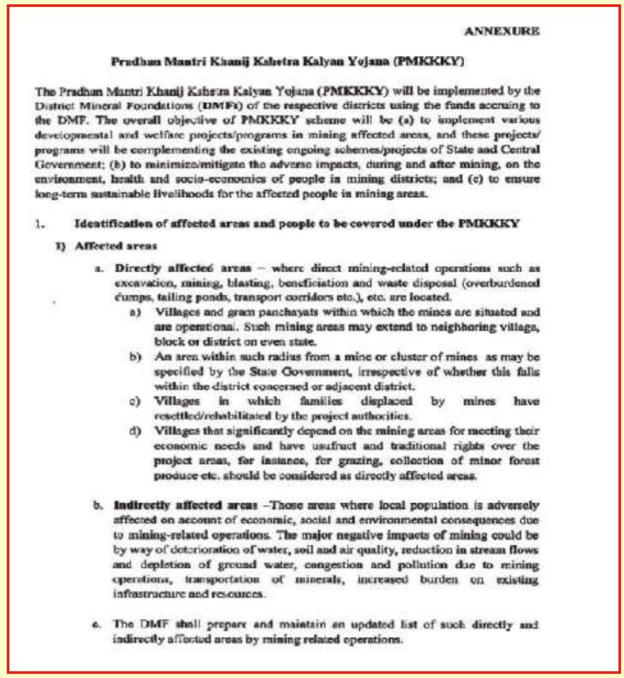

ANNEXURE

Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY)

The Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) will be implemented by the District Mineral Foundations (DMFs) of the respective districts using the funds accruing to the DMF. The overall objective of PMKKKY scheme will be (a) to implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas, and these projects/ programs will be complementing the existing ongoing schemes/projects of State and Central Government; (b) to minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts; and (c) to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.

1. **Identification of affected areas and people to be covered under the PMKKKY**

I) **Affected areas**

a. **Directly affected areas** – where direct mining-related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal (overburdened dumps, tailing ponds, transport corridors etc.), etc. are located.
   a) Villages and gram panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighboring village, block or district on even state.
   b) An area within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State Government, irrespective of whether this falls within the district concerned or adjacent district.
   c) Villages in which families displaced by mines have resettled/rehabilitated by the project authorities.
   d) Villages that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project areas, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc. should be considered as directly affected areas.

b. **Indirectly affected areas** –Those areas where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining-related operations. The major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources.

c. The DMF shall prepare and maintain an updated list of such directly and indirectly affected areas by mining related operations.

ईडी द्वारा शासन को लिखे पत्र के बाद छत्तीसगढ़ खनिज विभाग द्वारा मांगा गया डीएमएफटी फंड की जानकारी। माइंस एण्ड मिनरल एक्ट 2015 पीएमकेकेकेवाय योजना का गजट पत्र

लगभग दिये गये। युवा जागृति मंच रायपुर एक एनजीओ संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर- 25689 है एवं वर्ष 1993 से संचालित हो रहा है एवं इसके अध्यक्ष सुरेश चंद्र जैन स्वाति कोठारी हैं। फंड ऑडिट रिपोर्ट अनुसार अन यूटीलाईजेशन फंड के रूप में दर्शाया गया है। जबकि केन्द्र सरकार योजना अनुसार प्रतिवर्ष किये गये कार्य की समीक्षा रिपोर्ट उसी वित्तीय वर्ष में दर्शाया जाना चाहिए। यह सिर्फ उदाहरण भर है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएमएफटी फंड को राज्य के किसी अन्य मद में खर्च नही किया जा सकता। इसका उपयोग केवल खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिये किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि डीएमएफटी फंड का अध्यक्ष जिले का कलेक्टर होता है तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई या किसके कहने पर जिले के कलेक्टरों ने इस मद का अनैतिक उपयोग किया। ऐसा ही एक किस्सा डीएमएफटी बस्तर के वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट फीस 32 लाख 36 हजार 993 रूपये के रूप में खर्च किये गये। जबकि ऐसी फीस के लिये डीएमएफटी रायपुर ने 15,000 हजार रूपये खर्च किये। प्रदेश में जिला खनिज न्यास मद डीएमएफ में हर साल करीब 5 सौ करोड़ की राशि मिलती है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के राज में इस फंड का बेजा इस्तेमाल किया है। ईडी द्वारा इस मामले की जांच करने के बाद करीब-करीब 16 जिलों के कलेक्टरों की हवाईयां उड़ी हुई हैं। डीएमएफटी घोटाले पर एक रिट पिटीशन बिलासपुर हाईकोर्ट में लग चुकी है। निश्चित तौर पर इस घोटाले के कारण 16 से 20 आईएएस अधिकारी नपे जायेंगे। सवाल यह उठता है कि ऐसा बेजा गलत फंड का इस्तेमाल इन अधिकारियों ने अपने किस राजनैतिक आकाओं के कहने पर किया। कोरबा जिले में ही वर्ष 2019 से अब तक 1200 करोड़ से ज्यादा का फंड का दुरूपयोग किया जा चुका है। जनहित का नाम लेकर फिजूलखर्ची की गई। आलम यह है कि खरीदी

अब बात करते हैं प्रदेश के पीएससी घोटाले की। यह ऐसा घोटाला है जिसने प्रदेश के हजारों नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया है। इस घोटालों की सच्चाई जब सामने आयी तो लोगों के पैरों के नीचे की जमीन धसक गई। कैसे एक ही परिवार के पांच-पांच सदस्यों का उच्च पदों पर सिलेक्शन हो गया। कैसे कांग्रेस नेताओं के पुत्रों-बहुओं का उच्च पदों पर सिलेक्शन हो

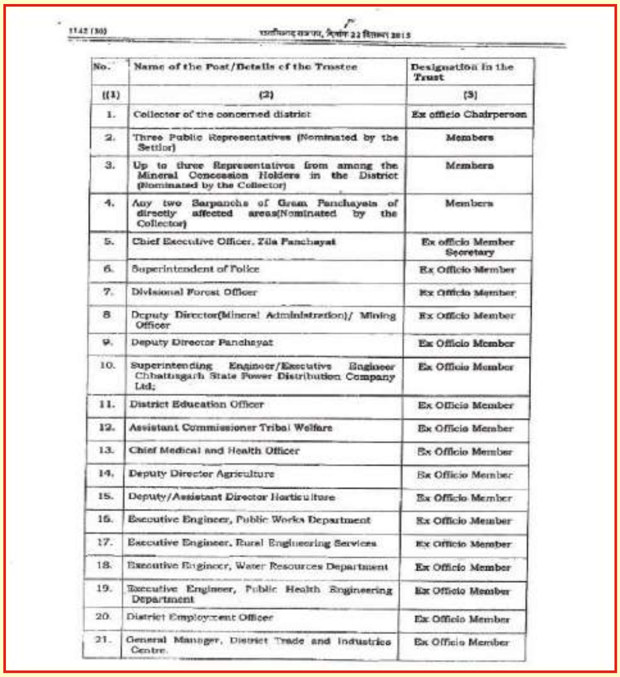

1142 (30) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2015

No.	Name of the Post/Details of the Trustee	Designation in the Trust
(1)	(2)	(3)
1.	Collector of the concerned district	Ex officio Chairperson
2.	Three Public Representatives (Nominated by the Settlor)	Members
3.	Up to three Representatives from among the Mineral Concession Holders in the District (Nominated by the Collector)	Members
4.	Any two Sarpanchs of Gram Panchayats of directly affected areas(Nominated by the Collector)	Members
5.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Ex officio Member Secretary
6.	Superintendent of Police	Ex Officio Member
7.	Divisional Forest Officer	Ex Officio Member
8	Deputy Director(Mineral Administration)/ Mining Officer	Ex Officio Member
9.	Deputy Director Panchayat	Ex Officio Member
10.	Superintending Engineer/Executive Engineer Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd;	Ex Officio Member
11.	District Education Officer	Ex Officio Member
12.	Assistant Commissioner Tribal Welfare	Ex Officio Member
13.	Chief Medical and Health Officer	Ex Officio Member
14.	Deputy Director Agriculture	Ex Officio Member
15.	Deputy/Assistant Director Horticulture	Ex Officio Member
16.	Executive Engineer, Public Works Department	Ex Officio Member
17.	Executive Engineer, Rural Engineering Services	Ex Officio Member
18.	Executive Engineer, Water Resources Department	Ex Officio Member
19.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department	Ex Officio Member
20.	District Employment Officer	Ex Officio Member
21.	General Manager, District Trade and Industries Centre.	Ex Officio Member

शिक्षा विभाग ने कहा- जो मिला वह भेजा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यानिकी और एसई ट्रायबल की नींद उड़ी

डीएमएफ: विभागों ने फूंक दिए करोड़ों, अब ईडी के पत्र पर जवाब दे रहे... फाइलें गायब हैं

पत्रिका न्यूज़ पंच

ब्यौरा देने में छूट रहे पसीने

इन चार विभागों पर ईडी की विशेष नजर

किस विभाग को कितना फंड मिला

रहने वाला कोई नहीं, यमून हॉस्टल के लिए खरीद लिए फर्नीचर

पंचायतों में इंजीनियर नहीं और एजेंसी बनाकर करोड़ों दे दिए

एक भी जांच परवान नहीं चढ़ी

ऍएमएफटी ट्रस्ट में शामिल अधिकारियों की सूची जिसमें कलेक्टर इस ट्रस्ट का अध्यक्ष होता है।
डीएमएफ फंड में हुये भ्रष्टाचार की फाईले गायब करवा दी गई है।

के दस्तावेज ही गायब करवा दिये गये। डीईओ सतीश पाण्डेय के कार्यकाल के दौरान की खरीदी के दस्तावेज गायब पाये गये, जब कलेक्टर ने जांच के आदेश दिये पर कोई जांच नही होना पाया गया। हालत यह है कि पिछले एक साल से डीएमएफटी के पोर्टल अपडेट ही नही हुये हैं। भ्रष्टाचार का पैमाना भूपेश राज में इस कदर आसमान का छू गया है कि ग्राम पंचायतों को एजेंसी बनाकर करोड़ रुपये का फंड दे दिया गया और इन पैसों का उपयोग कई हिस्सों में तोड़-तोड़ कर किया गया ताकि इससे संबंधित कोई टेण्डर ही न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाय) के अंतर्गत प्रत्येक जिले को जिला खनिज न्यास के कोष के व्यय एक विकसित प्रोग्राम तैयार कर केवल खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिये ही प्रावधान किया गया है एवं उक्त योजनाओं का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के सामाजिक एवं संरचनात्मक स्तर को विकसित किया जाना है। इस मद में खर्च के लिए 60 प्रतिशत का व्यय पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त, योग्यता विकास एवं सफाई कार्य हेतु खर्च किया जाना है। इसके साथ ही इस कोष का 40 प्रतिशत व्यय भौतिक संरचना, सिंचाई, उर्जा एवं जल सुरक्षा एवं खनन क्षेत्र में पर्यावरण को दुरूस्त किया जाना निर्देशित है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाय) योजना में स्पष्ट है कि राज्य एवं केन्द्र की पूर्व से संचालित योजनाएं अतिरिक्त ही खनन प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के लिये ही फंड का व्यय किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिलों में डीएमएफटी फंड का गठन किया गया है। वर्ष 2019 से इस फंड को लेकर भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है। आज दिनांक तक किसी भी डीएमएफटी प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार नही की गया। प्रारंभिक जांच में 18 लोगों की नियुक्ति संदेह के घेरे में है और सभी 18 नाम बड़े ही रसूखदार नाम हैं। इस घोटाले के उजागर होने के बाद एक होनहार युवा अश्विनी मिश्रा ने आत्महत्या तक कर ली है। जिसने अपने सुसाईड नोट में भूपेश बघेल के ओएसडी अरूण मरकाम और सौम्या चौरसिया का नाम लिया है। हालांकि इन सबके बीच हाईकोर्ट ने पीएससी के

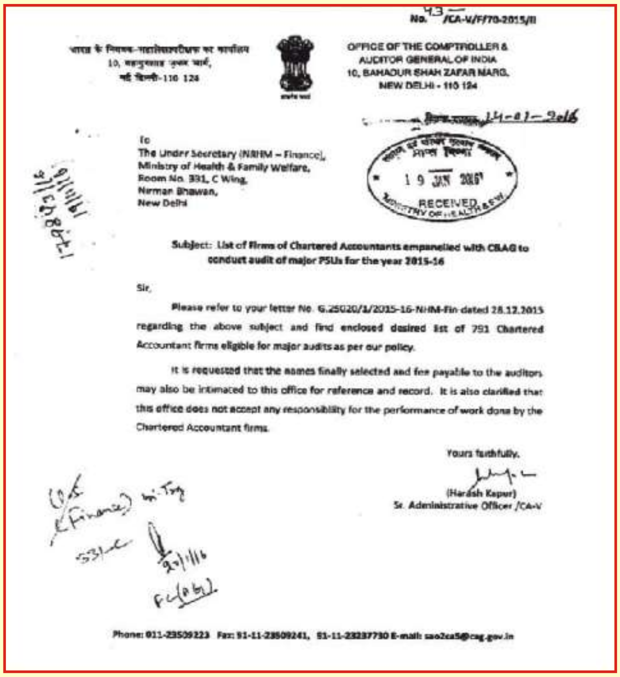

No. 43/CA-V/F/70-2015/II

OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI - 110 124

14-01-2016

To
The Under Secretary (NRHM – Finance),
Ministry of Health & Family Welfare,
Room No. 331, C Wing,
Nirman Bhawan,
New Delhi

19 JAN 2016
RECEIVED

Subject: List of Firms of Chartered Accountants empanelled with C&AG to conduct audit of major PSUs for the year 2015-16

Sir,

Please refer to your letter No. G.25020/1/2015-16-NHM-Fin dated 28.12.2015 regarding the above subject and find enclosed desired list of 791 Chartered Accountant firms eligible for major audits as per our policy.

It is requested that the names finally selected and fee payable to the auditors may also be intimated to this office for reference and record. It is also clarified that this office does not accept any responsibility for the performance of work done by the Chartered Accountant firms.

Yours faithfully,
(Harish Kapur)
Sr. Administrative Officer /CA-V

Phone: 011-23509223 Fax: 91-11-23509241, 91-11-23237730 E-mail: sao2ca5@cag.gov.in

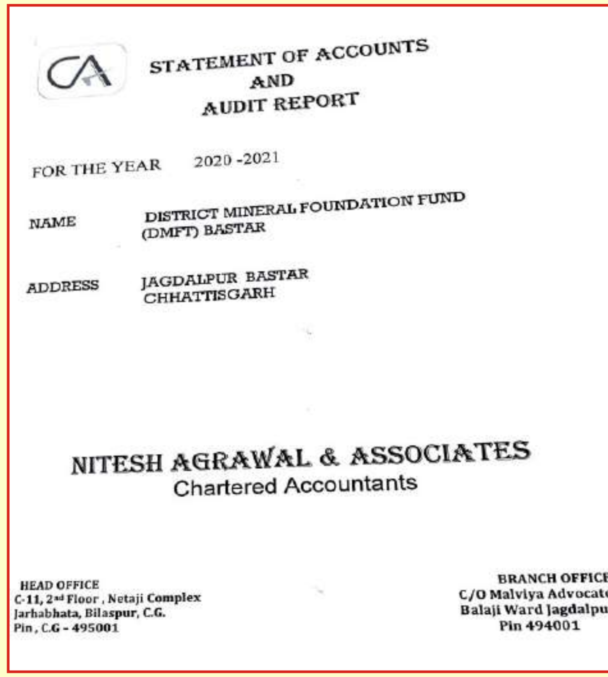

STATEMENT OF ACCOUNTS
AND
AUDIT REPORT

FOR THE YEAR 2020 -2021

NAME DISTRICT MINERAL FOUNDATION FUND (DMFT) BASTAR

ADDRESS JAGDALPUR BASTAR CHHATTISGARH

NITESH AGRAWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

HEAD OFFICE
C-11, 2nd Floor, Netaji Complex
Jarhabhata, Bilaspur, C.G.
Pin, C.G - 495001

BRANCH OFFICE
C/O Malviya Advocate
Balaji Ward Jagdalpur
Pin 494001

पीएमकेकेकेवाय योजना के अंतर्गत हर वर्ष फंड का ऑडिक कराना होता है जिसके लिए भारत सरकार के सीएजी द्वारा ऑथोराईज्ड सीए फर्म की शहर अनुसार सूची उपलब्ध है।
फंड का हुआ बेजा इस्तेमाल के बाद शासन द्वारा ऑडिट रिपोर्ट अनऑथोराईज्ड सीए फर्म से कराया गया।

गई है, न ही किसी वेबसाईट पर अपलोड की गई है। इससे यह साबित होता है कि जब प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार ही नही की गई है तो इस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ भूपेश राज में कानून की धज्जियां उड़ाकर भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है इसका एक उदाहरण डीएमएफटी घोटाला है। वर्ष 2019-20 में डीएमएफटी कोरबा ने 124 करोड़ के लगभग फंड एडवांस में एजेंसियों को दे दिये। ऐसे ही वर्ष 2020-21 में 268 करोड़ एवं 2021-22 में 331 करोड़ एजेंसियों को एडवांस के रूप में दिये गये। फंड का बेजा गलत कैसे होता है छत्तीसगढ़ में यह सरकार ने कर दिखाया। जबकि इस योजना में यह स्पष्ट था कि फंड का इस्तेमाल खनन क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्रों में ही होगा पर इसके इतर सरकार ने ज्यादा बजट वाले प्रोजेक्ट जैसे कंवेंशन सेंटर, रिसड़ी कोरबा (17 करोड़) मल्टीलेवल पार्किंग कोरबा (17.06 करोड़), एजुकेशनल हब स्याहमुड़ी में गलत आवंटन कर पैसा खर्चा किया गया। इस घोटाले का पैमाना इसी से सामने आता है कि वर्ष 2022 तक कोयला मिनरल से आने वाली प्रदेश में राशि इस मद में 4732.28 करोड़, अन्य मिनिरलों से आने वाली राशि इस मद में 4972.21 करोड़ एवं अन्य छोटे मिनिरलों से 197.07 करोड़ रूपये आये। इस तरह 2022 तक इस मद में 10001.56 करोड़ रूपये का फंड आया। सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा घोटाले के बाद यह पैसा किस नेता की जेब में गया है।

परिणामों को स्थिगित कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में भी इस तरह घोटाला छत्तीसगढ़ में जाता है और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि बगैर मुख्यमंत्री की मर्जी के इतना बढ़ा गोरखधंधा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इस गोरखधंधे में मुख्यमंत्री की भी भागीदारी हो।

छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था को

2 नान घोटाला

अपनों को बचाने के लिए भूपेश बघेल ने दबा दिया 36 हजार करोड़ का नान घोटाला

भ्रष्टाचार में साथ नहीं दिया तो भूपेश बघेल ने आईपीएस जीपी सिंह को करवा दिया बर्खास्त

दिसम्बर 2018 में छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बदले की राजनीति प्रारंभ कर दी थी। भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो वर्ष 2015 (अपराध क्रमांक 9/2015) के नान घोटाले में संलिप्त जिनको बचाया गया था, उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही कर जेल भिजवाया जायेगा। घोषणा अनुसार शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ईओडब्ल्यू में उक्त अपराध की पुनः विवेचना/जांच के लिये नियम विरूद्ध SIT का गठन किया गया।

2017 में भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को दिनांक 12.04.2017 को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि अनिल टूटेजा नान घोटाले का मास्टरमाइंड है तथा उसे तत्कालीन सरकार बचा रही है। उक्त मामले में सीबीआई जाँच की मांग करते हुये अनिल टुटेजा को तत्काल गिरफ्तार करने की सिफारिश की थी। दिनांक 17.12.2018 को भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिनांक 19.12.2018 को अनिल टुटेजा कोर्ट के रिकार्ड के अनुसार गैर जमानती वारंट लंबित रहने के कारण फरार था। विडंबना यह है कि एक फरार व्यक्ति मुख्यमंत्री के सामने स्वयं उपस्थित होकर नान घोटाले में पुर्नजांच के लिये एसआईटी गठन करने का एक आवेदन देता है, जिसे नान के मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा की शर्तों अनुसार हरी झंडी दी जाती है तथा नान घोटाले के मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा द्वारा निर्देशित terms of reference (TOR) अनुसार SIT का गठन किया जाता है। दुर्भाग्य है कि जिस अनिल टुटेजा को नान घोटाले का मास्टर माइंड बताया गया था और भूपेश बघेल द्वारा गिरफ्तार करने की मांग की थी, वही अनिल टुटेजा आज छत्तीसगढ सरकार के संचालन तथा भ्रष्टाचार के घोटाले का मास्टर माइंड है। उसके विरूद्ध कई अपराधिक मामले होने के

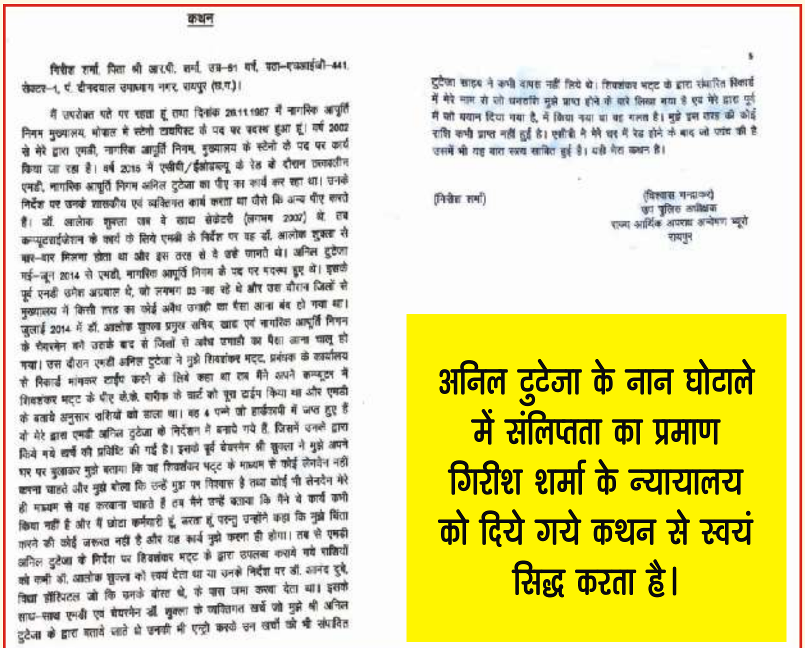

कथन

गिरीश शर्मा, पिता श्री आर.पी. शर्मा, उम्र-61 वर्ष, पता-एचआईजी-441, सेक्टर-1, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर (छ.ग.)।

मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं तथा दिनांक 28.11.1987 में नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, भोपाल में स्टेनो टायपिस्ट के पद पर पदस्थ हुआ हूं। वर्ष 2002 से मेरे द्वारा एमडी, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय के स्टेनो के पद पर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2015 में एसीबी/ईओडब्ल्यू के रेड के दौरान तत्कालीन एमडी, नागरिक आपूर्ति निगम अनिल टुटेजा का पीए का कार्य कर रहा था। उनके निर्देश पर उनके शासकीय एवं व्यक्तिगत कार्य करता था जैसे कि अन्य पीए करते है। डॉ. आलोक शुक्ला तब वे खाद्य सेक्रेटरी (लगभग 2007) थे, तब कम्प्यूटराईजेशन के कार्य के लिये एमडी के निर्देश पर यह डॉ. आलोक शुक्ला से बार-बार मिलना होता था और इस तरह से वे उन्हें जानते थे। अनिल टुटेजा मई-जून 2014 से एमडी, नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थ हुए थे। इसके पूर्व एमडी उमेश अग्रवाल थे, जो लगभग 03 माह रहे थे और उस दौरान जिलों से मुख्यालय में किसी तरह का कोई अवैध उगाही का पैसा आना बंद हो गया था। जुलाई 2014 में डॉ. आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के चैयरमेन बने उसके बाद से जिलों से अवैध उगाही का पैसा आना चालू हो गया। उस दौरान एमडी अनिल टुटेजा ने मुझे शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक के कार्यालय से रिकार्ड मांगकर टाईप करने के लिये कहा था तब मैंने अपने कम्प्यूटर में शिवशंकर भट्ट के पीए के.के. बारीक से चार्ट को पूरा टाईप किया था और एमडी के बताये अनुसार राशियों को डाला था। वह 4 पन्ने जो हार्डकापी में जप्त हुए हैं वो मेरे द्वारा एमडी अनिल टुटेजा के निर्देशन में बनाये गये हैं, जिसमें उनके द्वारा किये गये खर्चों की प्रविष्टि की गई है। इसके पूर्व चेयरमेन श्री शुक्ला ने मुझे अपने घर पर बुलाकर मुझे बताया कि वह शिवशंकर भट्ट के माध्यम से कोई लेनदेन नही करना चाहते और मुझे बोला कि उन्हें मुझ पर विश्वास है तथा कोई भी लेनदेन मेरे ही माध्यम से यह करवाना चाहते है तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये कार्य कभी किया नहीं है और मैं छोटा कर्मचारी हूं, डरता हूं परन्तु उन्होंने कहा कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नही है और यह कार्य मुझे करना ही होगा। तब से एमडी अनिल टुटेजा के निर्देश पर शिवशंकर भट्ट के द्वारा उपलब्ध कराये गये राशियों को तभी डॉ. आलोक शुक्ला को स्वयं देता था या उनके निर्देश पर डॉ. आनंद दुबे, मिथा हॉस्पिटल जो कि उनके दोस्त थे, के पास जमा करवा देता था। इसके साथ-साथ एमडी एवं चेयरमेन डॉ. शुक्ला के व्यक्तिगत खर्चे जो मुझे श्री अनिल टुटेजा के द्वारा बताये जाते थे उनकी भी एन्ट्री करके उन खर्चों को भी संपादित

5

टुटेजा साहब ने कभी वापस नहीं लिये थे। शिवशंकर भट्ट के द्वारा संधारित रिकार्ड में मेरे नाम से जो धनराशि मुझे प्राप्त होने के बारे लिखा गया है एवं मेरे द्वारा पूर्व में जो बयान दिया गया है, मैं किया गया था वह गलत है। मुझे इस तरह की कोई राशि कभी प्राप्त नहीं हुई है। एसीबी ने मेरे घर में रेड होने के बाद जो जांच की है उसमें भी यह बात सत्य साबित हुई है। यही मेरा कथन है।

(गिरीश शर्मा)

(विश्वास चन्द्राकर)
उप पुलिस अधीक्षक
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
रायपुर

अनिल टुटेजा के नान घोटाले में संलिप्तता का प्रमाण गिरीश शर्मा के न्यायालय को दिये गये कथन से स्वयं सिद्ध करता है।

लेकर तमाम सवाल उठते हैं। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें शासन तंत्र को निरंकुशता की संज्ञा दी जाये तो वह कम होगी। परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक और नियुक्तिसे लेकर भ्रष्टाचार तक में कोई शासन का कोई अंकुश नही है। उच्च

बावजूद भूपेश बघेल उसे अपने संरक्षण में सुरक्षित रखे हुए हैं। यही भूपेश बघेल का दोहरा चरित्र है। कहते कुछ है और करते कुछ और। साथ में झूठ भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं।

भूपेश बघेल ने फर्जी मुकदमें लगाने का बनाया था दवाब

नान की SIT के गठन का मूल उद्देश्य सत्तासीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जांच एजेन्सी एसीबी/ईओडब्ल्यू का गैर कानूनी इस्तेमाल कर पूर्व में सत्तासीन रहे राजनीतिक दल अथवा भाजपा के शीर्ष नेताओं रमन सिंह तथा उसकी पत्नी श्रीमती वीणा सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर नान घोटाले एवं अन्य फर्जी प्रकरणों में फंसाना एवं नान घोटाले के मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा को बचाना था। यह स्पष्ट है कि राजनीति से प्रेरित एसआईटी का गठन कुछ दागी अधिकारियों को बचाने और पुराने शासन के पदाधिकारियों को फंसाने के उद्देश्य से किया गया था। उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूपेश बघेल द्वारा

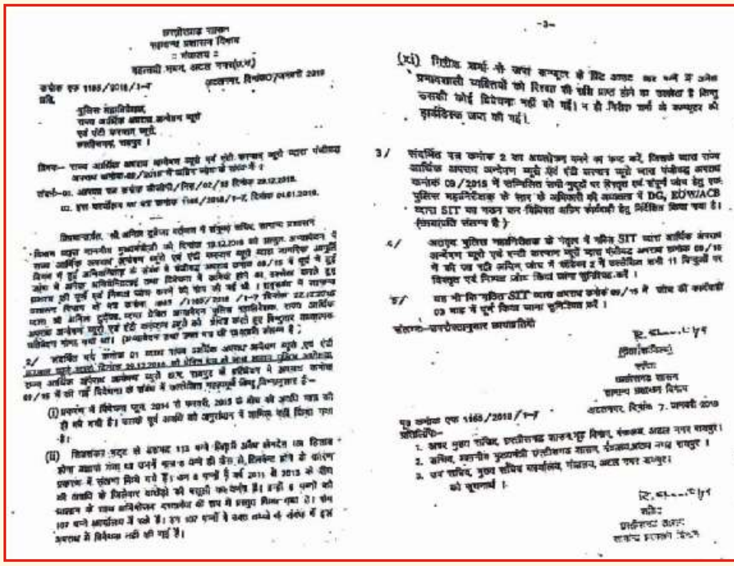

देश के इतिहास में पहली बार घोटाले के आरोपी के आवेदन पर उसी घोटाले में नई एसआईटी शासन ने बनाई। अनिल टुटेजा के आवेदन पर भूपेश ने बनाई नान घोटाले में नई एसआईटी।

अपने विश्वस्त अधिकारियों को एसीबी/ईओडब्ल्यू में पदस्थ किया गया। मुख्यमंत्री के दबाव के कारण इन अधिकारियों द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं एसीबी में पूर्व से पदस्थ पुलिस अधिकारियों को गैरकानूनी तरीके से धमकाने का प्रयास किया गया ताकि वह इस बात की गवाही दें कि नान घोटाले से सम्बंधित पूर्व की जांच पूर्ण रूप से गलत थी ताकि माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन नान ट्रायल को प्रभावित किया जा सके एवं आरोपी अनिल टुटेजा को बचाया जा सके। अनुसंधान के इतिहास में पहली बार किसी आरोपी के आवेदन के आधार पर उसे बचाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। आरोपी अनिल टुटेजा के आवेदन का परीक्षण न तो प्रशासनिक/तकनीकि तौर पर एसीबी द्वारा किया गया तथा न ही विधिक रूप से विधि मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक आरोपी के आवेदन नियमों का उल्लंघन करते हुए दिनांक

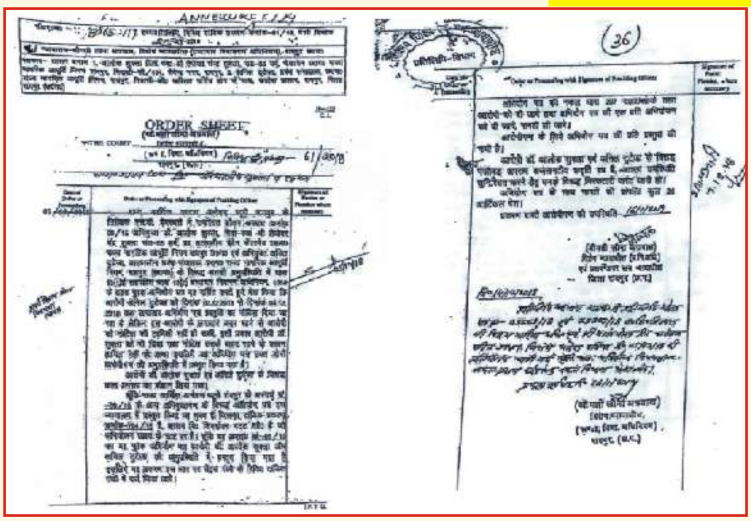

अदालत ने अनिल टुटेजा आरोपी नान घोटाले को गैरजमानती प्रकृति का मानते हुये कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश सुनाती है। आखिर ऐसे आरोपी बिना जमानत के भूपेश से मिलने मुख्यमंत्री निवास में कैसे आ जा सकते हैं।

अधिकारी अपनी मर्जी से शासन चला रहे हैं। सत्ताधारी मुखिया चुप होकर बैठा है। सवाल करने पर जबाव आता है कि उसे तो इस मामलों की जानकारी ही नही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी निरंकुशता की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। पूरा

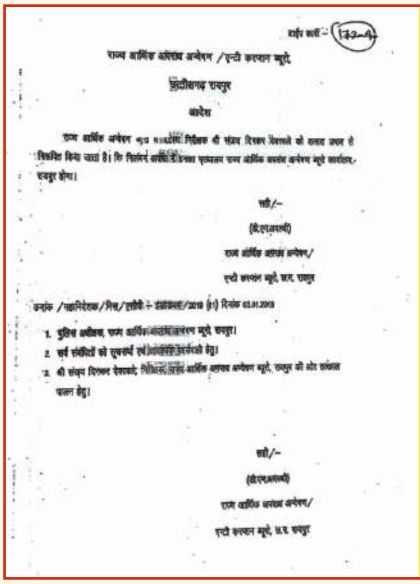

जिस अधिकारी ने नान घोटोले में जांच कर अनिल टुटेजा को मुख्य आरोपी बातया था, भूपेश सरकार ने पहले निलंबित कर दिया बाद में अपना कथन बदलने पर वापस पुर्नस्थापित कर दिया।

04/01/2019 को सीधे केबिनेट मीटिंग में प्रस्तुत कर निर्णय करवाया गया कि आरोपी के आवेदन पर एसआईटी का गठन किया जाये। ऐसा मानो कि नई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता नान के आरोपी अनिल टुटेजा को बचाना था। दिनांक 17/12/2018 को भूपेश बघेल के द्वारा शपथ लिया गया तथा पूर्व सुनियोजित योजना के अंतर्गत दिनांक 19/12/2018 को अनिल टुटेजा का आवेदन स्वयं भूपेश बघेल द्वारा लिया गया जबकि उक्त आरोपी न्यायालय के गैरजमानती वारंट में फरार था। उक्त आवेदन में आरोपी के द्वारा नान घोटाले से सम्बंधित न्यायालय में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को पूर्ण रूप से खारिज करते हुए आरोपी के द्वारा ही निर्देशित terms of reference (TOR) अनुसार SIT के गठन की मांग करते हुये पुनः जांच का आग्रह किया गया, जिसे भूपेश बघेल द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

छत्तीसगढ़ सरकार के आपराधिक संचालन की आधारशिला रखी गई जिसकी छाप आगामी वर्षों में हजारों करोड़ के कोल लेवी घोटाला, 20 हजार करोड़ का शराब घोटाला, 20 हजार करोड़ का ऑनलाईन गेमिंग महादेव एप घोटाला, 10 हजार करोड़ का डीएमएफ/केम्पा फण्ड घोटाला, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन घोटाला आदि के रूप में देखने को मिल रही है। एसीबी के अधिकारियों में तथा नान घोटाले की जांच से सम्बंधित अधिकारियों में भय और आतंक का माहौल पैदा करने के लिए एसआईटी के गठन के आदेश के पूर्व ही दिनांक 03/01/2019 को नान के जाँचकर्ता अधिकारी संजय देवस्थले को निलंबित कर दिया गया। अनिल टुटेजा को बचाने के नियत से इस अधिकारी से पुनः रिपोर्ट दी कि पूर्व जांच नियमों के अनुरूप है, विडंबना देखिये इसके बाद ही संजय देवस्थले का निलंबन रद्द हुआ।

नान घोटाले की जांच से सम्बंधित तथा एसीबी/ईओडब्ल्यू में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक, आर.के. दुबे के उपर एसआईटी के समस्त सदस्यों द्वारा दबाव बनाकर गलत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर लिये गये, जिसके कारण अधिकारी ने तत्काल न्यायालय में शपथ पत्र देकर अपनी बात रखी कि किस प्रकार से उसके उपर दबाव डालकर गलत तरीके से दूसरों को फंसाने के लिए रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। आरके दुबे ने पुलिस महानिदेशक से सुरक्षा की गुहार लगाई तथा माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर कर संरक्षण की गुहार लगाई। माननीय उच्च न्यायालय ने उसे संरक्षण भी दिया।

तदोपरांत नान घोटाले की जांच से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आतंकित करने के उद्देश्य से 06/02/2019 को एसीबी के पूर्व

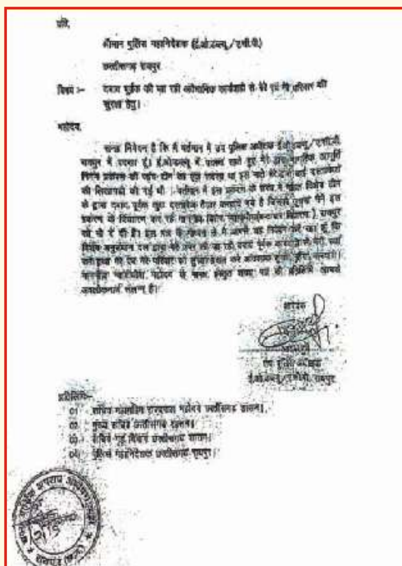

भूपेश बघेल सरकार द्वारा 36 हजार करोड़ के नान घोटाले की जांच करने वाले उप पुलिस अधीक्षक आर.के. दुबे को दबाव देकर अनिल टुटेजा को क्लीन चिट देने के लिए दबाव बनाया गया।

शासन सीएम के आसपास घूमने वालों अधिकारियों और चापलूसी करने वालों ने अपने हाथों में ले लिया है।

कृषि प्रधान इस प्रदेश के धान के कटोरे के रूप में पूरे देश में पहचान मिली थी लेकिन अब यह प्रदेश घोटालों की वजह से

वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ नान की गलत विवेचना के लिये एफआईआर दर्ज की गई तथा दिनांक 09/02/2019 को उन्हें निलंबित कर दिया गया। दिनांक 11/02/2019 को पुनः इन अधिकारियों के विरूद्ध एक और एफआईआर कायम की गई। नव गठित एसआईटी द्वारा भूपेश बघेल एवं अनिल टुटेजा के दबाव में लगातार कुछ न कुछ अवैधानिक कृत्य किये जा रहे थे। इसी दौरान नवगठित एसआईटी द्वारा लगातार सक्षम न्यायालय, रायपुर के उपर नियम विरूद्ध दबाव बनाया गया कि एसआईटी की कार्यवाही के मद्देनजर न्यायालय को नान से संबंधित ट्रायल पर रोक लगाना चाहिये। न्यायालय में प्रक्रियाधीन नान ट्रायल को प्रभावित करने के उद्देश्य से न्यायालय से लगातार पत्राचार किया गया। लेकिन अनिल टुटेजा तथा भूपेश बघेल के लाख दबाव के बावजूद सक्षम न्यायालय ने इनके आपराधिक मनसूबों को सफल नहीं होने दिया।

जनवरी 2019 के अंतर्गत अनेकों अभियोजन साक्षियों को बयान बदलने के लिए तथा झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया गया। अभियोजन के गवाह केके बारिक से दबावपूर्वक कथन करवाया गया, तदुपरान्त उसे न्यायालय के समक्ष धारा 164 CrPC के अंतर्गत कथन करवाने की कोशिश की गई। केके बारिक ने न्यायालय के समक्ष अपना दुखड़ा सुनाया कि उसे न्यायालय के समक्ष दबावपूर्वक झूठा कथन देने के लिए लेकर आये हैं। इस बात का उल्लेख न्यायालय ने अपना आर्डरशीट में भी किया है।

उक्त कारणों से स्पष्ट हो गया था कि भूपेश बघेल एवं अनिल टुटेजा के इशारे पर दुर्भावनावश तरीके से एसआईटी के सदस्यों के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के राजनैतिक लोगों को फंसाने का षड्यंत्र चरम पर चल रहा था। तथ्यों को धरमलाल कौशिक द्वारा पीआईएल 10/2019 माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई। दिनांक 15/02/2019 को उक्त पीआईएल के सुनवाई के अंतर्गत माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नव गठित एसआईटी के अवैधानिक कृत्यों को संज्ञान में लिया गया तथा अवैधानिक कृत्यों पर आपत्ति व्यक्त की। सरकार के महाधिवक्ता ने सरकार को बचाने के लिए एसआईटी के मुखिया एस.आर.पी. कल्लूरी को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे बदलने का आश्वासन दे दिया। एसआईटी प्रभारी ने समस्त कार्यवाही भूपेश बघेल एवं अनिल टुटेजा के कहने पर की थी, लेकिन जब न्यायालय में फंसने की नौबत आई तो एसआईटी चीफ एसआरपी कल्लूरी को बली का बकरा बनाने में भूपेश बघेल ने देर नही लगाई। भूपेश की यह फितरत आज भी कायम है। छत्तीसगढ़ में हुए लाखों करोड़ के घोटालों की ईडी द्वारा की जा रही जांच में भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया है कि उक्तसभी घोटालों की जिम्मेदारी संम्बधित अधिकारियो की है, तथा उनका इन घोटालों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ईडी के द्वारा संम्बधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये प्रस्ताव भेजा जाता है, कार्यवाही हेतु अनुमति मुख्यमंत्री द्वारा नही दी जाती है। ईडी के समस्त प्रस्ताव एसीबी आफिस में लंबित हैं तथा एसीबी अधिकारियों के पूछने पर कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही होगी।

एसीबी के अधिकारियों से ये पूछने पर कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का डर/भय नही है क्या? एसीबी के अधिकारियों

Bar&Bench

News Columns Interviews Law Firms Apprentice Lawyer Legal Jobs हिंदी

News

The resignation that never was? Kanak Tiwari denies quitting as Chhattisgarh Advocate General

AdityaAK

Published on: 21 Jan, 2019, 5:20 pm • 4 min read

Controversy has erupted with regard to a constitutional office in Chhattisgarh, after it was announced that **Satish Chandra Verma** was appointed as the new Advocate General for the state.

An announcement to this effect was made late last night. Chief Minister of Chhattisgarh Bhupesh Bhagel informed the press that Senior Advocate **Kanak Tiwari**, who was appointed Advocate General after the Congress came to power in the state, had handed in his resignation.

Even as Verma prepares to take charge as the new Advocate General, his predecessor has denied resigning from the post. Speaking to *Bar & Bench*, Tiwari said,

भूपेश के दुर्व्यवहार और नान घोटाले में भूपेश का बढ़ता दबाव के बारे में कनक तिवारी पूर्व महाधिवक्ता द्वारा बार और बेंच को दिये साक्षात्कार में झलका।

जाना पहचाना जा रहा है। सीएम कार्यालय के कठघरे में आने से सीएम बघेल पर सीधे तौर पर उंगलियां उठने लगी हैं। ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सीएम बघेल पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ईडी ने

का रटा-रटाया जवाब मिलता है कि 'हमें जीपी सिंह बनने का शौक नही हैं'। आजकल छत्तीसगढ़ में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जीपी सिंह के खिलाफ हुई फर्जी कार्यवाही का उदाहरण देकर आतंकित किया जाता है ताकि वह भूपेश बघेल, अनिल टुटेजा तथा सौम्या चौरसिया के अवैधानिक आदेशों का तत्परता से पालन कर सकें।

माननीय उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ द्वारा एसआईटी के गैरकानूनी रवैये के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई। जिसके कारण सरकार को तत्कालीन एसआईटी प्रमुख को हटाना पड़ा एवं जीपी सिंह के उत्कृष्ट रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक एसीबी/ईओडब्ल्यू के पद पर पदस्थ कर उनको एसआईटी की कमान सौंपी गई।

उल्लेखनीय हैं सरकार के महाधिवक्ता ने एक साक्षात्कार में स्वयं सरकार के अवैधानिक रवैये पर अनेकों सवाल उठाये हैं। छत्तीसगढ के महाधिवक्ता कनक तिवारी द्वारा भी भूपेश बघेल एवं इसके सिंडिकेट के अवैध तथा अनाधिकृत दबाव से मई 2019 में इस्तीफा दे दिया गया। कनक तिवारी द्वारा बार एवं बेंच को इंटरव्यू देते वक्त अवगत कराया कि उसके द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगातार समझाया जा रहा था कि बदले की भावना से कार्यवाही ना की जावें लेकिन मुख्यमंत्री को उसकी सलाह पसंद नही आयी।

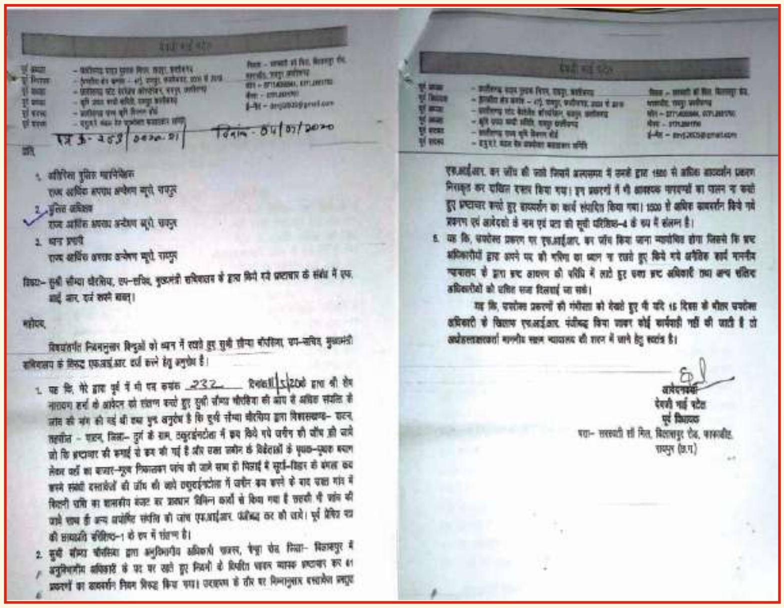

पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने सौम्या चौरसिया की अनुपातहीन सम्पत्ति को लेकर ईओडब्ल्यू एवं पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज की।

जीपी सिंह पर भूपेश बघेल सरकार ने दर्ज किये फर्जी प्रकरण नान घोटाले के अपराधियों को बचाने चढ़ाई जीपी सिंह की बलि

नान की नव गठित एसआईटी द्वारा बरती जा रही अनियमित कार्यवाही से मुख्य न्यायाधीश की नाराजगी को दूर करने के लिये जीपी सिंह की पदस्थापना एसीबी/ईओडब्ल्यू तथा एसआईटी के प्रमुख के रूप में की गई। मुख्यमंत्री ने पूर्व निर्धारित उद्देश्य अनुसार जीपी सिंह पर प्रदेश के शीर्ष भाजपा नेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने का लगातार दबाव बनाया जाता रहा। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती वीना सिंह को नान घोटाले में जप्त डायरी में उल्लेखित 'सीएम सर' और 'सीएम मैडम' के आधार पर तथा विधायक देवजी भाई पटेल को फर्जी मामले में फंसाने के लिये निर्देशित किया गया था, जबकि जांच में यह स्पष्ट हो चुका था कि नागरिक आपूर्ति निगम में पदस्थ एक अधिकारी चिन्तामणी चन्द्राकर को सीएम सर के नाम से भी पुकारा जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीएम सर का आशय चिंतामणी चन्द्राकर भी होने की सम्भावना अवगत कराने पर वे नाराज हो गये। चिन्तामणी चन्द्राकर को भी विभाग में सीएम सर से संम्बोधित करने सम्बंधित कथन जाँच के दौरान कुछ क्वालिटी इंस्पेक्टर्स द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार नान घोटाले के मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा को बचाने के उददेश्य से जो गवाह होस्टाईल नहीं हुए उसे फंसाने के निर्देश दिये गये। उदाहरण स्वरूप गवाह गिरीश शर्मा को, जो नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले का मुख्य गवाह है एवं जो होस्टाईल नहीं हुआ, उसे अनुपातहीन संपत्ति के मामले में फंसाने के निर्देश दिये गये। जीपी सिंह ने उक्त गवाह को

इन आरोपों की पुष्टि के लिए कई दस्तावेजी प्रमाण भी जुटाए हैं। सीएम बघेल के करीबियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से प्रदेश में कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई विधायक और नेता भूपेश बघेल के रवैये से सख्त नाराज बताये जाते हैं। उनकी दलील

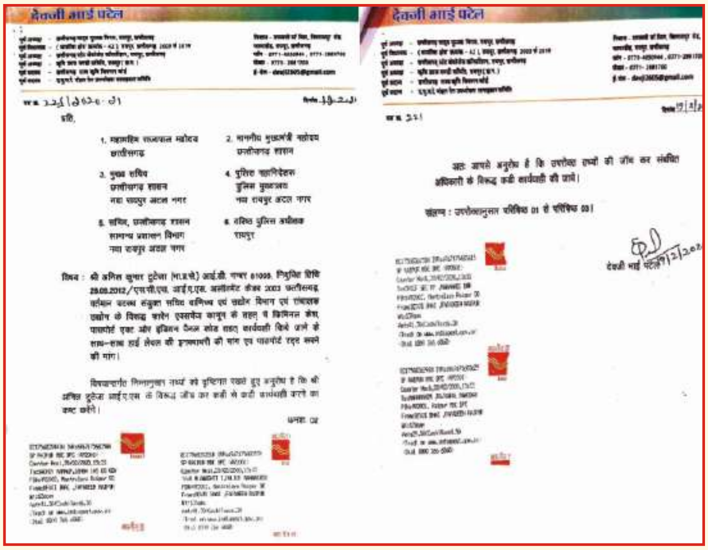
देवजी भाई पटेल

प्रति,

1. महामहिम राज्यपाल महोदय
छत्तीसगढ़

2. माननीय मुख्यमंत्री महोदय
छत्तीसगढ़ शासन

3. मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नवा रायपुर अटल नगर

4. पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय
नवा रायपुर अटल नगर

5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
नवा रायपुर अटल नगर

6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
रायपुर

विषय : श्री अनिल कुमार टुटेजा (भा.प्र.से.) आई.डी. नम्बर 61005, नियुक्ति तिथि 29.09.2012/एससी.एस. आई.ए.एस. अलॉटमेंट बैच 2003 छत्तीसगढ़ वर्तमान पदस्थ संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं संचालक उद्योग के विरुद्ध कानून के तहत् में क्रिमिनल केस, पासपोर्ट एक्ट और इंडियन पैनल कोड तहत् कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ हाई लेवल की इन्क्वायरी की मांग एवं पासपोर्ट रद्द करने की मांग।

विषयान्तर्गत निम्नानुसार तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि श्री अनिल टुटेजा आई.ए.एस. के विरूद्ध जाँच कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

देवजी भाई पटेल

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों की जाँच कर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 01 से परिशिष्ट 03।

देवजी भाई पटेल

पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत कराया कि अनिल टुटेजा नान घोटाला का मुख्य आरोपी है और अवैधानिक रूप से विदेश यात्रा कर रहे हैं।

गलत तरीके से फंसाने के लिये इंकार कर दिया। एसीबी से जीपी सिंह के स्थानांतरण के उपरांत नव पदस्थ शेख आरिफ के द्वारा फर्जी तरीके से नान घोटाले के मुख्य गवाह गिरीश शर्मा के विरूद्ध तत्काल अनुपातहीन सम्पत्ति का प्रकरण बनाकर न्यायालय में चार्जशीट दायर की गयी। इसी क्रम में अनिल टुटेजा को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त हो गई तथा वह खुलकर शासन प्रशासन में दखलअंदाजी करने लगा। उसके द्वारा व्हाट्सअप पर जीपी सिंह को नान डायरी से सम्बंधित कुछ तथ्य पेश कर आग्रह किया गया था कि सीएम सर का मतलब चिंतामणी चंद्राकर नही हो सकता। उसका इशारा सीएम सर रमन सिंह की ओर अंगित कर रहा था। एसीबी/ईओडब्ल्यू के कार्यों में अनिल टुटेजा की दंखलअंदाजी की वजह से जीपी सिंह द्वारा फटकार भी लगाई थी जिसके कारण उसने विधिवत व्हाट्सअप पर क्षमा भी मांगी थी और लेख किया था कि "Iam sorry to say for my interference, you took it as if I am questioning your authority and knowledge. Will not interfere or suggest in future".

नान घोटाले में रमन सिंह को फंसाने की नियत से तथा अनिल टुटेजा को बचाने की नियत से, नान घोटाले के सह आरोपी शिवशंकर भट्ट को सरकार की सहभागिता से जेल से छुड़वा लिया गया था। उसे इस उद्देश्य से छुड़वाया था कि वह भूपेश बघेल के कहे अनुसार कथन देकर पूर्वती सरकार के भाजपा नेताओं को फंसाने के लिये सहयोग करेगा। जीपी सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में लगाई गई याचिकाओं में उल्लेख किया है कि उसे षड्यंत्रपूर्वक फर्जी प्रकरणों में फंसाया गया है। यह भी उल्लेख किया है कि नान घोटाले में आरोपी को बचाने तथा गलत लोगों को बचाने के षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिये जीपी सिंह के ऊपर लगातार दबाव बनाया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.02.2019 के विपरीत उक्तसह आरोपी के कथन के आधार पर रमन सिंह अथवा भाजपा के अन्य नेताओं को फंसाने के निर्देश दिये गये थे। इस षड्यंत्र का हिस्सा बनने से जब जीपी सिंह ने इंकार कर दिया तो शिव शंकर भट्ट का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया तथा उसके शपथपूर्वक कथन अनुसार रमन सिंह तथा अन्य भाजपा नेताओं को तत्काल जेल भेजने की व्यवस्था की जाये। शिव शंकर भट्ट द्वारा प्रेस कांप्रेस लेकर शपथ पत्र को मीडिया में जारी किया गया।

जीपी सिंह की पदस्थापना की अवधि में अनिल टुटेजा व सौम्या चौरसिया (मुख्यमंत्री के ओएसडी) के खिलाफएसीबी/ईओडब्ल्यू में अनेकों गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें इनके द्वारा उक्त शिकायतों में इनको क्लीनचिट देने का दबाव बनाया गया। इस अवैधानिक कार्य को करने से इंकार करने पर उनको हटाया गया एवं नव पदस्थ शेख आरिफ द्वारा फाईलों को एसीबी के रिकार्ड से नष्ट करवा दिया गया।

सौम्या चौरसिया के अनुपातहीन सम्पत्ति की शिकायत, अनिल टुटेजा के द्वारा गैर जमानती वारंट होने के बावजूद गलत शपथ पत्र के आधार पर अनेक देशों का दौरा करने की शिकायत आदि की फाईलों को एसीबी/ईओडब्ल्यू के रिकार्ड से नष्ट कर विलोपित किया गया। शेख आरिफ ने उक्त शिकायतों से सम्बंधित समस्त नस्तियों को तत्काल नष्ट कर दिया। यदि इसमें निष्पक्ष जाँच तो आरिफ शेख, अनिल टुटेजा तथा सौम्या चौरसिया के विरूद्ध संगीन धाराओं में अपराध कायम होंगे। उक्त शिकायतों को ही ईडी के द्वारा बाद में बड़े घोटाले के रूप में उजागर किया तथा सौम्या की अनुपातहीन सम्पत्ति को भी राजसात किया गया। यहां यह बताना आवश्यक है कि अनिल

है कि सीएम कार्यालय में पनप रहे भ्रष्टाचार से पार्टी की छवि खराब हो रही है। सीएम को भले ही इसी चिंता न हो लेकिन मैदानी इलाकों में भ्रष्टाचार की वजह से विकास कार्य, जनता के साथ किये गये वादों को लेकर भी लोगों की नाराजगी सामने आने

टुटेजा तथा सौम्या चौरसिया के विरूद्ध गंभीर शिकायतों की जांच न होने देने के उद्देश्य से जीपी सिंह को एसीबी/ईओडब्ल्यू से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया तथा आरिफ शेख के सहयोग से उक्त शिकायतों की नस्तीयों को गायब करवा दिया गया लेकिन शिकायतों की प्रवृत्ति अत्यंत गंभीर होने के कारण केन्द्रीय एंजेसियों की निगाह इन पर पड़ी। ईडी द्वारा शिकायतों की जाँच के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अनेको अधिकारी, राजनीतिक पदाधिकारी, व्यवसायी आदि पर छापेमार की कार्यवाही की गयी। शिकायतों के तथ्यों के जाँच के उपरांत बड़े घोटाले जैसे कि- कोयला वसूली घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप आनलाईन गेमिंग घोटाला आदि उजागर हुये हैं। इन्हीं घोटालों के अतंर्गत सौम्या चौरसिया सहित अनेकों अधिकारी, व्यवसायी आदि जेल में हैं। ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत विस्तृत कार्यवाही की गयी है। पी.एम.एल.ए. एक्ट की धारा 66 (2) के अंतर्गत कोयला घोटाला तथा शराब घोटाला में प्राप्त तथ्यों के आधार पर ईडी ने घोटालों में संलिप्त राज्य के अनेकों अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सालो बीत जाने के बावजूद आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई जिससे मुख्यमंत्री की इन घोटालों में स्वयं की संलिप्तता स्पष्ट होती है। राज्य सरकार के अवैधानिक कृत्य के लिये ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है।

अनिल टुटेजा के वसूली रैकेट का भंडाफोड़

मई 2020 में एसीबी कर्मियों के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत, नगर निगम दुर्ग के एक अधिकारी द्वारा किये जाने पर, जीपी सिंह द्वारा इन नापाक गतिविधियों में शामिल 06 पुलिस कर्मियों को तत्काल एसीबी से हटाकर मूल पुलिस विभाग में वापस भेजते हुए 28 मई 2020 को आंतरिक जांच के आदेश दिए गए थे। आंतरिक जाँच में तथ्य प्राप्त हुये कि पुलिसकर्मी नान घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा के इशारे पर वसूली का कार्य कर रहे थे। कर्मचारियों की वापसी से अनिल टुटेजा द्वारा इस एजेंसी को पिछले दरवाजे से चलाने की मंशा विफल हो गई। यह कर्मचारी अनिल टुटेजा के लिये पुलिस अधीक्षक रायपुर कार्यालय में पदस्थ स.ऊ.नि. चंद्रभूषण वर्मा के नेतृत्व में सिंडिकेट बनाकर मनी लॉड्रिंग का अवैध कार्य करते भी

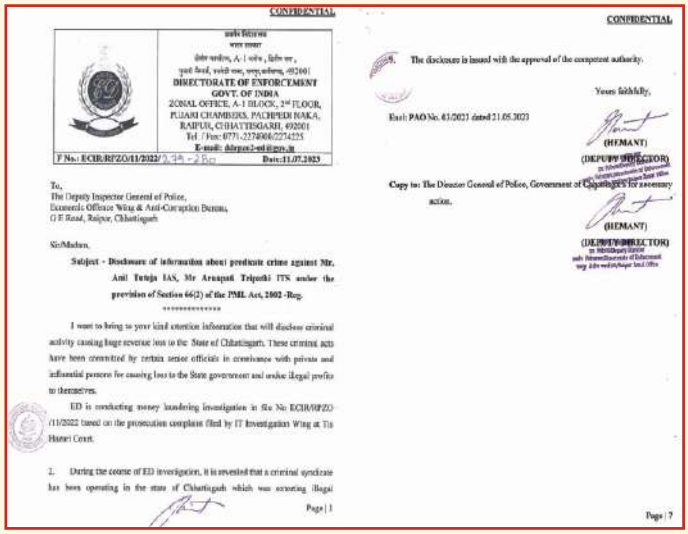
CONFIDENTIAL

DIRECTORATE OF ENFORCEMENT
GOVT. OF INDIA
ZONAL OFFICE, A-1 BLOCK, 2nd FLOOR,
PUJARI CHAMBERS, PACHPEDI NAKA,
RAIPUR, CHHATTISGARH, 492001
Tel. / Fax: 0771-2274906/2274225
E-mail:

F No.: ECIR/RPZO/11/2022/ Date: 11.07.2023

To,
The Deputy Inspector General of Police,
Economic Offence Wing & Anti-Corruption Bureau,
G E Road, Raipur, Chhattisgarh

Sir/Madam,

Subject - Disclosure of information about predicate crime against Mr. Anil Tuteja IAS, Mr Arunpati Tripathi ITS under the provision of Section 66(2) of the PML Act, 2002 -Reg.

I want to bring to your kind attention information that will disclose criminal activity causing huge revenue loss to the State of Chhattisgarh. These criminal acts have been committed by certain senior officials in connivance with private and influential persons for causing loss to the State government and undue illegal profits to themselves.

ED is conducting money laundering investigation in file No ECIR/RPZO/11/2022 based on the prosecution complaint filed by IT Investigation Wing at Tis Hazari Court.

2. During the course of ED investigation, it is revealed that a criminal syndicate has been operating in the state of Chhattisgarh which was extorting illegal

Page | 1

CONFIDENTIAL

9. The disclosure is issued with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Encl: PAO No. 03/2023 dated 21.05.2023

(HEMANT)
(DEPUTY DIRECTOR)

Copy to: The Director General of Police, Government of Chhattisgarh for necessary action.

(HEMANT)
(DEPUTY DIRECTOR)

Page | 7

ईडी ने भूपेश सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया कि अवैध शराब घोटाले में अनिल टुटेजा की संलिप्तता है।

पकड़े गये थे जिस पर बाद में महादेव ऐप आनलाईन गेमिंग घोटाला के रूप ईडी द्वारा कार्यवाही की गई है।

जीपी सिंह द्वारा न्यायालय में दिये शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि दिनांक 10.05.2020 को उसे मुख्यमंत्री निवास बुलाकर राजनीतिक लोगों के ऊपर फर्जी कार्यवाही करने हेतु अंतिम मौका दिया गया तथा उसे एक एजेंडा दिया गया जिन पर कार्यवाही की जानी थी, लेकिन किसी भी राजनीतिक द्वेष से प्रेरित करने के लिये इंकार कर दिया। अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया तथा भूपेश बघेल को सुनिश्चित हो गया था कि उनके अवैध कार्यों, फर्जी मामलों में फंसाने की कार्यवाही, अवैध वसूली आदि के कार्यों में सहभागी यह नहीं होंगे तो उनको एसीबी से न केवल हटाया गया बल्कि उनके विरूद्ध फर्जी अपराधों तथा शिकायतों की अंबार लगा दी गयी। भाजपा के नेताओं को फर्जी प्रकरणों में फंसाने के लिये सहभागी न होने के कारण व अनिल टूटेजा से सम्बंधित नान घोटाले के गवाहों को प्रभावित करने से सहमत न होने पर क्षुब्ध होकर उनके विरूद्ध फर्जी कार्यवाहियों का अंबार लगाया गया है। चूंकि जीपी सिंह, भूपेश बघेल के राजनीतिक प्रतिशोध एवं अवैध वसूली में सहभागी नहीं हुए, इसलिये उन्हें 01 जून 2020 को एसीबी/ईओडब्ल्यू से स्थानांतरित कर दिया गया,

लगी है। संकल्प पत्र में किये गये वादों को पूरा नही करने के चलते विधानसभा क्षेत्रों में उनकी स्थिति लगातार नाजुक हो रही है। लिहाजा कई विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग शुरू कर दी है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन शासन की

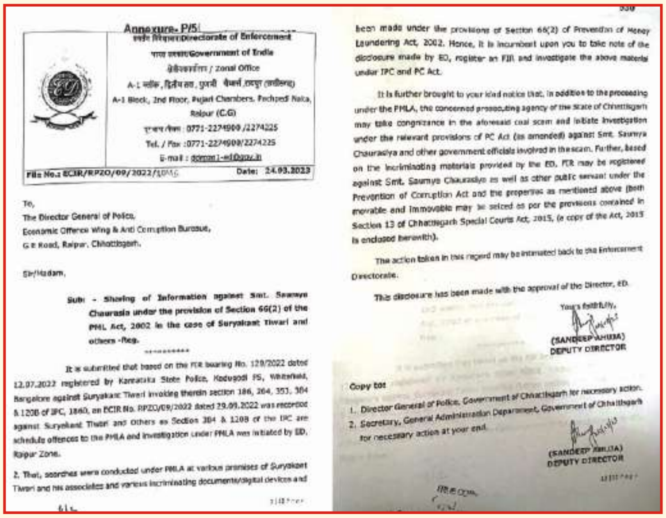

Annexure- P/5

प्रवर्तन निदेशालय/Directorate of Enforcement

भारत सरकार/Government of India

क्षेत्रीय कार्यालय / Zonal Office

A-1 ब्लॉक, द्वितीय तल, पुजारी चैम्बर्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)

A-1 Block, 2nd Floor, Pujari Chambers, Pachpedi Naka, Raipur (C.G)

दूरभाष/फैक्स : 0771-2274900 /2274225

Tel. / Fax :0771-2274900/2274225

E-mail : dpmrzo1-ed@gov.in

File No.: ECIR/RPZO/09/2022/ — Date: 24.03.2023

To,
The Director General of Police,
Economic Offence Wing & Anti Corruption Bureaue,
G.E Road, Raipur, Chhattisgarh.

Sir/Madam,

Sub: - Sharing of Information against Smt. Saumya Chaurasia under the provision of Section 66(2) of the PMLA Act, 2002 in the case of Suryakant Tiwari and others -Reg.

It is submitted that based on the FIR bearing No. 129/2022 dated 12.07.2022 registered by Karnataka State Police, Kadugodi PS, Whitefield, Bangalore against Suryakant Tiwari invoking therein section 186, 204, 353, 384 & 120B of IPC, 1860, an ECIR No. RPZO/09/2022 dated 29.09.2022 was recorded against Suryakant Tiwari and Others as Section 384 & 120B of the IPC are schedule offences to the PMLA and investigation under PMLA was initiated by ED, Raipur Zone.

2. That, searches were conducted under PMLA at various premises of Suryakant Tiwari and his associates and various incriminating documents/digital devices and

...

been made under the provisions of Section 66(2) of Prevention of Money Laundering Act, 2002. Hence, it is incumbent upon you to take note of the disclosure made by ED, register an FIR and investigate the above materials under IPC and PC Act.

It is further brought to your kind notice that, in addition to the proceeding under the PMLA, the concerned prosecuting agency of the State of Chhattisgarh may take congnizance in the aforesaid coal scam and initiate investigation under the relevant provisions of PC Act (as amended) against Smt. Saumya Chaurasiya and other government officials involved in the scam. Further, based on the incriminating materials provided by the ED, FIR may be registered against Smt. Saumya Chaurasiya as well as other public servant under the Prevention of Corruption Act and the properties as mentioned above (both movable and immovable may be seized as per the provisions contained in Section 13 of Chhattisgarh Special Courts Act, 2015, (a copy of the Act, 2015 is enclosed herewith).

The action taken in this regard may be intimated back to the Enforcement Directorate.

This disclosure has been made with the approval of the Director, ED.

Yours faithfully,
(SANDEEP AHUJA)
DEPUTY DIRECTOR

Copy to:
1. Director General of Police, Government of Chhattisgarh for necessary action.
2. Secretary, General Administration Department, Government of Chhattisgarh for necessary action at your end.

(SANDEEP AHUJA)
DEPUTY DIRECTOR

ईडी ने भूपेश सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया कि कोल परिवहन घोटाले में सौम्या चौरसिया की संलिप्तता है।

इसके बाद उनके विरूद्ध कई फर्जी जांच आदेशित किये गये और फर्जी मामले भी दर्ज किए गए। यह महत्वपूर्ण है कि स्थानांतरण के बाद एसीबी/ईओडब्ल्यू में एक बहुत कनिष्ठ अधिकारी को पदस्थ किया गया जो सौम्या तथा अनिल टुटेजा के इशारों में नाचने को सतत् तैयार रहता था। जीपी सिंह के हटते ही एसीबी में अनिल टुटेजा तथा सौम्या चौरसिया के खिलाफ एसीबी में समस्त नस्तियों को नव पदस्थ आरिफ शेख द्वारा गायब कर दिया गया। उक्त फाईलों के गायब होने के मामले में यदि निष्पक्ष जाँच की जावें तो अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया सहित आरिफ शेख एवं अनेकों अधिकारी जेल की हवा खाते नजर आयेंगे। एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर को उत्पीड़ित करने, हतोत्साहित करने एवं उनके मनोबल को प्रभावित करने के उद्देश्य से झूठे साक्ष्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी प्रकरण दर्ज किये गये। सर्वप्रथम उसके विरूद्ध फर्जी आधार पर राहुल शर्मा वाले मामले में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया। इस मामले में कोर्ट ने 2017 में क्लीनचिट दे दी थी एवं आदेश में स्पष्ट लेख किया था कि पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज की हैसियत से जो भी कृत्य किये हैं वह शासकीय सेवा के निर्वहन तथा प्रचलित नियमों के अंतर्गत थे तथा राहुल शर्मा के सुसाईड में इनकी किसी प्रकार की भूमिका नही थी। इसी प्रकार 2016 में भारत सरकार को अवगत कराते हुये जीपी सिंह को क्लीनचिट देते हुये छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया गया था कि साक्ष्य के अभाव में इस प्रकरण में उक्त अधिकारी के विरूद्ध किसी प्रकार की जांच प्रस्तावित नही है। लेकिन नवम्बर 2020 में जब उन्होंने भूपेश बघेल, अनिल टुटेजा तथा सौम्या चौरसिया के अवैधानिक आदेशों का पालन करने से इंकार कर दिया गया, तो भूपेश बघेल द्वारा उक्त प्रकरण में बिना किसी शिकायत के डीजी स्तर की जांच कमिटी गठित कर दी। कार्यवाही अवैधानिक होने के कारण न्यायालय जबलपुर ने कार्यवाही पर रोक लगाते हुये उनको राहत दी। माननीय न्यायालय जबलपुर के द्वारा कार्यवाही पर रोक लग जाने के बाद भूपेश बघेल की नाराजगी ओर बढ़ गई तो वह जीपी सिंह के कैरियर को बर्बाद करने में आमदा हो गये। इनका वार्षिक मूल्यांकन (APAR) वर्षान्त 2019-2020 को भूपेश बघेल द्वारा स्व-मूल्यांकन पर विचार किए बिना, दुराशयपूर्वक बिना किसी आधार के जानबूझकर, प्रतिकूल टिप्पणियों के साथ डाउनग्रेड किया गया।

क्या आरिफ शेख ने भूपेश बघेल के कहने पर एसीबी ने 133 मामलों की अवैध तरीके से नस्तीबद्ध कराया

आरिफ शेख और आनंद छाबड़ा पिछले 05 सालो से भूपेश के पुलिस सेनापति के जैसे काम कर रहे थे। भूपेश के विरूद्ध हर उठने वाली आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने कोई अनैतिक काम करने से भी गुरेज नहीं किया। इसी कारण इन दोनों अधिकारी पर केन्द्र की विशेष नजर है। जीपी सिंह के बाद आरिफ शेख एसीबी के मुखिया बने तब इन्होंने अवैध तरीके से 133 मामलों को नस्तीबद्ध कर दिया। आरिफ शेख वही अधिकारी है जिन्होंने भूपेश सरकार वापस बनने पर मुझे बाल पकड़कर घसीटते हुये और जेल में पिटवाने का भूपेश को वादा कर रखा है। खैर मै तो अपना कफन भी साथ लेकर चलती हूँ, बाकी ईश्वर की मर्जी।

बांगडोर कुछ चंद अफसरों के हाथ में है। भय, भ्रष्टाचार और अत्याचार की इस भूपेश सरकार में सिर्फ घोटाले ही नही हो रहे है बल्कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, अराजकता भी चरम पर है। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि कुछ भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होते हैं।

आईपीएस जीपी सिंह को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।

यह बताना महत्वपूर्ण है कि जीपी सिंह के विरूद्ध अनुपातहीन संपत्ति अथवा अन्य किसी भी विषय पर कोई भी शिकायत उपलब्ध नहीं थी। न ही अत्याधिक प्रयासों के उपरान्त किसी प्रकार का मिस कंडक्ट के प्रमाण प्राप्त हो सके। उसके बाद एक फर्जी स्वयं निर्मित सूत्र प्रतिवेदन का हवाला देकर दिनांक 29.06.2021 को अनुपातहीन सम्पत्ति की फर्जी एफआईआर कायम की गई। आश्चर्यजनक विषय यह है कि इस एफआईआर में 11 ऐसी

नान के खिलाफ कांग्रेसियों ने बोला था हल्ला बोल

सन् **2015** में जब नान घोटाला उजागर हुआ था, तब विपक्ष में रहते हुए प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने हल्ला बोला था। इस मामले को हाईकोर्ट तक ले गए थे। प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख कर मामले की सीबीआई, ईडी से जांच कराने की मांग की थी। आज जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो अब कांग्रेस सरकार घोटाले को लेकर क्या कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में नान घोटाले का प्रचार-प्रसार किया और आज वह इस घोटाले के चलते सत्ता पर आसीन हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हल्ला बोला था। जब तो वर्तमान में कांग्रेस घोटाले के दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि घोटाले के दो प्रमुख आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को

महत्वपूर्ण पदों पर बिठाए रखा था। इसके अलावा अन्य आरोपियों को भी बहाल कर दिया है। कांग्रेस की इस दोहरी नीति से तो यही लगता है कि किसी मामले को खूब उछाल कर सत्ता हासिल कर लो और फिर मामले को भूल जाओ।

तबादलों में रिश्वत, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहीं दूसरी तरफ कमीशनखोरी का बाजार भी खूब फल-फूल रहा है। शासकीय कार्यों में कमीशनखोरी के साथ-साथ हर एक

डीओपीटी के आदेश से टुटेजा का होना चाहिए था निलंबन

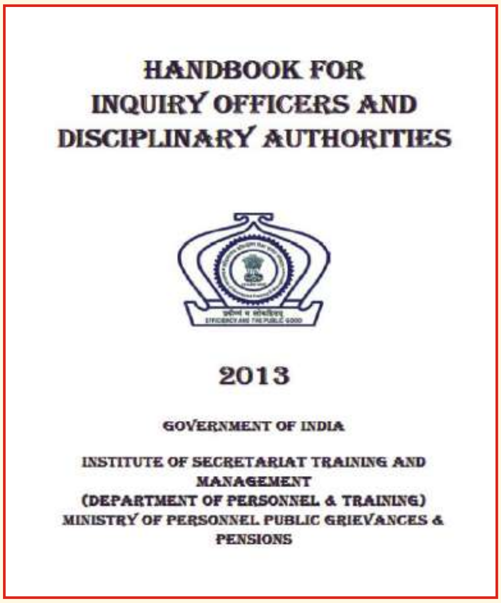

HANDBOOK FOR
INQUIRY OFFICERS AND
DISCIPLINARY AUTHORITIES

2013

GOVERNMENT OF INDIA

INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING AND MANAGEMENT
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

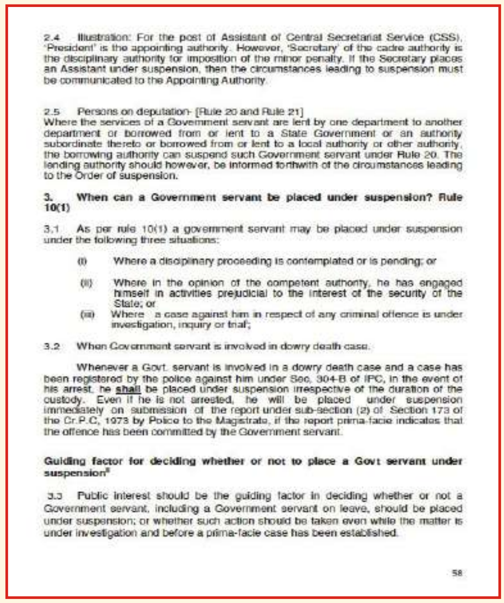

2.4 Illustration: For the post of Assistant of Central Secretariat Service (CSS), 'President' is the appointing authority. However, 'Secretary' of the cadre authority is the disciplinary authority for imposition of the minor penalty. If the Secretary places an Assistant under suspension, then the circumstances leading to suspension must be communicated to the Appointing Authority.

2.5 Persons on deputation- [Rule 20 and Rule 21]
Where the services of a Government servant are lent by one department to another department or borrowed from or lent to a State Government or an authority subordinate thereto or borrowed from or lent to a local authority or other authority, the borrowing authority can suspend such Government servant under Rule 20. The lending authority should however, be informed forthwith of the circumstances leading to the Order of suspension.

3. When can a Government servant be placed under suspension? Rule 10(1)

3.1 As per rule 10(1) a government servant may be placed under suspension under the following three situations:

(i) Where a disciplinary proceeding is contemplated or is pending; or

(ii) Where in the opinion of the competent authority, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or

(iii) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial;

3.2 When Government servant is involved in dowry death case.

Whenever a Govt. servant is involved in a dowry death case and a case has been registered by the police against him under Sec. 304-B of IPC, in the event of his arrest, he **shall** be placed under suspension irrespective of the duration of the custody. Even if he is not arrested, he will be placed under suspension immediately on submission of the report under sub-section (2) of Section 173 of the Cr.P.C, 1973 by Police to the Magistrate, if the report prima-facie indicates that the offence has been committed by the Government servant.

Guiding factor for deciding whether or not to place a Govt servant under suspension[8]

3.3 Public interest should be the guiding factor in deciding whether or not a Government servant, including a Government servant on leave, should be placed under suspension; or whether such action should be taken even while the matter is under investigation and before a prima-facie case has been established.

58

सम्पत्तियों का जिक्र किया गया जिसका जीपी सिंह अथवा उसके परिवार से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि इनमें से अधिकतर सम्पत्तियों का मालिकाना हक 1983 से लगातार एक ही मालिक के पास चला आ रहा है। 1983 में जब वे कक्षा 9वीं के छात्र थे तो वह इन सम्पत्तियों के बेनामी मालिक कैसे हो सकते हैं। षडयंत्र केवल एफआईआर को गंभीर दिखाकर माननीय सक्षम न्यायालय से सर्च वारंट जारी करवाना था।

दिनांक 27.06.2022 को भूपेश बघेल द्वारा जीपी सिंह के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा कार्यवाही करने हेतु अमित शाह को पत्र प्रेषित किया गया। पत्र से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ के महत्वपूर्ण तथा अति संवेदनशील शराब घोटाला, कोयला वसूली घोटाला, महादेव ऐप ऑनलाईन गेमिंग घोटाला आदि को नजर अंदाज करते हुये मुख्यमंत्री द्वारा दुर्भावनावश तरीके से जीपी सिंह को टारगेट किया जा रहा है। इसके विपरीत घोटालों में अनिल टुटेजा तथा सौम्या चौरसिया को बचाने के नियत से सरकार द्वारा सरकारी पैसे का दुरू प्रयोग कर देश के सबसे नामी-गिरामी तथा महंगे वकीलों को खड़ा करता है जिससे इन घोटालों में मुख्यमंत्री की स्वयं की संलिप्तता प्रमाणित होती है। भारत सरकार को गलत/मिथ्या जानकारी भेजकर राज्य सरकार द्वारा सस्पेंशन, अभियोजन स्वीकृति एवं कंपल्सरी रिटायर पर अनुमति प्राप्त की गयी है। गृह मंत्रालय को अंधेरे में रखकर जीपी सिंह के विरूद्ध आदेश प्राप्त किये गये हैं। यदि किसी स्वतंत्र एंजेसी से जांच हो तो जीपी सिंह के प्रकरण में एतिहासिक षडयंत्र का पर्दाफास होगा।

जीपी सिंह मामले को लेकर भूपेश सरकार की काफी किरकिरी हुई है। कैसे एक आईपीएस अधिकारी को सरकार द्वारा अवैधानिक कार्य कराने के लिए दबाव बनाया गया और जब जीपी सिंह ने सरकार के अनैतिक कार्यो में साथ नहीं दिया तो उसे उस विभाग से हटा दिया और बर्खास्त तक कर दिया।

वैसे भी जीपी सिंह एक ईमानदार छबि वाले अधिकारी रहे हैं। उन्हें भूपेश सरकार में सम्मान तो दूर अपमान से दो-चार होना पड़ा। आज भी छत्तीसगढ़ इनके जैसे अधिकारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है और जो भ्रष्ट है, बेईमान है उन्हें उच्च पदों पर नवाजा जा रहा है। नान घोटाले में यही हुआ है। नान घोटाले के अभियुक्त आज सरकार में मलाईदार पदों पर आसीन हैं।

योजना में कमीशनखोर मौजूद रहते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी ने सियासत को और गरमा दिया है।

3 महादेव ऐप सट्टा घोटाला

भ्रष्टाचार से टेरर फंडिंग तक पहुंचा महादेव सट्टा ऐप घोटाला

भूपेश बघेल के रिश्तेदार एवं राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, ओएसडी विजय भाटिया, मनीष बंछोर एवं आशीष वर्मा ईडी की गिरफ्त में, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चन्द्राकर, सुनील डमानी एवं अनिल डमानी की हुई गिरफ्तारी

घोटाले के मुख्य सरगना सौरभ चन्द्राकर और रवि उप्पल दुबई में बैठकर कर रहे हैं देश विरोधी काम

सत्ता मिलते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना रंग और तेवर दोनों बदल लिये हैं। अपनी चांडाल चौकड़ी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक लूट मचा कर रख दी है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला,

महादेव ऐप ऑनलाईन सट्टा घोटाले का खुलासा सबसे पहले जगत विजन पत्रिका ने अक्टूबर 2022 के अंक में किया था

बाहुबल, धनबल और धांधलियों से होगा चुनाव- भूपेश बघेल इस बार विधानसभा चुनाव बिहार और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर कराने की फिराक में हैं। इसमें बाहुबल, धनबल और धांधलियों का जमकर उपयोग होगा। भाजपा यह मुगालते

गोबर-गौठान घोटाला, नान घोटाला, पीएससी घोटाला और ना जाने कितने घोटाले करके हमर छत्तीसगढ़ को लूटकर छलनी कर दिया है। चांडाल चौकड़ी की सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर के बाद अब विनोद वर्मा भी ईडी की जद में आ गए हैं। विनोद वर्मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार और राजनीतिक सलाहकार भी हैं। साथ में भूपेश बघेल के साथ अश्लील पोर्न वीडियो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। प्रदेश के 04 आईपीएस भी महादेव ऐप घोटाले में ईडी की रडार पर हैं। मैंने अपनी जगत विजन पत्रिका में बड़े विस्तृत ढंग से महादेव ऐप पिछले अक्टूबर 2022 में छापा था। इसके बाद विनोद वर्मा ने भिलाई पुलिस अधीक्षक से मेरी शिकायत की थी कि मुझे जांच में शामिल किया जाए। साथ-साथ खुद विनोद वर्मा को भी इसमें शामिल किया जाए और छत्तीसगढ़ पुलिस के आईजी से लेकर पुलिस अधीक्षक इसी जुगत में लग गए, मेरे घर पर दो बार पुलिस भेजी, उठाने का भरपूर प्रयास किया। मीटिंग में आईजी स्तर के अधिकारी जिनकी व्हाट्स एप चैट को लेकर जांच चल रही है। मुझे बाल पकड़कर खींचकर लाने की बात कर रहे थे। मेरा भयादोहन की कोशिश की, पर मानो इन सबकी जांच में शामिल होने की प्रार्थना ईडी ने सुन ली और अब भरपूर सहयोग देना पड़ रहा है।

भूपेश बघेल के दो ओएसडी, भूपेश बघेल के बेटे बिट्टू के राइट-लेफ्ट हैंड विजय भाटिया एवं मनीष बंछोर, आशीष वर्मा के यहां भी

छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन में विनोद वर्मा ने प्रेस कान्फ्रेंस कर जगत विजन पत्रिका में महादेव ऐप ऑनलाईन सट्टा घोटाले पर प्रकाशित स्टोरी का जिक्र किया।

में भी ना रहे कि केंद्रीय फोर्सेज इन गड़बड़ियों को रोक सकेगा।

इस बार छत्तीसगढ़ चुनावों में भयंकर बाहुबल और प्रशासन का दुरुपयोग रहेगा।

वैसे ही प्रदेश के अधिकांश आईएएस एवं नवघटित आईपीएस ने एक लॉबी/संघ

महादेव ऐप के सरगना

सौरभ चन्द्राकर और रवि उप्पल ही महादेव ऐप सट्टा के मास्टर माइंड है। इन्होंने ही इस सट्टे का साम्राज्य खड़ा किया। धीरे-धीरे कर इस सट्टे के तार छत्तीसगढ़ के कई अफसरों से जुड़ने लगे और वह भी इस घोटाले के सहभागी बन गये है।

महादेव ऐप को लेकर ईडी ने कसा शिकंजा

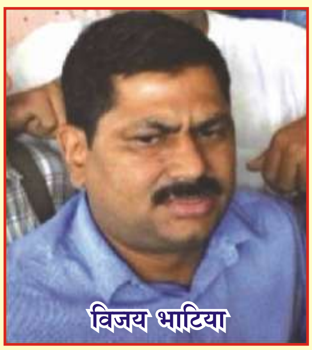

ईडी का छापा पड़ा था। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ में अपनी दबिश दी है और इस बार ईडी ने सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी और स्टाफ को निशाना बनाया है। करीब एक साल पहले मैंने महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर एक विस्तृत स्टोरी प्रकाशित की थी। जिसमें प्रकाशित किया था कि कैसे इस ऐप और इससे संबंधित ऐप्स को छत्तीसगढ़ से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इस अवैध सट्टा कारोबार का पैमाना अब पैन-इंडिया 20 हजार करोड़ तक फैल गया है। आश्चर्य की बात है कि प्रकाशित स्टोरी में मैंने दाउद इब्राहिम का लिंक भी छापा था। अब मेरी लिखी बात चरितार्थ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने दुबई स्थित महादेव ऐप संचालक सौरभ चंद्राकर को प्रोटेक्शन मनी के लिए फोन किया था, पर उल्टा सौरभ चंद्राकर ने दाउद का नाम लेकर उल्टा ही धमका दिया था। इस मामले में एनआईए भी जांच में जुट गई है। उनके पास पूरी वायर्ड बातचीत के सबूत हैं। सवाल यह है कि महादेव ऐप का पैसा

बनाया है जो कि भूपेश के काले कारनामों में पार्टनर-इन-क्राइम भी हैं, वो जमकर हर तरीके से भूपेश की मदद को आमादा है। इससे भाजपा कैसे निपटेगी, यह वो ही जाने।

सत्ता की मलाई के चक्कर में

महादेव ऐप में ईडी ने की गिरफ्तारी

चन्द्रभूषण वर्मा

सतीश चन्द्राकर

दम्यानी बंधु

महादेव ऐप ऑन लाईन सट्टे का मास्टर माइंड सौरभ चंद्राकर की फरवरी में शादी हुई थी। यह शादी यूएई में हुई थी, जिसमें बॉलीबुड की कई हस्तियों ने परफार्मेंस दिया था। अब इन बॉलीबुड की हस्तियों पर ईडी का शिकंजा कंसा जा रहा है।

टेरर फंडिंग के उपयोग होता था और छत्तीसगढ़ में सत्तासीन देश विरोधी काम में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए हैं। इन लोगों में पैसा कमाने की ऐसी हवस रही कि इन्होंने देश से गद्दारी तक करने में गुरेज नहीं किया। गौरतलब है कि प्रदेश के सबसे बहुचर्चित महादेव ऐप घोटाले की पूरे देश में इसकी गूँज सुनाई दे रही है। ईडी इस मामले में प्रतिदिन नए-नए खुलासे कर रही है। देश भर में ईडी छापा मार रही है और नई-नई जानकारियां हासिल कर रही है। महादेव ऐप के तार अब मध्यप्रदेश से भी जुड़ गए हैं। हाल ही में ईडी ने मध्यप्रदेश के भोपाल, सिवनी और बालाघाट में छापामारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 04 आईपीएस भी इस ऐप घोटाले में ईडी की रडार पर हैं। महादेव ऐप को लेकर एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, अनिल दम्यानी, सुनील दम्यानी, सतीश चंद्राकर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मामला अब संगीन नजर आ रहा है। कैसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने फरवरी में सौरभ चंद्राकर के भिलाई से परिवार और दोस्तों को दुबई जाने दिया। आखिर छत्तीसगढ़ की इंटेलिजेंस आंखे क्यों मूंदकर बैठी रही जबकि सब गोरखधंधा उनके सामने चलता रहा और देखते ही देखते इसका पैसा टेरर फंडिंग तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक-पुलिसिया गठजोड़ ने जो देश विरोधी काम किया है,

छत्तीसगढ़ के युवा आईएएस एवं आईपीएस अफसरों की गिरफ्तारी, बर्खास्तगी की कगार पर- देश में सबसे ज्यादा दागी अधिकारी कहीं नजर आ रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। अभी 03 आईएएस अफसर ईडी की कार्यवाही से

उसका हिसाब तो इनको देश को देना ही होगा।

बता दें कि कथित शराब घोटाला और कोयला परिवहन घोटाला को लेकर ईडी प्रदेश में छापे की कार्यवाही कर रही है। इन दोनों मामलों में ईडी अब तक दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें आईएएस समीर विश्नोई, रानू साहू और उपसचिव सौम्या चौरसिया सहित सीएम के कुछ करीबी नेता भी शामिल हैं। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के साथ अनिल और सुनील दम्मानी व सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी महादेव ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े होने की वजह से हुई हैं। बाकी इस जांच की जद में आए लोगों की जांच चल रही है। ईडी की चार्टशीट एवं वकील के मुताबिक चंद्रभूषण वर्मा की पुलिस में सिपाही से लेकर आईपीएस की तबादले में अहम भूमिका रहती है। बड़ा सवाल यह है कि यह कार्यवाही के बाद क्या भूपेश उनके पुत्र बिट्टू भी ईडी की कार्यवाही के जद में आयेंगे, क्योंकि ईडी की सारी चार्जशीट अब तक

जेल में हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के करीब-करीब 15-16 आईएएस/ आईपीएस अफसरों पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है। सवाल तो यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री की बगैर जानकारी के प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार हो सकता है। अधिकारियों

महादेव ऐप ऑन लाईन सट्टे में हजारों होनहार युवाओं का भविष्य बरबाद कर दिया है। इस सट्टे को लेकर पिछले दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस ने भिलाई एवं इसकी आस-पास के क्षेत्रों से सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार किया।

टॉप बॉस की तरफ इशारा करते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इनके तीसरे ओएसडी जो कि दामाद के खास हैं वो भी ईडी की रडार में हैं। साथ-साथ तीन आईजी स्तर के पुलिस अफसर जिसमें एक के खिलाफ व्हाट्सएप ऐप और अन्य गंभीर प्रकरण में परिवाद दाखिल हो रहा है। दो पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें से एक सोशल मीडिया स्टार हैं, जिन्होंने सौम्या के घर आयकर छापे के दौरान सिम चबा ली थी और भिलाई के वर्तमान आईपीएस एडिशनल पुलिस अधिकारी भी ईडी के जद में हैं। बड़ा सवाल है कि कैसे इन्होंने लोकल

डी कंपनी (दाऊद इब्राहिम) से जुड़े महादेव ऐप ऑनलाईन सट्टा घोटाले के तार

सूत्रों के हवाले से खबर है कि महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चन्द्राकर और रवि उप्पल ने पाकिस्तान के लिए इसी तरह का सट्टेबाजी ऐप विकसित करने के लिए गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम इब्राहिम कासकर के साथ हाथ मिलाया है। खबर है कि दाऊद के भाई के संरक्षण में ही पाकिस्तान में खेलो यार नाम का ऐप चालाया जा रहा है।

के साथ-साथ मुख्यमंत्री भी इन भ्रष्टाचार में शामिल हैं? खैर, सूत्रों के मुताबिक तमाम भ्रष्टाचार को लेकर छत्तीसगढ़ के इन 16 आईपीएस अधिकारियों की एक-एक फाईल केंद्र द्वारा बनाई गई हैं जिसकी मॉनिटरिंग सीधे गृहमंत्री कर रहे हैं। इसमें

सट्टे वालों को छत्तीसगढ़ के नेता-पुलिस-अधिकारियों के गठजोड़ ने इन्हें वर्ल्ड वाइड सट्टा किंग बनवा दिया है। सूत्रों के मुताबिक महादेव ऐप में अब एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। खैर, यह सब के बाद देखते हैं इन सब प्यादों के बाद टॉप बॉस और उनका कुनबा कब जेल जाते हैं।

मध्यप्रदेश से भी जुड़े घोटाले के तार

छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप की धीरे-धीरे परतें खुलती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के बाद इस घोटाले के तार मध्यप्रदेश से भी जुड़ गए हैं। पिछले दिनों ईडी की एक टीम ने राजधानी भोपाल में इस सिलसिले में ईडी ने राजधानी भोपाल में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। ईडी की टीम ने राजधानी भोपाल के बैरागढ़ के ट्रैवल संचालक धीरज आहूजा और विशाल आहूजा के लालघाटी, भोपाल गेट के सामने कृष्णाचंल कॉम्प्लेक्स सहित बैरागढ़ के स्थित कई ठिकानों पर तलाशी ली गई। ईडी को यहाँ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले है। पूछताछ और छापेमारी में में सामने आया है कि कंपनी महादेव एपीपी प्रमोटरों, व्यावसायिक सहयोगियों और यहां तक कि उन मशहूर हस्तियों के लिए पूरे टिकटिंग संचालन करती थी और फिर यही संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से मोटी फीस के बदले में उनके कार्यों को अंजाम दे रहे थे। यहाँ से कई दस्तावेज टीम साथ ले गई है। रैपिड ट्रैवल्स महादेव समूह के अधिकांश आयोजनों के लिए यात्रा व्यवस्था करने लिए काम करता था। सिवनी में महादेव ऐप ऑनलाइन सटोरियों के ठिकाने पर दुर्ग पुलिस ने दबिश दी। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें एक आरोपी ऐसा है जिसकी मां स्कूल चलाती है, लेकिन बेटा महादेव ठेकेदारों के झांसे में आकर छपरा सिवनी में पैनल चला रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 03 लेपटॉप, 13 एटीएम और 16 मोबाइल बरामद किया। फेज़्नीनगर औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड निवासी संचालक नीरज गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में 09 अन्य आरोपी भी पकड़े गए। इसमें एक सिवनी, एक खैरागढ़, दो भिलाई और 6 आरोपी कोरबा के रहने वाले है। 06 माह से आरोपी नीरज गुप्ता ने छपरा सिवनी में

कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला तो हैं ही इसके अलावा अन्य कारनामें/घोटाले भी दर्ज हैं। जैसे अवैध तरीके से प्रकरण नस्तीबद्ध करना इत्यादि। इनमें से एक अधिकारी के लिए प्रदेश भाजपा के बड़े नेता भी लॉबिंग कर रहे हैं,

महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा का सेटअप तैयार कर संचालन कर रहा था। आरोपी भिलाई हाउसिंग बोर्ड निवासी नीरज गुप्ता, नंदिनी ननकट्ठी निवासी गजेन्द्र निषाद, खैरागढ़ नीलमणि देवदास, शिवनी नेहाल सिंह और कोरबा के अनिकेत कुर्रे, अल्ताफराजा, हिमांशु सिंह, सुशांक चंद्रा, विवेक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मध्यप्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने 07 लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिलवाते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी आरोपियों को दुर्ग लेकर पहुंच रही है। बालाघाट से 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों ने पूछताछ में कई आरोपियों के नाम लिए थे। पुलिस ने जब इन लोगों का कॉल डिटेल खंगाला तो भिलाई के दो युवकों विक्की और अंकित का मोबाइल लोकेशन बालाघाट का आया।

क्या है महादेव ऐप?

महादेव ऐप पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबाल जैसे विभिन्न लाइव गेम में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्य पुलिस इकाइयों की ओर उस ऐप के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर से उपजा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर माने जाते हैं और दुबई से इसका संचालन कर रहे हैं। माना जाता है कि इसका नेटवर्क भारत के

पर इन पर शिकंजा कसा हुआ है। इस मीटिंग में शायद उनको एक टका सा जवाब ही मिला होगा कि आपने यह क्यों किया। बात भी सही है। आजाद भारत में नेताओं के कहने पर अधिकारी ही फंसता है।

उदाहरण के तौर पर केंद्र का कोयला

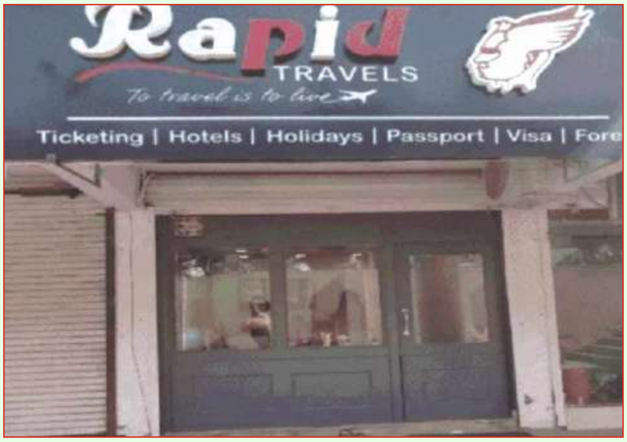

यही है भोपाल स्थित एक ट्रेवल्स एधेंसी। यहीं से महादेव ऐप सट्टे के मास्टर माइंड सौरभ चन्द्राकर की शादी में शिरकत करने वाली हस्तियों के आने-जाने की व्यवस्था की गई थी। ईडी ने यहां रेड की थी।

अलावा नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है।

कौन है सौरभ चंद्राकर

सौरभ चंद्राकर और उप्पल दोनों पहले स्थानीय सट्टेबाजी के रूप में काम करते थे। दुबई जाने के बाद महादेव अवैध ऐप को लांच किया। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचता था जबकि उसके दोस्त उप्पल के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। 2019 में वो दुबई गया और अपने एक दोस्त रवि उत्पल को भी बुलाया। इसके बाद उसने महादेव एप लांच किया और फिर धीरे-धीरे ऑनलाइन सट्टा बाजार का बड़ा नाम बन गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन जुआ ऐप महादेव बुक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता, भोपाल, मुंबई में तलाशी के बाद 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर हैं और दुबई से संचालन कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि महादेव ऑनलाइन बुक संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलाया जाता है और अपने सहयोगियों को 70 से 30 प्रतिशत लाभ अनुपात पर 'पैनल या शाखाओं' की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है।

दुबई में बना लिया है साम्राज्य

ईडी ने बताया कि सट्टेबाजी के पैसे को खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। नए यूजर और फ्रेंचाइजी (पैनल) चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में केस में बड़े पैमाने पर खर्च भी किया जा रहा है। ईडी ने कहा कि सौरभ चंद्राकर और उप्पल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया।

200 करोड़ की शादी और फिल्मी सितारों पर कसेगा शिकंजा

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव गेमिंग बेटिंग ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन जारी है। पहले इस मामले में देश के कई राज्यों में छापेमारी की गई थी। बाद में कई बॉलीवुड सितारों का नाम भी ईडी के रडार पर आया था। अभी तक तो इस केस में रणबीर कपूर से पूछताछ होनी थी। लेकिन अब हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा और हिना खान का भी नाम इस मामले में आ गया है। इन तीनों से भी प्रवर्तन निदेशायल की टीम पूछताछ करेगी। ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्म महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी इसी साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। इसके लिए वहां एक आलीशान इवेंट आयोजित किया गया था, जिसका वीडियो भारतीय एजेंसियों के हाथ लगा है। उस शादी समारोह में कई बॉलीवुड गायकों और अभिनेताओं को परफार्म करने के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि उन कलाकारों और इस पूरे आयोजन के लिए हवाला के ज़रिए 200 करोड़ रूपये से ज्यादा का भुगतान किया गया था। ईडी ने इस सिलसिले में भोपाल, मुंबई और कोलकाता में कई ठिकानों पर तलाशी ली और इसी दौरान बहुत सी अहम बातों को खुलासा भी किया। ईडी को पता चला कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने UAE में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। वो दोनों अचानक अपनी अवैध तरीके से कमाई गई दौलत का खुलेआम प्रदर्शन करने लगे हैं। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की शादी के लिए महादेव एप के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रूपये खर्च किए थे। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर

घोटाला में मंत्री जी को नहीं पूर्व कोल सेकेट्री एचसी गुप्ता को तीन साल की सजा हुई जबकि गुप्ता ईमानदार अफ़सर थे पर बस उनसे एक गलती हो गई। अपने कर्म की जगह मंत्री को भगवान बना लिया। जिसका नतीजा सबके सामने है। इन

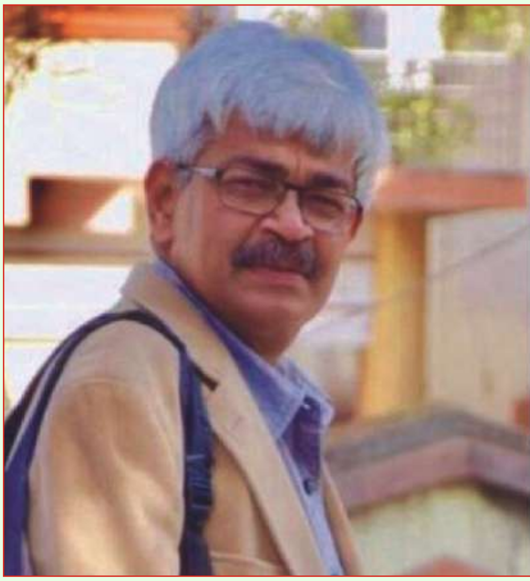

महादेव ऐप आनलाईन सट्टा में जितने भी लोग संदिग्ध हैं या जिन पर ईडी की कार्यवाईयां हो रहीं है, कहीं न कहीं वह सारे भिलाई क्षेत्र के ही है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। सवाल उठता है कि इतने बड़े सट्टे के आरोपियों के तार भिलाई से जुड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री को इसकी भनक तक नहीं लगी।

महादेव ऐप ऑनलाई सट्टा के ज्यादातर गुनहगार मुख्यमंत्री बघेल के क्षेत्र भिलाई से ही क्यों?

लिए गए थे। शादी के लिए वेडिंग प्लानर डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से बुलाकर काम दिया गया था। सबका नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने इस संबंध में डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं, जिनके अनुसार, योगेश पोफ्ट की मैसर्स आर-1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के जरिए 112 करोड़ रूपये पहुंचाए गए थे और 42 करोड़ रुपये होटल की बुकिंग के लिए नकद भुगतान किया गया था। ईडी ने योगेश पोपट, मिथिलेश और इस शादी से जुड़े आयोजकों के ठिकानों

आईपीएस अफसरों के साथ प्रदेश के करीब-करीब 12 आईएएस अधिकारी/ कलेक्टर भी डीएमएफटी घोटालों में रडार पर हैं। लालफताशाही की एक कहावत है कि सत्ता के पास रहोंगे तो मलाई खाने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में इस मलाई को

पर तलाशी ली। जहां से 112 करोड़ रूपये की हवाला रकम हासिल करने से जुड़े सबूत सामने आए। इसके बाद योगेश पोपट की निशानदेही पर आंगड़िया के यहां तलाशी ली गई। जहाँ से 2.37 करोड़ रूपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। साथ ही पता चला कि कई मशहूर हस्तियां इन सट्टेबाजी करने वाली संस्थाओं का समर्थन कर रही हैं और संदिग्ध लेनदेन के जरिए से मोटी फस लेकर अपने कामों को अंजाम दे रही है, लेकिन सारी फंस और पैसे का भुगतान ऑनलाइन सट्टेबाजी की आय से ही किया जाता है। ईडी ने भोपाल में धीरज आहूजा और विशाल आहूजा की मेसर्स रैपिड ट्रैवल्स पर तलाशी ली। यह इकाई महादेव एप के प्रमोटरों, परिवार, व्यावसायिक सहयोगियों और यहां तक कि उन मशहूर हस्तियों के लिए पूरे टिकटिंग संचालन के लिए जिम्मेदार थी जो फेयरप्ले कॉम, रेड्डी अन्ना एप, महादेव एप जैसी सट्टेबाजी वेबसाइटों का समर्थन कर रहे थे। सट्टेबाजी पैनल से अवैध कमाई आहूजा बंधुओं ने बड़ी चालाकी से मुख्य टिकट प्रदाताओं के पास जमा की थी और वॉलेट बैलेंस का इस्तेमाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकट बुक करने के लिए किया गया था। मेसर्स रैपिड ट्रैवेल्स सितंबर के महीने में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वार्षिक स्टार स्टडेड कार्यक्रमों सहित महादेव समूह के अधिकांश कार्यक्रमों के लिए यात्रा व्यवस्था करने में शामिल था। ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक एप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल दूसरे अहम खिलाड़ियों की पहचान भी कर ली है। यह पाया गया कि कोलकाता में मौजूद विकास छपारिया महादेव एप के लिए हवाला से संबंधित सभी काम संभाल रहा था। ईडी ने उसके ठिकानों और गोविद केडिया जैसे उसके सहयोगियों के यहां तलाशी ली। जिसमें पाया गया कि गोविंद

खाने के चक्कर में प्रदेश के आईएएस और आईपीएस को जेल की सूखी रोटी खाने की नौबत आ रही है। प्रदेश के आईएएस, आईपीएस जिस प्रकार सत्ता के दलालों की गुलामी करते थे और उनके कहने पर हर गलत काम करने को तैयार हो जाते थे।

आखिर सबूत होने के बाद भी ईडी की कार्यवाही में देरी क्यों?

दरअसल ईडी-सीबीआई में छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अफसर पदस्थ हैं। यह आईपीएस अफसर कहीं न कहीं इन भ्रष्टाचार के मामलों में छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारियों को बचाने का काम करते हैं, क्योंकि वह भी पुलिस बिरादरी से ही आते हैं। ईडी अपनी कार्यवाही धीमी कर देती है जैसे कि पूर्व में शराब घोटाले में एक एफआईआर दर्ज करने में देरी और विवेचना में खामिया रखने का फायदा अनिल टुटेजा और अन्य को शराब घोटाले में हुआ था। ठीक उसी तरह ईडी द्वारा विनोद वर्मा और अन्य के खिलाफ भरपूर सबूत होने के बाद भी कार्यवाही में देरी कर रही है। अब मामला नरेन्द्र मोदी और अमित शाह पर टिकेगा कि वह ईडी जैसी संस्था में सुचिता रख पायेंगे या नहीं।

केडिया की मदद से विकास चपारिया अपनी संस्थाओं मेसर्स परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी, मेसर्स एक्जिम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ और मेसर्स टेकप्रो आईटी साल्यूशंस एलएलसी के जरिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के रास्ते भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश कर रहे थे। विकास छपारिया के स्वामित्व वाली लाभकारी संस्थाओं के नाम पर जमा 236.3 करोड़ रूपये की नकदी और सिक्यूरिटी होल्डिंग्स को ईडी ने पीएमएलए 2002 के तहत जब्त कर लिया। इसके अलावा पीएमएलए 2002 के तहत ही गोविंद कुमार केडिया की डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ रूपये की संपत्ति भी ईडी ने जब्त कर ली है। गोविंद कुमार केडिया के परिसर में तलाशी के परिणामस्वरूप 18 लाख रूपये की भारतीय मुद्रा और 13 करोड़ रूपये की कीमत के सोना और आभूषण भी जब्त किए गए हैं। अब तक ईडी ने रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर तलाशी ली है और 417 करोड़ रूपये की अवैध संपत्ति जब्त की है। ईडी ने विदेश में भी गंभीरता से इस मामल की जांच शुरू कर दी है। रायपुर में पीएमएलए विशेष न्यायालय ने भी फरार संदिग्धों के खिलाफएनबीडब्ल्यू जारी किए हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

शादी में शामिल हुई थीं मशहूर हस्तियां

इस शादी में कई मशहूर हस्तियों शामिल हुई थीं। आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली अवराम, भारती सिंह, सनी लियोन, भाग्यश्री, पुलकित, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्ण अभिषेक के नाम शामिल हैं। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था। नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने कहा कि डिजिटल सबूतों के अनुसार, योगेश पोपट की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी-आर-1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को हवाला के जरिए 112 करोड़ रूपये दिए गए थे और 42 करोड़ रूपये की होटल बुकिंग एईडी में नकद में भुगतान करके की गई थी। ईडी ने हाल ही में इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा, एसोसिएट कमिश्नर अभिषेक चंद्राकर, पर्यवेक्षक अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी को गिरफ्तार किया था। महादेव बुक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विनोद वर्मा से भी पूछताछ की थी।

महादेव ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले 18 लोग गिरफ्तार, करोड़ों के लेनदेन का हुआ खुलासा

इस कारोबार में लिप्त 18 युवकों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 लेपटॉप, 41 मोबाइल बरामद किया गया है। साथ ही इनके पास से करोड़ों के लेनदेन का भी खुलासा हुआ है। बता दें कि बिलासपुर में महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा के गैरकानूनी कारोबार में लिप्त एक नाबालिग समेत पांच युवकों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 10 वीं-12 वीं पास छात्र भी हैं। इनके पास से लेपटॉप, मोबाइल, पासबुक सहित लेखा जोखा का रजिस्टर बरामद किया गया है।

उसका नतीजा आज साफदिख रहा है। इस दुष्चक्र का अंत तो होना ही था। छत्तीसगढ़ में जबसे कांग्रेस सरकार बनी तब से इन अधिकारियों में सत्ता की मलाई खाने को लेकर होड़ सी मच गई। जिसके लिए इन्होंने हर तरीके के गलत काम करने से भी

4 पीएससी घोटाला

भूपेश बघेल सरकार ने किया छत्तीसगढ़ के होनहारों के सपनों का सौदा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा परिणामों को किया स्थगित

18 लोगों की नियुक्ति संदेह के घेरे में, ये सभी रसूखदार नाम

गुरेज नहीं किया। इन लोगों के सिर पर पैसा और पॉवर का ऐसा नशा चढ़ा कि यह लोग अपनी मेहनत और बलिदान के दिन भी भूल गए। इन सत्ता के दलालों का साथ शुरूआत में तो अच्छा लगता है पर बाद में दम सा घुटता है। यह अधिकारी यह भूल

छत्तीसगढ़ पीएससी के परीक्षा परिणामों के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है और कोर्ट की ओर से सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है।

छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। पीएससी 2021 के परीक्षा परिणाम आने के बाद इस पूरे घोटाले की पोल खोल दी है। इस परीक्षा में एक दो नहीं बल्कि 18 पदों पर हुई नियुक्ति संदेह के घेरे में हैं। जिसमें सबसे प्रमुख नाम तो पीएससी के चैयरमेन तामन सिंह सोनवानी के परिवार और रिश्तेदार के 05 लोगों की नियुक्ति को लेकर है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के परिवार वाले और मुख्यमंत्री के खास अधिकारियों के परिवार वालों की नियुक्ति भी है। मामला उजागर होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक सभी नियुक्तियों को स्थगित कर दिया है। नियुक्तियों में सरनेम छिपाने तक का फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं पीएससी घोटाले पर हाईकोर्ट की ओर से सरकार को कड़ी फटकार मिली है। साथ में यह भी सिद्ध हो गया कि अब राज्य में हर स्तर पर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जकड़ ली हैं। बड़ी बात यह है कि क्या छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला के तार मुख्यमंत्री और उनके प्रमुखों से जुड़े हैं? इसका खुलासा भूपेश बघेल और उनके परिवार से पिछले 22 वर्षों से जुड़े अश्विनी मिश्रा की आत्महत्या ने सिद्ध कर दिया है।

गए थे कि भूपेश बघेल प्रदेश के ना तो पहले मुख्यमंत्री हैं और ना तो आखिरी मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकारें तो आती जाती रहती हैं पर प्रशासनिक पद पर आप सब को काफी लंबा रहना था। पर शायद इस समय यह अधिकारी अपने कर्म से विमुख

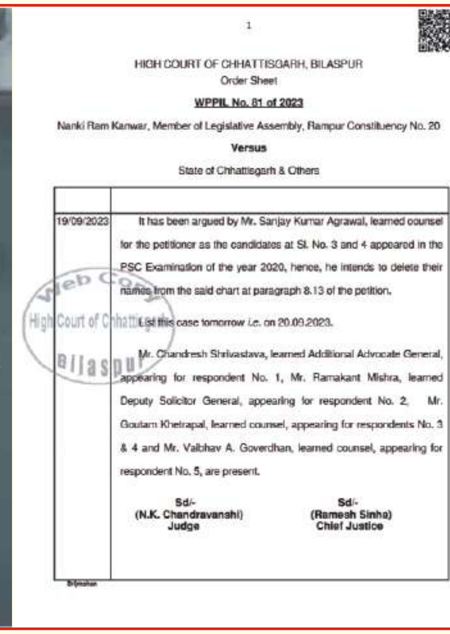

1

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR
Order Sheet

WPPIL No. 81 of 2023

Nanki Ram Kanwar, Member of Legislative Assembly, Rampur Constituency No. 20

Versus

State of Chhattisgarh & Others

19/09/2023	It has been argued by Mr. Sanjay Kumar Agrawal, learned counsel for the petitioner as the candidates at Sl. No. 3 and 4 appeared in the PSC Examination of the year 2020, hence, he intends to delete their names from the said chart at paragraph 8.13 of the petition. List this case tomorrow i.e. on 20.09.2023. Mr. Chandresh Shrivastava, learned Additional Advocate General, appearing for respondent No. 1, Mr. Ramakant Mishra, learned Deputy Solicitor General, appearing for respondent No. 2, Mr. Goutam Khetrapal, learned counsel, appearing for respondents No. 3 & 4 and Mr. Vaibhav A. Goverdhan, learned counsel, appearing for respondent No. 5, are present. Sd/- (N.K. Chandravanshi) Judge — Sd/- (Ramesh Sinha) Chief Justice

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ये हैं पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर। इन्होंने ही हाईकोर्ट में पीएससी मामले को लेकर याचिका लगाई थी। जिस पर कोर्ट द्वारा पीएससी परीक्षा परिणामों को स्थगित किया गया है।

घपले घोटालों में बीते भूपेश बघेल के 05 साल

अपने साथ-साथ भूपेश बघेल कई आईएएस और आईपीएस अफसरों को भी ले डूबे

आपको बता दें कि 10 मई 2023 को अश्विनी मिश्रा ने कीटनाशक पिया था और 11 मई 2023 को जय मां अम्बे हॉस्पिटल देवपुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी।

पीएससी भर्ती मामले में इस बार कुछ ज्यादा बड़ा बवाल मच गया। अफसरों व नेताओं के बच्चों का टॉप में आना चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने भूपेश बघेल सरकार में हुई भर्तियों को लेकर कई बार बयान जारी कर अपना विरोध जताया था। भर्ती में पैसों का खेल किया गया। इस बात का भी जिक्र किया था। इस के साथ ही भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी लगाई थी। ननकीराम कंवर ने पत्र क्रमांक रायपुर/MLA/

होकर यह भी भूल गए हैं कि वो यूपीएससी से चयनित अखिल भारतीय सेवाओं के अफसर हैं, जिनका मूल केंद्र के पास होता है।

दरअसल ईडी द्वारा माईनिंग कार्पोरेशन के पूर्व संचालक समीर विश्नोई को जब

निश्चित ही यह बहुत बड़ा घोटाला है जिसके तार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हाउस से जुड़े हुए हैं क्योंकि इतना बड़ा और व्यापक घोटाला बगैर सीएम की जानकारी के नहीं हो सकता है। साथ ही सीएम की हरी झंडी मिलने पर इसे अंजाम दिया जा सकता था।

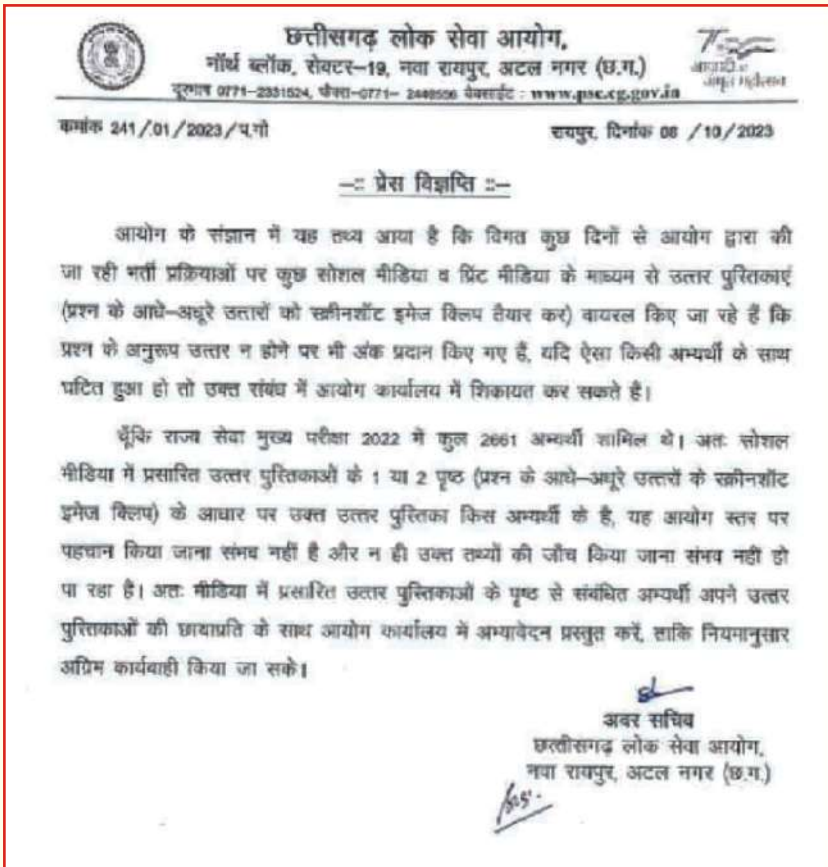

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
दूरभाष 0771-2331524, फैक्स-0771- 2448556 वेबसाईट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 241/01/2023/प.गो

रायपुर, दिनांक 08 /10/2023

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विगत कुछ दिनों से आयोग द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रियाओं पर कुछ सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाएं (प्रश्न के आधे-अधूरे उत्तरों को स्क्रीनशॉट इमेज क्लिप तैयार कर) वायरल किए जा रहे हैं कि प्रश्न के अनुरूप उत्तर न होने पर भी अंक प्रदान किए गए हैं, यदि ऐसा किसी अभ्यर्थी के साथ घटित हुआ हो तो उक्त संबंध में आयोग कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं।

चूंकि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 में कुल 2661 अभ्यर्थी शामिल थे। अतः सोशल मीडिया में प्रसारित उत्तर पुस्तिकाओं के 1 या 2 पृष्ठ (प्रश्न के आधे-अधूरे उत्तरों के स्क्रीनशॉट इमेज क्लिप) के आधार पर उक्त उत्तर पुस्तिका किस अभ्यर्थी के है, यह आयोग स्तर पर पहचान किया जाना संभव नहीं है और न ही उक्त तथ्यों की जाँच किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः मीडिया में प्रसारित उत्तर पुस्तिकाओं के पृष्ठ से संबंधित अभ्यर्थी अपने उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति के साथ आयोग कार्यालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सोशल मीडिया में चल रहे पीएससी परीक्षा परिणामों को लेकर संदेशों के संबंध प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

20/2023/181 को दिनांक 01/7/2023 के माध्यम से भूपेश बघेल को शिकायत की थी। जिस पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। पीएससी घोटाले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कड़े तेवर दिखाए। बहस की वायरल वीडियो में चीफ जस्टिस कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि इन 18 की नियुक्ति रोक दी जाए। हालांकि, ये हाईकोर्ट का अधिकारिक आदेश नहीं है। बता दें कि पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई की जो वीडियो वायरल हो रही है, वह काफी गंभीर है। इसमें चीफ जस्टिस कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि ये ठीक है कि बड़े पदों पर बैठे लोगों के बच्चे ही ऐसे पदों पर सलेक्ट हो सकते हैं। मगर ऐसा क्या संयोग कि पीएससी चेयरमैन और सेकेट्री के नजदीकी नाते-रिश्तेदारों का चयन हो जाए।

निश्चित ही यह बहुत बड़ा घोटाला है जिसके तार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हाउस से जुड़े हुए हैं क्योंकि इतना बड़ा और व्यापक घोटाला बगैर सीएम की जानकारी के नहीं हो सकता है। साथ ही सीएम की हरी झंडी मिलने पर इसे अंजाम दिया जा सकता था। साथ पीएससी परिणामों में भ्रष्टाचार होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। नियुक्तियों की लिस्ट देखकर पता चलता है कि यह नियुक्तियां पीएससी के सबसे प्रमुख पदों पर धांधलियां हुई हैं। छोटे पदों पर होने वाली नियुक्तियां का तो अभी पता भी नहीं है। हो सकता है कि इन छोटे पदों पर भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद चला होगा। पीएससी घोटाले की जांच भी जल्द केंद्रीय एजेंसियां अपने हाथ में लेगी।

गिरफ्तार किया उसके बाद मानो प्रदेश में हड़कंप सा मच गया। प्रदेश के आईएएस, आईपीएस जिस प्रकार सत्ता के दलाल जैसे सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया की गुलामी करते थे और उनके कहने पर हर गलत काम करने को तैयार हो जाते थे।

क्या भूपेश बघेल परिवार के खास रहे अश्विनी मिश्रा ने पीएससी घोटाले के कारण की है आत्महत्या?

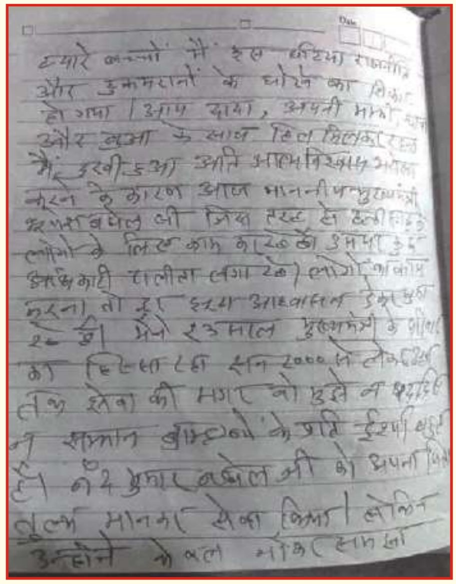

प्यारे बच्चो मैं इस घटिया राजनीति
और हुक्मरानों के धोखे का शिकार
हो गया। आप दादा, अपनी मम्मी, चाचा
और बुआ के साथ हिल मिलकर रहना
मैं दुखी हुआ [illegible]

ये है आत्महत्या करने वाले अश्विनी मिश्रा और उनके द्वारा लिखा गया सुसाईट नोट। इस नोट में अश्विनी मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कैसे वो घटिया राजनीति और हुक्मरानों के धोखे का शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि अश्विनी मिश्रा का परिवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफी करीबी रहा है।

अरूण मरकाम

सौम्या चौरसिया

ये है सीएम के ओएसडी अरूण मरकाम और सौम्या चौरसिया। अश्विनी मिश्रा ने अपने सुसाईट नोट में इन दोनों अधिकारियों का ही जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि इनके कारण ही मैं आत्महत्या करने को विवश हुआ हूँ।

आत्महत्या करने वाले अश्विनी मिश्रा के सुसाइट नोट और आडियो क्लिप ने खोली भूपेश बघेल की पोल

अश्विनी मिश्रा की अपने दोस्त के साथ हुई वार्तालाप की ऑडियो क्लिप और सुसाइड नोट से खुलासा होता है। स्व. अश्विनी मिश्रा के सुसाइड नोट में लिखा है कि 'प्यारे बच्चो मैं इस घटिया राजनीति और हुक्मरानों के धोखे का शिकार हो गया हूं। आप दादा, अपनी मम्मी, चाचा और बुआ के साथ हिल मिलकर रहना। मैं दुखी हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी

छत्तीसगढ़ में जबसे कांग्रेस सरकार बनी तबसे इन अधिकारियों में सत्ता की मलाई खाने को लेकर होड़ सी मच गई। जिसके लिए इन्होंने हर तरीके के गलत काम करने से भी इन्होंने गुरेज नहीं किया। पैसा और पॉवर का एक ऐसा नशा इन लोगों के सिर

जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उस पर कुछ अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। लोगों का काम करना तो दूर झूठा आश्वासन देकर घुमा रहे हैं। मैं 23 साल से मुख्यमंत्री के परिवार का हिस्सा रहा। सन् 2000 से लेकर अब तक सेवा की। मगर उन्होंने मुझे न पद दिया, न सम्मान दिया। वह ब्राम्हणों के प्रति बहुत ईष्या रखते हैं। मैंने नंदकुमार बघेल जी को अपना पिता तुल्य मानकर सेवा की, लेकिन उन्होंने मुझे केवल नौकर समझा। आज हर एक कार्यकर्ता की औकात नौकर की भांति हो गई है। मेरे बच्चों अपने दादा का ख्याल रखना। खूब पढ़ाई करना और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहना। मैं तो इन अधिकारियों की गिरफ्त में फंस गया। लोगों को गुमराह करना अधिकारियों की फितरत बन गई है। कोई भी काम सी.एम. हाउस से होगा। पर करेगा कौन, यह सवाल उठता है। अरूण मरकाम, सौम्या जी से लेकर तमाम अफसरों को कौन नही जानता। पर जुबान कोई नही खोलता। मेरी मौत की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार के वे अधिकारी हैं, जिन्होंने मुझे अंत तक गुमराह किया। मैं अपनों की नजरों में न गिरू, इसलिए यह कदम सोच समझकर उठा रहा हूं। हे ईश्वर मुझे माफ करना, यह निर्णय मेरे लिए वज्रपात के समान है। छत्तीसगढ़ के उन तमाम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा न हो, सरकार केवल चुनाव में उपयोग न करे। यही सद्बुद्धि सरकार को मिले, प्रार्थना है।

पर चढ़ा कि यह लोग अपनी मेहनत और बलिदान के दिन भी भूल गए। आज समीर विश्नोई जैसा अधिकारी जेल की चार दीवारी में बैठकर अपने आपको जरू र कोसता होगा।

कौन-कौन की नियुक्तियां संदेह के दायरे में

■ छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के पुत्र के नाम (नीतेश) में सरनेम छुपाया गया। इसका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है।

■ छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के पुत्र का (साहिल) सरनेम छुपाया गया है। जिसका सिलेक्शन डीएसपी पद पर हुआ है।

■ छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के पुत्र नीतेश की पत्नि निशा कौशले का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है।

■ छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के भाई की बहु दीपा अजगले आदिल जिला आबकारी अधिकारी के पद पर हुआ है।

छत्तीसगढ़ पीएससी के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी एवं राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो के नाम पीएससी परीक्षा परिणामों को लेकर वर्तमान में सुर्खियों में हैं। क्योंकि इन्हीं दोनों के सगे संबंधियों का चयन संदेह के घेरे में है।

■ छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी की बहिन की पुत्री सुनीता जोशी का लेवर अधिकारी के पद पर हुआ है।

■ छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के सचिव के पुत्र सुमित ध्रुव का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है।

■ राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो की पुत्री Neha xalxo का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो के पुत्र Nikhil xalxo का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ बस्तर नक्सल आपरेशन के डीआईजी ध्रुव की पुत्री साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की पुत्री प्रज्ञा नायक का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की पुत्र प्रखर नायक का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ वरिष्ठ कांग्रेस नेता की पुत्री अनन्या अग्रवाल का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद शशांक गोयल का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की पुत्री भूमिका कटियार का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ कांग्रेस नेता के ओएसडी साहू भाई की पुत्री खुश्बू बिजावरा का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ कांग्रेस नेता राजेन्द्र शुक्ला की पुत्री स्वर्णिम शुक्ला का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ वरिष्ठ कांग्रेस नेता का पुत्र राजेन्द्र कुमार कौशिक का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

■ गनवीर सिंह की पुत्री मीनाक्षी गनवीर का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन।

विपक्ष से लेकर प्रदेश का युवा इस घोटाले को लेकर भूपेश बघेल सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है। सरकार भले ही यह कहते हुए नहीं थक रही हो कि पीएससी में कोई घोटाला नहीं हुआ हो लेकिन इसके परिणाम आते ही इसकी संदिग्धता दिखने लगी है। युवाओं का आक्रोश देखकर कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर इस भर्ती में

छत्तीसगढ़ के 22 आईएएस समेत 100 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज- छत्तीसगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 22 अधिकारियों समेत विभिन्न विभाग में पदस्थ 100 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ

यह है छत्तीसगढ़ पीएससी का मुख्य कार्यालय। हाल ही में जारी हुये पीएससी के परीक्षा परिणामों को लेकर यह पूरा कार्यालय संदेह के घेरे में है ओर बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी अन्य पदों के परिक्षा परिणामों में भी धांधलियां की गई होंगी।

धांधलियां हुई हैं जिसके पीछे सिर्फभूपेश बघेल सरकार दोषी है। प्रदेश के युवाओं ने आरोप लगाए हैं कि इस परीक्षा में भाई-भतीजावाद का जमकर इस्तेमाल हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाई-भतीजावाद के आरोप लगे तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। यही नहीं राज्य की अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के खिलाफकार्रवाई की मांग करते हुए कई युवाओं ने निर्वस्त्र होकर नग्न प्रदर्शन किया। 29 प्रदर्शनकारियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) ने 2021 सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे एक महीने पहले जून 2023 में जारी किए थे। नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भाई-भतीजावाद के आरोप लगाए हैं क्योंकि कई सरकारी अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि सीजी पीएससी ने उचित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही है। चयनित लोगों में नौकरशाहों और राजनीतिक नेताओं के रिश्तेदार भी शामिल थे और आरोप लगाया कि शीर्ष पीएससी अधिकारियों के करीबी रिश्तेदारों, साथ ही आईएएस अधिकारियों के बेटे और बेटियों ने डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित लोगों की सूची में जगह बनाई। 2021 में 171 पदों की रिक्ति की घोषणा की गई थी, हालांकि, 2021 पीएससी परीक्षा में 1.40,00,00 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए, जिसके परिणाम हाल ही में घोषित किए गए थे। उपलब्ध

भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। विधानसभा में विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी थी। इसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश के 22 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ

आंकड़ों के अनुसार, नौकरशाहों के कई रिश्तेदारों का नाम टॉपर्स सूची में था। हाल ही में इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी हुई। यहां 20 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम राहत के तौर पर राज्य सेवा परीक्षा 2022 की चयन प्रक्रिया के फैसले पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 में भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी प्रशांत कुमार तिवारी और 20 अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी तरह, पुलिस विभाग द्वारा उप-निरीक्षकों के चयन के लिए परीक्षा के विज्ञापन 2018 में जारी किए गए थे और एक अलग सरकारी संगठन व्यापमं परीक्षा आयोजित करता है। फिर भी पुलिस विभाग ने परिणामों की घोषणा की। गंभीर भ्रम के कारण अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया और आज तक कई याचिकाएँ लंबित हैं और प्रक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। वैकेंसी 975 पदों के लिए घोषित की गई थी, लेकिन 1.30 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसके अलावा, हॉस्टल वार्डन के चयन के लिए व्यापमं परीक्षा आयोजित करता है, जिसे बाद में पीएससी को सौंपा गया था। लेकिन पीएससी अज्ञात कारणों से इस परीक्षा को आयोजित करने में अनिच्छुक था और जब छात्रों ने इसका विरोध किया, तो परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले हजारों लोग प्रभावित हुए। कई लोग उम्र के कारण भी राज्य सरकार की परीक्षाओं को स्थगित करने के शिकार बने हुए हैं और बिना किसी गलती के अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। सीजीपीएससी में अनियमितता और भ्रष्टाचार कमीशन राज को दर्शाता है। सीजीपीएससी 2021 की प्रक्रिया तीन साल में पूरी की गई। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 2021 और मुख्य परीक्षा 2022 में हुई थी, जबकि साक्षात्कार का परिणाम इस साल यानी 2023 में जारी किया गया।

मामला दर्ज किया गया है। उन पर पद का दुरुपयोग कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, जमीन का गलत तरीके से आवंटन, चहेती फर्मो को आर्थिक लाभ पहुंचाने, खरीदी में गड़बड़ी के मामले शामिल हैं।

भ्रष्टाचार करने वाले विभाग भी जांच के दायरे में -

भ्रष्टाचार की जांच करने वाले विभाग इओडब्ल्यू और एसीबी विभाग में भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। आखिर जब इसी विभाग के अधिकारियों पर पद के

5 शराब घोटाला

दो हजार करोड़ का शराब घोटाला

ईडी के सूत्रों के अनुसार बलदेव सिंह भाटिया ऊर्फ पप्पू भाटिया हो सकते हैं गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में लगभग 800 शराब सरकारी दुकाने हैं जहां पर शराब की बिक्री होती है। यहां प्राइवेट शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। छत्तीसगढ़ में शराब बेचना सरकार के हाथों में हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला के सामने आने से राज्य की कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं। क्योंकि यह एक ऐसा घोटाला है जिसमें बड़े-बड़े नेताओं के साथ-साथ उच्च अधिकारियों की भी संलिप्तता है। भूपेश बघेल सरकार के घोटालों में शराब घोटाला काफी सुर्खियों में है। दिन-ब-दिन इस घोटाले की खुल रही परतों से छत्तीसगढ़ रहवासी सकते में है। नेताओं से लेकर अधिकारियों में यही हड़कंप मचा है कि कब किसकी गिरफ्तारी हो जाए किसी को पता नहीं है। इस घोटाले का जिक्र हाल ही में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया था जब वह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आये थे। खैर, ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया था जो अब जमानत पर है पर इनकी जमानत रद्द होने की कगार पर है और यह पुनः जेल जायेंगे। इससे पहले ईडी ने इसी साल मार्च 2023 में अनवर ढेबर के घर समेत छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 35 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। क्न का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें दो हजार करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। क्न ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई जांच में पता चला है कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट चला रहा है और उसे बड़े-बड़े राजनेताओं और सीनियर अफसरों का सपोर्ट हासिल है। अनवर ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है, जिससे छत्तीसगढ़ में बेचे जाने वाली शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली की जाती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब का सारा कारोबार राज्य सरकार ही चलाती है। राज्य में बिकने वाली शराब का स्टॉक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करता है। साथ ही शराब दुकान चलाने, बोतल बनाने और कैश कलेक्शन जैसे काम में लगने वाले लोगों के लिए भी टेंडर जारी करता है। ईडी का कहना है कि अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर अनवर ढेबर CSMCL के कमिश्नर और एमडी का करीबी बना। उनकी मदद से CSMCL में विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह जैसे अपने करीबियों को नौकरी दिलवाई। इस तरह से उसने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार की पूरी प्रक्रिया पर कब्जा कर लिया। ईडी के मुताबिक,

शराब घोटाले को लेकर मार्च में ईडी द्वारा अनवर ढेबर, बलदेव भाटिया समेत अन्य के ठिकानों पर छापा मारा था इसके बाद अनवर ढेबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अग्रिम जमानत के मामला सुप्रीम कोर्ट में है जोकि महीनें भर में ख्वारिज होने वाला है। ईडी के सूत्रों के अनुसार बलदेव भाटिया इस घोटाले में महत्वपूर्ण कड़ी है। साथ-साथ उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। गौरतलब है इनको बचाने के लिए राज्य के एक बड़े भाजपा नेता पूरी कोशिश में जुटे हैं।

दुरूपयोग के मामले हैं तो आय से अधिक सपत्ति और रिश्वत के मामले की जांच भी

किसी तरह से होती होगी। छत्तीसगढ़ शासकीय विभागों में सेवारत अधिकारियों

पर आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के अक्सर आरोप

क्ष्क्ष्ड्ढ जो शराब खरीद रही थी, उसके सप्लायर्स से ये सिंडिकेट हर बोतल पर 75 से 150 रु पये का कमीशन वसूल रहा था। ये कमीशन शराब की क्वालिटी और उसके प्रकार के हिसाब से तय किया जाता था। अनवर ढेबर ने अपने लोगों के साथ मिलकर बेहिसाब तरीके से कच्ची शराब बनाई और उन्हें सरकारी दुकानों के जरिए बेचा। कच्ची शराब की ये बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। इसकी सारी बिक्री नकद में हुई। इसका एक रूपये भी सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया और सारी रकम सिंडिकेट की जेब में गई। 2019 से 2022 के बीच राज्य में 30 से 40 फीसदी अवैध शराब की बिक्री भी की गई। इससे 1200 से 1500 करोड़ रूपये का मुनाफा कमाया गया। चार साल में पूरे दो हजार करोड़ रूपये का घोटाला किया गया। ये पैसा सिर्फ अनवर ढेबर के पास नहीं गया था। इस पैसे के और भी कई हिस्सेदार थे। इसमें बड़े-बड़े नेता और सीनियर अफसर शामिल हैं। इसका खुलासा कुछ हद तक आयकर विभाग की फरवरी 2020 की शराब सेन्ट्रिक रेड छत्तीसगढ़ में कई जगह हुई। छत्तीसगढ़ में सरकारी शराब की दुकानों में एक कार्टल विकसित किया गया उदाहरण के तौर पर अगर प्रतिदिन 100 शराब की बॉटल बिकती है तो केवल 50 शराब की बॉटल की बिलिंग होती है। अर्थात आधे पैसे सीधे कार्टल के खाते में पहुंचते थे। शराब में एक्साईज ड्यूटी ज्यादा होती है जैसे 100 रूपये की बॉटल पर सीधे-सीधे 50-60 रूपये इस अवैध तंत्र के पास जाते थे। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा शराब से अलग तरह का खेल भी खेला जाता है। छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ राज्य बीव्रेज कॉर्पोरेशन जो छग में किस ब्रांड की शराब की बिक्री की जाना है यह निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पर देश में 15-20 प्रतिष्ठित बियर ब्रांड बिकती है पर इनमें से छग में 2 या 3 ब्रांड की बिक्री की जाती है। वह भी स्थानीय स्तर की डिसलरी सीधे इस कार्पोरेशन और अवैध शराब कार्टल को सेट करके पूरे प्रदेश में अपनी ब्रांड की बिक्री करती है। इसके अलावा छग में गांवों में जहां शराब की दुकानें नहीं होती वहां पर अवैध शराब जिसे कोचिना गिरी कहते हैं। यह पूरा ऑपरेशन इस अवैध शराब कार्टल के पास है। इसी से आधारित आयकर विभाग ने देश में पहली बार एक आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1183/2022 तीस हजारी कोर्ट दिल्ली में दर्ज किया जिसमें अनिल टुटेजा, यश टुटेजा (अनिल टुटेजा के पुत्र), सौम्या चौरसिया, अनवर ढेबर (इस पूरे शराब कार्टल के किंगपिंग है एवं रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बडे भाई है), नितिश पुरोहित, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, सीए विकास अग्रवाल, मंदीप चावला उर्फ मेंडी (यश टुटेजा के बिजनस पार्टनर कहा जाता है कि कृषि से संबंधित बडा ठेका इन्हीं को मिलता है।), लिंगराज सप्लायर प्राईवेट लिमिटेड, सौरभ जैन, वैभव सलूजा (लिंगराज सप्लायर प्रा.लि. के पूर्व डायरेक्टर), अशोक कुमार अग्रवाल (लिंगराज सप्लायर प्रा.लि. के डायरेक्टर), गरिमा शर्मा, स्वाति अग्रवाल एवं निशी अग्रवाल को अभियुक्त बनाया गया।

फर्जीवाड़े में प्रिज्म होलोग्राफी एण्ड सिक्योरिटी फिल्म प्राईवेट लिमिटेड भी शामिल

लगते रहे हैं। इन मामलों में कार्रवाई किए जाने के दावे भी शासन-प्रशासन से आए दिन किए जाते हैं। लेकिन सच यह है कि इन अधिकारियों पर शायद ही कभी किसी प्रकार का एक्शन लिया गया हो। छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में करीब डेढ़

6 कोल परिवहन घोटाला

09 लोगों की गिरफ्तारी 220 करोड़ की संपत्ति जप्त

छत्तीसगढ़ का कोल परिवहन घोटाला पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस घोटाले की लगभग सारी परतें भी खुल गई हैं और कई आरोपी जेल में बंद है। साथ ही इस घोटाले में राजनेताओं के साथ-साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोल घोटाले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। ईडी का दावा है कि पैसे का उपयोग राजनीतिक खर्च के लिए किया गया है। अब तक 220 करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त हुई है। ईडी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में प्रति टन कोयले के परिवहन पर 25 रुपये की वसूली की जाती थी। इस मामले में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलिए शामिल थे। ईडी के अनुसार, बीते दो साल में अवैध वसूली के जरिए कम से कम 540 करोड़ रुपये की उगाही की गई थी।

छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन घोटाले की आंच और लॉच अब सीएम बघेल और उनके पुत्र चेतन्य बघेल पर टिक गई है। ईडी ने

दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर आर्थिक अनियमितता और दूसरी गड़बड़ी किए जाने का आरोप हैं।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सौम्या चौरसिया की ईडी के गिरफ्त में आने से मुख्यमंत्री बघेल की और उनकी टोली की

चौतरफा छापेमारी कर परिवहन घोटाले के असल गुनहगारों का चेहरा बेनकाब कर दिया है। राज्य में मुख्यमंत्री कार्यालय ही भ्रष्टाचार के घेरे में है। ईडी की सक्रियता बताती है कि कोल परिवहन घोटाले में वो अब अपनी कार्यवाही को अंजाम तक पहुंचाने में जोर-शोर से जुट गई है। राज्य में ईडी के चौतरफा छापों से हड़कंप है। एक दर्जन से ज्यादा नामी गिरामी कारोबारी ठेकेदार और माफिया ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनमें से चौंकाने वाले संदेही और कारोबारी अफसर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी पाये गये हैं। ईडी ने ऐसे अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर घोटाले से जुडे कई दस्तावेज और हिसाब-किताब के डिजीटल साक्ष्य भी जप्त किये हैं। इसके साथ ही उन अधिकारियों पर एजेंसियों का शिकंजा लगातार कंसता जा रहा है। कोल परिवहन घोटाले की फेहरिस्त में अब तक जितने आरोपी और संदेही सामने आये हैं उनका सीधा नाता सीएम बघेल और उनके परिजनों एवं नाते-रिश्तेदारों के साथ पाया गया है। बताते हैं कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी इन संबंध में कई डिजीटल साक्ष्य पेश किये हैं। नौकरशाहों और ईडी एवं सीबीआई आरोपियों के साथ आपराधिक कृत्यों से जुड़ी कई चैट सामने आने के बाद प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं की विश्वसनीयता और गुणवत्ता दोनों सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद यह पहला मौका है जब सत्ताधारी दल के नेताओं और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों ने खुलेआम घोटालों/भ्रष्टाचारियों की झड़ी लगा दी हो। इसके बावजूद भी सरकार और उसकी वैधानिक एजेंसियों हाथ पर हाथ धरे बैठी हो।

ईडी ने कांग्रेस नेताओं से जुड़े दर्जनों ठिकानों पर इस सिलसिले में छापेमारी भी की। छत्तीसगढ़ के कोयला लेवी घोटाले का मास्टरमाइंड कारोबारी सूर्यकांत तिवारी है। इस मामले में ईडी ने अब तक सूर्यकांत तिवारी, उसके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, आईएएस अफ्सर समीर विश्नोई और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी ने सियासत को और गरमा दिया है।

दरअसल कोयला घोटाला की कहानी शुरू होती है 15 जुलाई 2020 से। राज्य के भूविज्ञान और खनन विभाग ने खदानों से कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए ई-परमिट की ऑनलाइन प्रक्रिया को संशोधित किया। इस नियम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जारी करना जरूरी हो गया लेकिन ईडी का दावा है कि इसके लिए कोई एसओपी या प्रक्रिया जारी नहीं की गई। एक माइनिंग कंपनी खरीदार के पक्ष में कोल डिलीवरी ऑर्डर जारी करती है, जिसे तब कंपनी के पास 500 रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से बयाना राशि यानी ईएमडी जमा करनी होती है और 45 दिनों के भीतर कोयला उठाना पड़ता है। ईडी का दावा है कि नए नोटिफिकेशन ने कथित तौर पर माइनिंग कंपनियों को ट्रांसमिट परमिट के लिए एनओसी लेने के लिए सरकार के पास आवेदन करने को मजबूर कर दिया। बगैर एनओसी के परमिट जारी नहीं किया जाता और CDOभी एक्जीक्यूट नहीं होती है। 45 दिन के बाद CDO खत्म हो जाएगी और खरीदार की CDO को भी जब्त कर लिया जाएगा। ईडी की जांच में सामने आया कि माइनिंग डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट प्रोसेस सही नहीं थी। कई जगहों पर सिग्नेचर नहीं थे। नोटशीट नहीं थी। कलेक्टर या डीएमओ की मनमर्जी पर नाममात्र की जांच करवाकर एनओसी जारी कर दी जाती थी। ईडी के मुताबिक 15 जुलाई 2022 के बाद बगैर किसी एसओपी के 30 हजार से ज्यादा एनओसी जारी कर दी गईं। इन और आउट का रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किया गया। अफसरों की भूमिका भी साफ नहीं थी। ट्रांसपोर्टर का नाम, कंपनी का नाम भी नहीं था। ईडी के मुताबिक, इस पूरे कार्टल को सूर्यकांत तिवारी चलाता था। उसने सीनियर अफसरों की मदद से उगाही का एक नेटवर्क तैयार किया था। इसमें हर खरीदार या ट्रांसपोर्ट को डीएम ऑफिस से एनओसी लेने से पहले 25 रूपये प्रति टन के हिसाब से चुकाना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने कुछ आदमियों को रखा जो इस पैसे को इकट्ठा करते थे। बाद में इन पैसों को किंगपिन, वर्करों, सीनियर आईएएस-आईपीएस अफसरों और राजनेताओं में बांट दिया जाता था। ईडी का अनुमान है कि ऐसा करके हर दिन दो से तीन करोड़ रूपये की उगाही की गई। इस मामले में ईडी ने सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। लक्ष्मीकांत तिवारी ने कबूल किया है वो हर दिन 1-2 करोड़ रूपये की उगाही करता था। ईडी के मुताबिक, इस पूरे खेल में कम से कम 540 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की गई। सूर्यकांत तिवारी ने कोयला ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों से जबरन पैसे ऐंठने के लिए जमीनी स्तर पर अपनी टीम बना रखी थी। माना जा सकता है कि इसके पीछे उन लोगों का हाथ रहा होगा, जिनके पास राज्य की मशीनरी को कंट्रोल करने की ताकत थी। 52 करोड़ रूपये राजनेताओं को दिए गए। 4 करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ के विधायकों

असलियत जनता के सामने आ गई है। अखिल भारतीय सेवाओं के कई अधिकारी सरकारी मशीनरी का जमकर दुरूपयोग और सरकारी तिजोरी पर किस तरह से हाथ साफ कर रहे थे, इसका भी खुलासा हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री की

कोयले की दलाली में किन-किन लोगों के हाथ काले

को दिए गए। 6 करोड़ रूपये पूर्व विधायकों में बांटे गए। इसके अलावा 36 करोड़ रुपये अफसरों में बंटे।

ईडी ने किन-किनको आरोपी बनाया?

सूर्यकांत तिवारी - इसे ही पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जबरन वसूली के लिए इसी ने नेटवर्क तैयार किया था।

सौम्या चौरसिया - छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी की साढ़े 7 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति जब्त हो चुकी है।

लक्ष्मीकांत तिवारी - सूर्यकांत तिवारी के चाचा ने कबूला है कि हर दिन 1-2 करोड़ की उगाही करते थे। सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी और मां कैलाश तिवारी भी आरोपी हैं।

समीर विश्नोई - 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं। समीर और उनकी पत्नी के पास 47 लाख कैश और 4 किलो सोने की जवाहरात मिले थे।

सुनील अग्रवाल - इंद्रमाणी ग्रुप के मालिक हैं, कोयला कारोबारी हैं। ईडी के मुताबिक, सूर्यकांत तिवारी के बड़े कारोबारी दोस्त हैं। इन सबके अलावा माइनिंग अफसर शिव शंकर नाग, संदीप कुमार नायक और राजेश चौधरी भी आरोपी हैं. लक्ष्मीकांत तिवारी के रिश्तेदार मनीष उपाध्याय को भी आरोपी बनाया गया है।

कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव और चंद्रदेव राय सहित नौ लोगों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम केस में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने आरोप पत्र स्वीकार कर लिया है। ईडी के आरोप पत्र में विधायक देवेंद्र यादव, रानू साहू समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 9 लोगों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 11 आरोपियों में से रानू साहू, निखिल चंद्राकर पहले ही जेल में हैं। इनके अलावा विधायक देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय समेत 9 आरोपियों को न्यायधीश अजय सिंह राजपूत ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कोयला स्कैम मामले में ईडी ने निलंबित आईएएस रानू साहू, निखिल चंद्रकार समेत विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय को आरोपी बनाया है। इनमें आईएएस रानू साहू और निखिल चंद्राकर पहले से ही जेल में है। रानू साहू को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

नाक के नीचे सौम्या चौरसिया करोड़ों की ब्लैकमनी इकट्ठा कर रही थी और मुख्यमंत्री बघेल को यह संज्ञान में न हो, यह तथ्य भरोसे लायक नही लगता है और मुख्यमंत्री बघेल सौम्या चौरसिया के काले कारनामों से वाकिफ ज्र हो।

7 गोठान घोटाला

बिहार के चारा घोटाला से भी बड़ा है छत्तीसगढ़ का गोठान घोटाला

कांग्रेस की सरकार जब से सत्ता में आई है, उसने प्रदेश के संसाधनों की लूट की है। सबसे शर्मनाक घोटाला इस सरकार ने गोमाता के नाम पर किया है। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के नाम पर छत्तीसगढ़ियों की भावना से खिलवाड़ किया है। गोठान के नाम पर विभिन्न मदों से खर्च की गयी 1,300 करोड़ से अधिक की राशि का दुरुपयोग कर इसमें भारी घोटाला किया गया है। गोठान के नाम पर चल रहे गोरखधंधे में कांग्रेस सरकार ने सबसे अधिक पंचायतों व सरपंचों के हक पर ही डाका डाला है। विभिन्न मदों में पंचायतों के विकास के लिए आई राशि को सरपंचों से छीनकर सीधे उसे अनेक बहानों के साथ बंदरबांट कर ली गई है। सरकारी दावे के अनुसार ही बात करें तो प्रदेश में कथित तौर पर नौ हजार 790 गोठान कार्यरत हैं। शोभा के लिए बने कुछ कथित आदर्श गोठानों को छोड़ दें तो कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। भूपेश बघेल कहते हैं कि प्रत्येक गोठान में लगभग आठ लाख से 19 लाख रूपया खर्च किया है। इसके अलावा 10 हजार रूपये प्रतिमाह रखरखाव के नाम पर अलग से गोठानों के नाम पर भेजा जा रहा है, उसका अधिकांश भाग भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ रहा है। नियमानुसार गोठान समिति का चुनाव भी नहीं कराया गया है। बड़ी संख्या में इसमें सत्ता के करीबियों ने बिना चुनाव के ही कब्जा कर लिया है। भारत सरकार ने मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, 14 वां वित्त 15वां वित्त, एलडब्ल्यूजी, रूर्बन, डीएमएफटी जैसे मदों में राशि भेजी है। उस पैसों को भी डायवर्ट कर गोठान के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया गया। प्रत्येक गोठान में 300 गाय रखने का नियम है। शायद ही किसी में इतनी गायें हों। इसी तरह गोबर खरीदी के नाम पर प्रति माह करोड़ों का भुगतान कांग्रेस सरकार कर रही है। लेकिन वे पैसे कहां जाते हैं, इसका कोई पता नहीं है। सदन में सरकार ने बताया कि गोठान निर्माण पर अभी तक 1019 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए टंकी बनाने के नाम पर 233 करोड़ खर्च किए गए हैं। इसके अलावा फरवरी 23 तक 105 करोड़ और खर्च कर देने की बात

चैतन्य बघेल पर ईडी की सख्ती- पिछले महिनों चैतन्य बघेल को ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया था। ईडी की पूछताछ के दौरान चैतन्य बघेल पर सख्ती दिखाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान चैतन्य बघेल ने अपने राजनैतिक रौब को दिखाने

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश में हुए गोठान घोटाले को लेकर वर्तमान भूपेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।

छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने ही सबसे पहले गोठान घोटाले को लेकर आवाज उठाई थी और सरकार की सच्चाई सबके सामने उजागर की थी।

सरकार ने कही है। इनमें से अधिकांश पैसे कागजों पर खर्च किए दिखते हैं। प्रदेश में कुल 1976 ऐसे लोग हैं, जिनके नाम पर एक लाख रूपये से अधिक गोबर के मद में भुगतान हुआ है। ये कौन लोग हैं, यह पड़ताल का विषय है। 174 करोड़ से अधिक गोबर खरीदी मद में दिए गए और सरकार का अनेक बार कहना हुआ कि गोबर सारा बह गया या खराब हो गया। जाहिर है ऐसी लगभग सारी खरीदी कागजों पर हुई है। हाल ही में 269 करोड़ रुपए के तो केवल गोबर घोटाले का खुलासा हुआ है और प्रदेश सरकार इस आरोप का जवाब तक विधानसभा में नहीं दे पाई। इससे साफहै कि प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में बेदर्दी से घोटाला करके प्रदेश के संसाधनों की लूट मचा रखी है। प्रदेश में चहुँओर गौठानों का बुरा हाल है और गौवंश बेहाल है। बदइंतजामी का आलम यह है कि अक्टूबर 2022 में सिर्फ3 गोठानो में 150 गौओं भूख, प्यास और घुटन के चलते दम तोड़ा। मुख्यमंत्री बघेल के अपने विधानसभा क्षेत्र के अचानकपुर गोठान में ही 25 गायों

की कोशिश की। वहीं ईडी ने भी अपने तेवर दिखाते हुये चैतन्य बघेल के साथ काफी सख्ती दिखाई।

छत्तीसगढ़ में डायरी से आया था

भूचाल - रायपुर के शिक्षा विभाग में लेनदेन के रिकॉर्ड का दावा करने वाली एक

मॉडल गौठान समेत तीन में पांच हजार क्विंटल से अधिक का गोबर खाद घोटाला

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बिलासपुर

नेवरा, बेलटुकरी व देवरीखुर्द में गोबर से बने वर्मी कंपोस्ट सुपर कंपोस्ट खाद में गड़बड़झाला, जांच के लिए पहुंची टीम

सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना में अब घोटाला सामने आने लगा है। सबसे बड़ा घोटाला तखतपुर क्षेत्र के

नाराजगी : किसानों को मिट्टी मिश्रित खाद देकर किया जा रहा भ्रमित

कंपोस्ट खाद बनाने की बात कहकर किसानों को थमा रहे मिट्टीयुक्त खाद

मामला धमधा ब्लॉक के ग्राम पंचायत दानी कोकड़ी का

कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया में लापरवाही

जांच

गोठान समितियों पंचायत सचिवों से हुई पूछताछ

क्या पानी में बह गया गोठानों से पांच हजार क्विंटल गोबर

अघोषित दबाव • अमानक गोबर खाद लेने से मना करने पर रासायनिक खाद नहीं देने की दी जा रही चेतावनी

गोठान में बनी खाद को अफसर बता रहे अच्छा किसानों ने कहा- इससे अच्छा तो साधारण गोबर

क्या पानी में बह गया गोठानों से पांच हजार क्विंटल गोबर

मॉडल गोठान नेवरा, बेलटुकरी व देवरीखुर्द का मामला

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा गोबर के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार

प्रदेश में चल रही है गोबर गायब योजनाः कौशिक

की हत्या हुई। इसी तरह आदर्श दर्जा प्राप्त सचादुर गौठान से रातो-रात हिस्ट्रीशीटर गौ तस्करों ने 40 से 50 गायों की चोरी को अंजाम दिया। यह बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गायों की हत्या हो रही है और गृहमंत्री के क्षेत्र में गौ माता की चोरी हो रही है। जहां 40 से ज्यादा गोवंश के गौठान से चोरी होने की पुलिस चौकी में शिकायत की गई है।

नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ीः भूपेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार-छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना में 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। सिर्फगोठान बनाने के नाम पर सौ करोड़ रु पए से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही नरवा बाड़ी योजना से एक एकड़ का भी सिचांई का रकबा बढ़ नहीं सका है। गायों के लिए ऐसी योजना बनी हैं कि सभी गाय सड़कों पर आ गई हैं। जो गोठान बना है वह घास-फूंस और बांस-बल्ली का बना है, वहां पीने के लिए पानी नहीं है। पंचायत के पैसे से निर्माण कराया गया लेकिन भुगतान आज तक नहीं हो सका है। वहीं घुरवा योजना के तहत जो कम्पोजिट खाद बनाया गया है उसे खरीदने के लिए किसानों पर दवाब डाला जा रहा है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में ही इतने झोल हैं कि सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है।

कथित डायरी से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया था। इस कथित डायरी के पन्नों में लेन-देन की इबारतों के साथ शिक्षा विभाग के उप संचालक के नाम से मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंची थी। पहले उप संचालक ने इसके खिलाफ थाने में

छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा जातिवाद, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार का अड्डा बनी

छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई (CSVTU) में पदस्थ कुलपति प्रोफेसर डॉ. एमके वर्मा की मनमानी भष्ट्राचार आर्थिक अपराध आर्थिक अनियमितता पद की शक्ति के दुरूपयोग की जानकारी छत्तीसगढ़ में तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की स्थापना अप्रैल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के हाथों उद्घाटन कर की गयी थी। विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में डॉ. बीके स्थापक 04 वर्षों के लिए नियुक्त किये गये। विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति के रूप में डॉ. बीसी माल नियुक्तकिये गये। विश्वविद्यालय के तीसरे कुलपति के रू प में डॉ. एससी शर्मा नियुक्त किये जो मात्र एक वर्ष की सेवा कर मार्च 2015 में त्यागपत्र दे दिया। सितम्बर 2015 में स्थानीयता व जाति को आधार मानकर एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर डॉ. एमके वर्मा की नियुक्ति की गयी। तब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। प्रो. वर्मा 2017-2018 में दोहरा आर्थिक लाभ लिया। दक्षिण भारत के एक विश्वविद्यालय के निरीक्षण में आयोजक विश्वविद्यालय से यात्रा भत्ता प्राप्त किया तथा उसी यात्रा का लाभ विश्वविद्यालय से भी प्राप्त किया। कुलपति के दोहरे आर्थिक लाभ की शिकायत राज्य आर्थिक अपराध शाखा रायपुर को की गयी। शिकायत की जांच चल रही थी और इसी बीच राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गये। भूपेश बघेल और डॉ. एमके वर्मा दोनों रिश्तेदार व एक ही जाति के हैं। इसका लाभ लेते हुए आर्थिक अपराध आर्थिक शाखा की जांच को रफा-दफा करवा दिये। आर्थिक अपराध आर्थिक शाखा की जांच बंद होने को रायपुर के वीरेन्द्र पांडेय ने उच्च न्यायालय

बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत की जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया जो अब तक लंबित है। भूपेश बघेल की सरकार बनते ही डॉ. वर्मा की मनमानी बढ़ती गयी। कुलपति प्रो. वर्मा का पहला कार्यकाल सितम्बर 2019 में समाप्त हो गया तब अक्टूबर 2019 में पुनः दूसरी बार तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कुलपति के रूप में नियुक्त किया जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कृपा से संभव हुआ। प्रोफेसर डॉ. एमके वर्मा की मनमानी कांग्रेस सरकार में चरम पर है। कुलपति ने अपने कक्ष की बैठक व्यवस्था सभी प्रोटोकॉल को तोडते हुए राजा महाराजा जैसे करवाकर विश्वविद्यालय की लगभग 10 लाख की राशि खर्च करवायी। कुलपति ने कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकलवा दिया, लाखों युवाओं युवतियों ने आवेदन किया जिससे शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये की प्राप्ति हुई। आवेदकों के पदानुसार लिखित परीक्षा भी ली गयी लेकिन परीक्षा परिणाम 05 सालों में भी घोषित नहीं कर बेरोजगारों के साथ छल किया गया। कुलपति ने भूपेश सरकार में अपनी जाति रिश्तेदारों को कुलसचिव के पद पर तथा कुलसचिव के बेटी दामाद को भी तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में अलग-अलग पद पर नियुक्त किया। डॉ. केके वर्मा तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कुलसचिव के पद की योग्यता अर्हता भी धारण नहीं करते हैं, फिर भी उनकी नियुक्ति की गयी। अंबिकापुर में स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग कालेज को आनन-फानन में तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से संबद्ध कराने का आदेश शासन से करवा लिया गया क्योंकि वहां कुलसचिव डॉ. केके वर्मा की बेटी दीप्ति वर्मा व दामाद

शिकायत की थी। विपक्ष हमलावर हुआ तो खुद स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दरबार में पहुंच गए। मंत्री ने जांच की मांग की है। लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक आशुतोष चावरे के हस्ताक्षर

एम.के. वर्मा
कुलपति

अंकित अरोरा भारत सरकार के च्क्वक्ष्ह 3 प्रोजैकेट में करोड़ों के घोटाले में फंस गये थे। अंबिकापुर इंजीनियरिंग कालेज का प्राचार्य डॉ. आएन खरे लगभग 30 करोड़ के गबन का दोषी पाया गया, जो डॉ. एमके वर्मा, डॉ. केके वर्मा से सांठगांठ करके आनन-फानन में अंबिकापुर के इंजीनियरिंग कालेज को तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई का सहयोगी कालेज घोषित कर दिया गया। कुलपति ने यूजीसी के सभी मानदंडों की अनदेखी कर पीजी की कक्षाएं प्रारंभ करा दी। न लेबोरेट्री, न शिक्षक, न पुस्तकालय फिर भी पीजी की कक्षाएं। कुलपति ने यूजीसी के सभी नियमों को दरकिनार करते हुए यूटीडी में सभी विषयों में पीएचडी का शोध केन्द्र भी घोषित कर दिया। कुलपति ने 2017 से अब तक अपने चहेतों को तदर्थ शिक्षक के रूप में लगातार नियुक्तिदेते रहे। भले ही उनसे हजारों गुना अधिक योग्यता के आवेदक क्यों न हों। आवेदन शुल्क रू. 3000/ रखा गया जबकि इतना भारी शुल्क किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। कुलपति वर्ष 2019 से अपने व मुख्यमंत्री के लोगों को गैर जरूरी कंसल्टेंट की फौज नियुक्तकर उन्हें चार पहिया वाहन की सुविधा देकर अब तक विश्वविद्यालय को करोड़ों रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का अपराध किया है। गैर जरूरी दर्जनों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्तकर विश्वविद्यालय को करोड़ों की क्षति पहुंचाने का अपराध किया है। नियुक्तकिये गये कर्मचारियों को राजभवन के तथा मंत्रालय के अधिकारियों के निजी काम के लिए भेजा गया। कुलपति ने विश्वविद्यालय धन से दर्जनों चार पहिया वाहनों की खरीद कर अपने चहेतों को उपकृत किया। कुछ दैनिक वेतन पर नियुक्तकंसल्टेंट को हवाई यात्रा की भी छूट दे दी। कुलपति के कुछ चहेतों को छत्तीसगढ़ से बाहर भी विश्वविद्यालय के वाहनों से निजी यात्रा की छूट दी गयी। कुलपति ने स्मार्ट क्लास रूम बनाने में करोड़ों रुपये का भष्ट्राचार किया। कोरोनाकाल में दो वर्ष तक आनलाइन परीक्षा ली गयी जिसमें उत्तर पुस्तिका की स्कैनिंग नहीं की गयी फिर भी उनकी चहेती कंपनी ग्ध्क्वग्र को व सहयोगी कंपनी को स्कैनिंग के करोड़ों का भुगतान किया गया। ग्ध्क्वग्र कंपनी को बिना टेण्डर के बैकडोर इंट्री दी गयी थी। छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले से सभी परिचित हैं। उसी तरह तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में शिक्षकों की नियमित नियुक्तिका विज्ञापन सबसे पहले उस विषय का निकाला गया जिसमें पीजी कक्षाएं नहीं हैं लेकिन कुलसचिव की बेटी दीप्ति वर्मा व अन्य रिश्तेदारों को उस विषय में नियमित नियुक्ति देना था और आनन-फानन में कम्प्यूटर साइंस में नियुक्तिदेकर तत्काल कार्यभार दिलाया गया जबकि पहले पुलिस वेरिफिकेशन किया जाना था। अन्य विषयों में भी भारी लेनदेन हो चुका है लेकिन परिणाम नहीं घोषित किया जा रहा है। कुलपति की मनमानी से कर्मचारियों को ईपीएफनहीं दिये जाने से पीएफ कमिश्नर ने 1.81 करोड़ का अर्थदण्ड दिया जिससे विश्वविद्यालय को आर्थिक नुकसान हुआ। कुलपति संवैधानिक पद पर रहते हुए स्वयं के विविद्यालय भवन व अन्य संस्थाओं के भवनों की Structural Design approval की कंसल्टेंसी फस लेते हैं जबकि वे Water Resource subject के मास्टर डिग्री धारक हैं। डॉ. एमके वर्मा कुलपति पद पर रहते हुए अन्य आर्थिक लाभ लेने की पात्रता नहीं रखते फिर भी अतिरिक्तआर्थिक लाभ लेने का अपराध किया है। कुलपति मुख्यमंत्री के करीबी होने का भरपूर लाभ लिया है। कुलपति ने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का दो बार तक ही कुलपति पद पर नियुक्ति का बंधन भी भूपेश सरकार से करवाकर अपने तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफकरवा लिया। कुलपति के सभी कारनामों की सैकड़ों शिकायतें राज्यपाल को की गयी परंतु वहां पदस्थ सचिव अमृत खलखो ने सभी शिकायतों में लीपा-पोती कर कुलपति का बचाव किया। कुलपति के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच केवल राज्यपाल द्वारा गठित समिति से कराया जाना चाहिए लेकिन राजभवन के अधिकारियों ने सचिव तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन को शिकायतों को भेजकर बचाव किया जबकि सचिव स्तर का अधिकारी प्रोटोकॉल में कुलपति से नीचे होता है जो कुलपति के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच का अधिकार नहीं रखता। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा का बंटाधार कुलपति डॉ. एमके वर्मा ने किया जिससे लगभग 10 हजार छात्रों का बाहर पलायन प्रतिवर्ष हो रहा है।

वाला फर्जी शिकायती पत्र इस समय वायरल हो गया था। इसमें एक डायरी के पन्नों का हवाला देते हुए शिक्षकों के पदस्थापना में 366 करोड़ के लेनदेन की बात कही गई थी। मामला सामने आने के बाद उप संचालक आशुतोष चावरे ने राखी

पत्रकारों से खौफ खाते हैं भूपेश बघेल तभी तो गैर कानूनी कार्यवाहियां करवाते हैं

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के पत्रकारों के बीच अब 36 का आंकड़ा बन गया है। मुख्यमंत्री को पत्रकारों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। तब ही तो पिछले साढ़े साल में दर्जनों पत्रकारों को फर्जी मामलों में फंसाकर जेल की सराखों के पीछे पहुंचा दिया है। ऐसा माना जाता है कि सरकार ने कई पत्रकारों की तो हत्या तक करवा दी है। जिसका प्रमुख कारण है कि प्रदेश में सरकार की सच्चाई प्रकाशित करना या दिखाना बिल्कुल बैन है। अगर कोई पत्रकार ऐसा करता है तो वह मुख्यमंत्री का दुश्मन नंबर वन बन जाता है। जिसके कुछ सालों में ऐसा ही हो रहा है। कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद से 200 से अधिक पत्रकारों को समाचार छापने दिखाने के चलते उत्पन्न हुए विवादों के बाद जेल में डाला गया। जबकि 2018 दिसम्बर से नई कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही महज 12 महीनों में 22 पत्रकारो पर फर्जी पुलिस प्रकरण बनाये गए। वहीं 06 पत्रकारों को जेल भी भेजा गया व तीन पत्रकारों की थानों में निर्मम पिटाई हुई। इसी तरह पांच दूसरे पत्रकारों पर माफियाओं, आपराधिक तत्वों व राजनीतिज्ञों ने जानलेवा हमले किये। जबकि राज्य के निर्माण के बाद से अब तक करीब 06 पत्रकारों की निर्मम हत्या हो चुकी है। दुःखद तो यह रहा कि किसी भी हत्याकांड का खुलासा नही हुआ, न ही कोई जिम्मेदार हत्यारा जेल भेजा गया। अब तक मिले अपुष्ट आंकड़ों में कार्य के दबाव और पुलिस प्रशासनिक

थाने में अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका कहना था अज्ञात व्यक्तियों ने उनके नाम, पदनाम और सील का गलत उपयोग कर फर्जी शिकायत पत्र तैयार किया है। इसे जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न संस्थानों को भेजा जा रहा है। इस कथित

चार अन्य पत्रकारों ने लगातार हो रही बेजा पुलिस प्रताड़नाओं से तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिनमें से दो पत्रकार तो बेहद गंभीर हालात से बचाए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों पूरी तरह हिटलर के स्वरूप में आ गए हैं। अभिव्यक्तिकी आजादी पर तमाम बंदिशें लगाकर लगातार मीडिया पर प्रहार कर रहे हैं। सच्चाई प्रकाशित करने वाले या प्रसारित करने वाले पत्रकारों को कानूनी रूप से परेशान किया जा रहा है। झूठेकेस दायर कर पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह रवैया बिल्कुल ठीक नहीं कि पत्रकारों के उपर इस तरह से गलत आरोप लगाकर उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। जरा सोचिए जब यह निर्दयी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह से पेश आ रही है तो जनता की क्या मजाल कि वो इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए। लोकतंत्र में राज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के बाद मीडिया ही बचा है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं चला सकता। लेकिन भूपेश बघेल मीडिया को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पत्रकार उनके काली करतूतों

एवं राजनीतिक माफ़ियाओं के भयादोहन की वजह से राज्य में 20 पत्रकारों ने जान देने की कोशिश की। जबकि 8 ने आत्महत्या कर ली। इनमें से दो युवा पत्रकारों ने तो एक ही दिन में 17 जून, 2018 को क्रमशः अम्बिकापुर और जगदलपुर में आत्महत्या कर ली थी। वर्ष 2018 रायगढ़ जिले के युवा पत्रकार सौरभ अग्रवाल सहित राज्य में

को बिल्कुल न दिखाए और न ही छापे। बल्कि उनकी साफ और स्वच्छ छवि रोज अखबारों और चैनलों में प्रसारित करें। लेकिन यह कौन सा तरीका है जनाब? आप पत्रकारों को अपने हिसाब से चलाकर क्या साबित करना चाहते है? आज यदि आप एक सुनील

शिकायती पत्र में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उनकी पत्नी और स्पष्ट पर सीधे आरोप लगाए गए थे। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पत सिंह की अगुआई में कांग्रेस विधायक भी स्कूल शिक्षा विभाग में

नामदेव को गलत आरोप में अंदर करेंगे तो कल को न जाने कितने सुनील नामदेव पत्रकार बनकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। किस-किस को रोक सकेंगे आप? कितनों को जेल में रखेंगे आप? यह पहला वाक्या नहीं है जब बघेल सरकार ने पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। इससे पहले भी कमल शुक्ला सहित न जाने कितने पत्रकार बघेल की इस निर्दयिता का शिकार हुए हैं। यहां तक कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अंदर किए गए भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाने पर मेरे खिलाफ भी केस दायर किया है। बघेल की इस भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार में पत्रकारों की आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है। मीडिया की आजादी को दबाकर तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। जिस सराकर को भू-माफिआओं से प्रदेश को बचाना चाहिए वो सरकार इन्हीं माफिआओं की हितैषी बनी हुई हैं और मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है। लगातार पत्रकारों पर होते एक के बाद एक हमलों के बाद पत्रकारों में दहशत का माहौल है। अगर छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के विरुद्ध इसी तरह षडयंत्रपूर्वक अपराध दर्ज होते रहे तो कोई पत्रकार पत्रकारिता भी कर नहीं पायेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख नहीं पायेगा। पत्रकारों पर हुई कार्यवाहियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ के पत्रकार कमल शुक्ला के मामले को लेकर भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा किया था और हिदायत दी थी कि भविष्य में पत्रकारों के साथ अनैतिक कार्यवाहियां न की जाये। निश्चित तौर पर यह भी सच है कि यदि पत्रकारों को लेकर भूपेश बघेल का यही रवैया रहा तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। बृहस्पत सिंह ने तो उस समय साफ शब्दों में कहा था, मंत्री के यहां लेनदेन की वजह से उनके विधायकों-कार्यकर्ताओं का ही काम नहीं हो रहा है। राखी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली थी। टीआई

भूपेश सरकार में 02 लाख करोड़ के महाघोटाले !

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल शासन में विभिन्न विभागों में 01 लाख करोड़ के घोटाले हुए हैं। यह ऐसे घोटाले हैं, जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं। जिनमें प्रमुख हैं- शराब घोटाला, वन विभाग घोटाला, गोठान घोटाला, डीएमएफ घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला प्रमुख हैं। यह ऐसे घोटाले हैं जिनसे छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। भ्रष्टाचार और घोटालों में फंसी भूपेश बघेल सरकार पर इन घोटालों को लेकर कानून का शिकंजा भी कसा जाने लगा है। ईडी और आयकर विभाग सरकार पर शिकंजा कसे हुए हैं। यही कारण है कि प्रतिदिन प्रदेश में जॉच एजेंसियों की कार्यवाहियां हो रही हैं और छोटे-बड़े मगरमच्छ फंसते नज़र आ रहे हैं। इन घोटालों की वजह से प्रदेश में विकास ठप हो गया है और चारों और लूट खसोट की मारामारी मची हुई है। सरकार के नुमाइंदे इन भ्रष्टाचार से बच निकलने के तरीके ढूढ़ रहे हैं और इधर-उधर छुपने को मजबूर हैं। जांच एजेंसियां निरंतर इन घोटालों की जांच-पड़ताल कर गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले जांच एजेंसियों द्वारा हो रही कार्यवाहियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोखला गए हैं और केन्द्र सरकार पर भेदभावपूर्ण करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाले नुकसान की चिंता भी सताते लगी है।

कृष्णचंद्र सिदार ने बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 419 तथा धारा 469 के तहत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में डायरी और सीडी का इस्तेमाल नया नहीं है। 2015

रोज़गार के वादे से मुकरी भूपेश सरकार

2018 में सरकार में आने से पहले भूपेश बघेल ने अपने प्रचार-प्रसार में कहा था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में 10 लाख युवाओं को ढ़ाई हजार रुपये प्रति माह दिया जायेगा। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि साढ़े चार साल बाद भी किसी को बेरोज़गारी भत्ता नही दिया है। प्रदेश में रोज़गार की स्थिति बहुत दयनीय है। प्रदेश का युवा रोज़गार के लिए दर-दर की ठोंकरे खाने को मजबूर हैं। बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि चतुर्थ श्रेणी के 95 पदों के विरूद्ध 2.25 लाख युवा आवेदन करते हैं। नौकरियों में आउट सोर्सिंग बंद करने का वादा कर सत्ता में आयी भूपेश सरकार में इस समय 09 लाख से अधिक नौकरियां आउटसोर्सिंग पर हैं। बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि 13 हजार से अधिक युवाओं ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर ली है। वहीं कुल 36 हजार लोग विभिन्न कारणों से आत्महत्या कर चुके हैं। रोज़गार को लेकर सरकार के पास आज तक कोई रोडमैप नही है। जो नौकरियों की वैंकेंसी निकल भी रही हैं उनमें जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पीएससी और व्यापमं से होने वाली नियुक्तिमें 75 लाख तक बोली लगाई जा रही है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। चुनावी साल में सरकार को जबाव जरूर मिलेगा। प्रदेश का युवा मौके की तलाश में बैठा है और उसे यह मौका आने वाले दिनों में मिलने वाला है।

अपने वादों से मुकरी भूपेश सरकार

प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने कांग्रेस ने सत्ता के लिए जनता से कोई 316 वादे किये थे। जिनमें से कई वादे ऐसे थे जो सीधे जनता के हितों से जुड़े थे। महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह देने, बेरोजगारी भत्ता देना, किसानों का कर्जामाफ करना प्रमुख थे, लेकिन इन वादों का क्या हुआ बताने की जरूरत नही है। आज भले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहने से न चूक रहे हो कि सरकार ने कई वादों को पूरा किया है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई वादा पूरा नही हुआ है और प्रदेश की जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही है।

छत्तीसगढ़ पर राजस्व से 106 प्रतिशत अधिक कर्ज : सरकार ने पिछले तीन साल में 51 हजार 335 करोड़ कर्ज लिया, पिछली सरकार ने 15 साल में लिया था सिर्फ 41 हजार करोड़

किसान विरोधी साबित हुई भूपेश सरकार

छत्तीसगढ़ खेती प्रधान प्रदेश है और इस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन पिछले साढ़े चार साल में प्रदेश में किसानों की हालात दयनीय हो गई है। किसान कर्ज के बोझ तले दबाता जा रहा है। आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के किसानों का कर्जमाफ करने, सिंचाई क्षमता दुगुनी करने और धान का दो साल का बोनस देने का वादा अब तक अधूरा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए ही सभी किसानों का पंजीयन नही हुआ है। आज प्रदेश में लगभग 29 लाख किसान ऐसे हैं जिनका पंजीयन नही हुआ है। और जिन्हें समर्थन मूल्य का लाभ नही मिल रहा है। यही नहीं किसानों पर प्रशासनिक अत्याचार भी चरम पर है। किसानों की सुनवाई नही हो रही है। किसान अपने हकों की लड़ाई में दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। उन्हें भूपेश सरकार से लड़ाई करनी पड़ रही है। किसान सम्मान निधि के पंजीयन भी पूरे नही हुए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नही है। किसानों का गुस्सा चरम

में नागरिक आपूर्ति निगम के अफ़्सरों-कर्मचारियों के ठिकानों पर पड़े एसीबी-ईओडब्ल्यू छापों के बाद भी एक डायरी की मौजूदगी का पता चला था। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल बार-बार पूछते थे कि

पर है। अपनी दयनीय स्थिति को लेकर वह कई सरकार से गुहार भी लगा चुके हैं लेकिन सत्ता के मद में चूर भूपेश बघेल अपने वादों और किसानों की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं हैं। ऐसी परेशानियों से जूझते हुए प्रदेश का किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है।

05 हजार करोड़ का पीडीएस घोटाला

गरीब परिवारों के लिए पीडीएस के तहत मिलने वाला अनाज वरदान साबित होता है। लेकिन प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार इस योजना में भारी भ्रष्टाचार कर गरीबों के पेट पर लात मारने से नही चूक रही है। भूपेश बघेल ने इसके भी 600 करोड़ गबन कर पीडीएस घोटाला कर दिया है। कोरोनाकाल में केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए गरीबों के अनाज में भी 05 हजार करोड़ का घोटाला कर दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में घटिया चावल का वितरण किया गया। वही दोषियों के खिलाफ भी आज तक कोई कार्यवाही नही की गई है।

अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़

शांति का टापू कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराध का गढ़ बन गया है। हत्या, बलात्कार के मामले साल-दर-साल बढ़ते जा रहे है। प्रदेश में दुष्कर्म के 5,909 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन औसतन 02 से 03 बलात्कार और हत्या के मामले दर्ज हो रहे हैं। वही

रेप की घटनाओं पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान बोले सरकार कार्रवाई नहीं करती तो दुख होता है

उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर बयान देते हुए कहा कि दुष्कर्म की घटनाएं दूषित मानसिकता को दिखाती हैं। मगर यदि इस मामले में सरकार कार्रवाई नहीं करती तो दुख होता है। मगर जैसे ही इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसे पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अलग-अलग घटनाओं को लेकर टीएस सिंह देव ने कहा कि घटना कब कौन कहां करेगा, इसे लेकर हर बार स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती।

डायरी में दर्ज सीएम मैडम कौन हैं। डायरी के आधार पर कांग्रेस तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को घेरने में काफी हद तक कामयाब रही थी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी-टू-ईट खाद्यान्न वितरण में हुए

पीड़ितों को न्याय तक नही मिल पा रहा है। कई मामलों में तो कांग्रेस के नेता शामिल शामिल हैं। ऐसे मामलों में पीड़ितों को डराया, धमकाया जा रहा है, मजबूरन पीड़ित व्यक्ति आत्महत्या करने का मजबूर हैं। लोगों की एफआईआर तक नही हो रही है। समूचे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। न्याय के लिए पीड़ित दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नही है। जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान भरोसे चल रहा है।

भूपेश के राज में फला-फूला तबादला उद्योग

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के राज में तबादला उद्योग खूब फल-फूल रहा है। लाखों के लेन-देन पर खूब तबादले हो रहे हैं। इसे एक उद्योग के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की शह पर चल रहे उद्योग में करोड़ों के वारे-न्यारे हो रहे हैं। इस सिस्टम में मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासनिक स्तर तक का अमला शामिल है। यहां तक कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इस गोरखधंधे की शिकायतें की हैं। लेकिन यह उद्योग खूब फल-फूल रहा है। एक छोटे से कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी तक के तबादले में लाखों रूपये की रिश्वत ली जा रही है। इस पूरे सिंडीकेंट में सरकार खुद शामिल है। सूत्रों का कहना है कि सरकार से ही खुली छूट मिली है कि तबादलों में गडबडियां की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अपनों को कानूनी शिकंजे से बचाने के चक्कर में प्रदेश का बेड़ा गर्क करने पर उतारूहैं। अपराधों पर अंकुश न होने के कारण राज्य में अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को न्याय की आस गवाही दे रही है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे दबा दिया जाता है।

भूपेश सरकार ने नही बनने दिए 16 लाख पक्के मकान

प्रदेश की भूपेश सरकार ने गरीबों के आवास भी छीन लिए हैं। आलम है कि प्रदेश में 16 लाख से अधिक गरीबों को पक्के मकान नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले इन मकानों इस लिए नहीं बनने दिया क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगा कि इस योजना में प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं। अपनी सियासत के चलते 16 लाख गरीबों को इसका लाभ नही मिला। इसी के चलते प्रदेश के एक मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन भूपेश बघेल अपनी हेकड़ी चलाते रहे।

तेंदूपत्ता संग्रहणकर्ता बोनस से वंचित

प्रदेश में वनोपज से अपनी आजीविका अर्जित करने वालों की संख्या काफ है। लेकिन प्रदेश की भूपेश सरकार ने इन वनोपजकर्ताओं के साथ भी धोखा किया है। तेंदूपत्ता में भी करोड़ों का घोटाला कर आदिवासियों को लगातार साढ़े चार वर्षो से बोनस से वंचित कर रखा है। इससे तेंदूपत्ता संग्रहण में भारी कमी आई है। 05 साल में लगभग 01 हजार करोड़ की खरीदी ही कम कर दी है। 05 साल में एक बार भी लक्ष्य के बराबर खरीदी नही की गई है।

भ्रष्टाचार

पूर्व मुख्यनमंत्री रमन सिंह ने रमन सिंह ने महासमुंद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अधिकारी के द्वारा खोले गए मोर्चे पर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी

भूपेश बघेल सरकार के प्रमुख घोटाले

- महादेव ऐप आनलाईन सट्टा घोटाला
- कोल परिवहन घोटाला
- पीएससी घोटाला
- शराब घोटाला
- गोठान घोटाला
- डीएमएफटी घोटाला
- तेंदूपत्ता खरीदी में घोटाला
- शिक्षक भर्ती और तबादला घोटाला
- साड़ी खरीदी घोटाला
- पीडीएस घोटाला
- राजीव युवा मितान क्लब घोटाला
- रोजगार घोटाला
- संविदा कर्मचारी घोटाला
- बेरोजगारी भत्ता घोटाला
- फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाला
- अवैध ड्रग्स तस्करी घोटाला
- वन अधिकार पट्टा घोटाला
- जमीन आवंटन घोटाला
- आंगनवाड़ी केन्द्र भवन घोटाला
- सहायक शिक्षक चयन घोटाला
- दवा खरीदी घोटाला
- अनुकंपा नियुक्तिघोटाला
- वृद्धा पेंशन घोटाला
- पुलिस कल्याण कोष घोटाला
- वन्य प्राणी तस्करी घोटाला
- सड़क/पुल निर्माण घोटाला
- बिजली बिल माफघोटाला
- संपत्ति कर घोटाला
- नल-जल योजना घोटाला
- पूंजी निवेश घोटाला
- किसान कर्जमाफी घोटाला
- किसान सम्मान निधि घोटाला
- पीएम आवास योजना घोटाला
- शिक्षक भर्ती घोटाला
- नौनिहाल निवाला घोटाला
- बारदाना खरीदी घोटाला

में इस कदर डूबी हुई है कि अब उसके अधिकारी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और पीएल पुनिया क्या अब सरकार के भ्रष्टाचार खिलाफ न्याय दिलाएंगे? आमरण अनशन पर बैठे महिला बाल

दबाव में भूपेश सरकार ने पाकिस्तानी संगठन को दी जा रही 25 एकड़ जमीन की अनुमति रद्द की

छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर में दावते इस्लामी नाम के संगठन को 25 एकड़ (10 हैक्टेयर) जगह आवंटित कर रही थी। जिसे काफी दबाव के बाद रद्द कर दिया गया है। दावते इस्लामी एक पाकिस्तानी संगठन है, जिसकी शाखाएं हमारे देश में खोलने का काम यह कांग्रेसी कर रहे थे। दावते इस्लामी के ऊपर मतांतरण और आतंकवाद फैलाने व चंदे के जरिए फंडिंग के आरोप लग चुके हैं और इस संगठन से जुड़े आतंकवादियों, जासूसों को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा था। छत्तीसगढ़ के दावते इस्लामी संगठन ने अपने फेसबुक पेज पर पाकिस्तानी संस्थापक इलियास कादरी की फोटो भी पोस्ट की है। पाकिस्तानी संगठन और छत्तीसगढ़ दावते इस्लामी संगठन का चिन्ह भी एक ही है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे पाकिस्तानी संगठन को 10 लाख 76 हजार स्क्वायर फीट जगह सामुदायिक भवन के लिए दान कर रही थी। क्या इतिहास में किसी भी समाज को सामुदायिक भवन बनाने के लिए इतनी बड़ी जगह आवंटित की गई है? क्या सामुदायिक भवन बनाने के लिए 25 एकड़ जगह लगती है? ऐसे पाकिस्तानी संगठन को इतनी बड़ी जगह आकाओं के आदेश पर आवंटित करने के पीछे भूपेश सरकार की क्या मंशा थी?

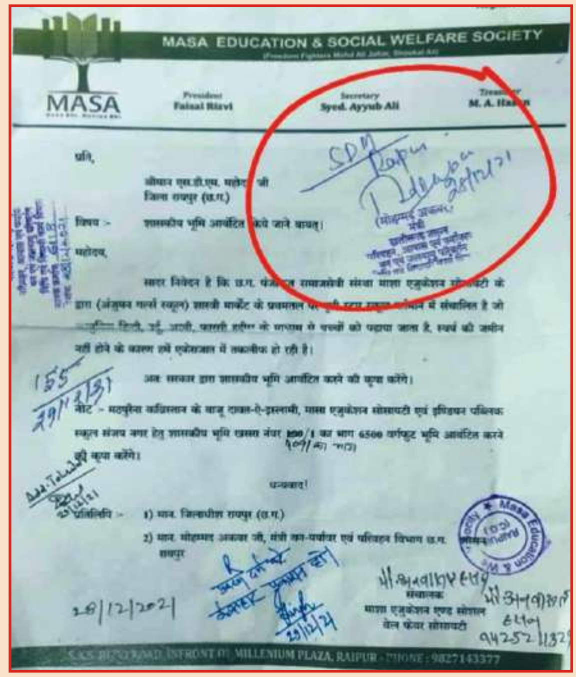
MASA EDUCATION & SOCIAL WELFARE SOCIETY

MASA

President Faisal Rizvi

Secretary Syed. Ayyub Ali

प्रति,

विषय :- शासकीय भूमि आवंटित किये जाने बाबत्।

महोदय,

अतः सरकार द्वारा शासकीय भूमि आवंटित करने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद!

प्रतिलिपि :- 1) मान. जिलाधीश रायपुर (छ.ग.)

28/12/2021

MILLENIUM PLAZA, RAIPUR - PHONE : 9827143377

मो. अकबर का यह वही पत्र है जिसमें जमीन आवंटित करने की मांग की गई थी।

विकास अधिकारी को न्याय दिलाएंगे? पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर महिला बाल विकास विभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी-टू-ईट खाद्यान्न वितरण में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में जांच कराने की मांग की है। साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की।

भूपेश बघेल ओर विनोद वर्मा ने रची थी सीडी कांड की साजिश

2017 में छत्तीसगढ़ में डॉ रमन सिंह की सरकार थी और राजेश मूणत सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। उस समय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे।

छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके रिश्तेदार पत्रकार विनोद वर्मा ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना मंत्री राजेश मूणत की अश्लील सीडी बनाने की थी। विनोद वर्मा और भूपेश बघेल ने योजना पर काम करते हुए कैलाश मुरारका से संपर्क साधा। उन्होंने राजेश मूणत की सीडी बनाने के लिए कैलाश मुरारका को 75 लाख रूपये दिए। कैलाश मुरारका (भाजपा नेता) ने रिन्कू खनूजा से संपर्क किया। रिन्कू खनूजा ने विजय पांड्या को एपरोच किया। विजय पांड्या मुंबई में फिल्म निर्माताओं के करीब थे। विजय पांड्या ने राजेश मूणत की अश्लील सीडी बनाने का कान्ट्रेक्ट मानस साहू को दिया। कुछ दिनों बाद ही राजेश मूणत की फर्जी

आखिर भूपेश सरकार को दावत-ए-इस्लामी संगठन को 25 एकड़ जमीन देने की क्या जरूरत पड़ी? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में भी कई ऐसे संगठन हैं, जो देश के विकास में, समाज के कल्याण में अपना योगदान देना चाहते हैं। क्या ऐसे समाजसेवी संगठनों को जमीन क्यों नही देना चाहिए। पाकिस्तानी संगठनों को जमीन आवंटित कर क्या भूपेश सरकार प्रदेश में आतंकवाद को पनपने का अवसर देना चाहते थे। ऐसे गंभीर मामले पर केन्द्र सरकार या जाँच एजेंसियों को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा जरूर ही खतरे में होती। शुक्र हैं तमाम दबावों के बाद भूपेश बघेल को झुकना पड़ा। नहीं तो सरकार ने तो जमीन आवंटित करने का पूरा फैसला कर लिया था।

सीडी बन कर तैयार हो गई। मुम्बई से यह सीडी विनोद वर्मा और भूपेश बघेल के पास आ गई। भूपेश बघेल ने विजय भाटिया को फंडिंग की। वह भी सीडी काण्ड के आरोपी हैं और भूपेश बघेल के परम मित्र हैं। सीडी इनके हाथों में आई तो कैलाश मुरारका, भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, विजय भाटिया यह चारों दिल्ली में करोल बाग एरिया के होटल में एकत्रित हुए। उस होटल में जाने के बाद इन्होंने इस सीडी की 500-500 कापियां दिल्ली की लोकल दुकान से कापी करवाई। उसके बाद विनोद वर्मा ने बीजेपी नेता प्रकाश बजाज को फोन लगाकर कहा कि तुम्हारे आका राजेश मूणत की अश्लील सीडी हमारे पास है और पैसों की मांग की। प्रकाश बजाज ने राजेश मूणत को सूचना दी। राजेश मूणत को जब इस सीडी कांड का पता चला तो वह समझ गए कि वह साजिश के शिकार हुए हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि यह पूरी तरह से फर्जी सीडी है। राजेश मूणत ने सभी साजिशकर्ताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ में नामजद एफआईआर दर्ज करवाई। छत्तीसगढ़ पुलिस सक्रिय हो गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने विनोद वर्मा को गाजियाबाद स्थित निवास से पकड़ लिया। गाजियाबाद का फ्लैट, विनोद वर्मा के नाम पर नही है। जब भूपेश बघेल अजीत जोगी के मंत्रीमण्डल में पीएचई मंत्री थे उस समय पाईप घोटला हुआ था जिसमें भूपेश बघेल का नाम आ रहा था, उसी पैसे से भूपेश बघेल ने यह फ्लेट खरीदा था, जिसकी जांच लोकायुक्त में चल रही है। विनोद वर्मा गिरफ्तार हुए और इनको रायपुर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 60 दिन के अंदर विनोद वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नही की। जिसका लाभ विनोद वर्मा को मिला। विनोद वर्मा को गुणदोष के आधार पर बेल नही मिली, पुलिस के चालान न भेजने के कारण विनोद वर्मा को छोड़ दिया गया था।

मामला फर्जी अश्लील सीडी कांड का

बात प्रारंभ होती है विजय पांड्या और रिंकू खनूजा की दोस्ती से। विजय पांड्या जमीन ब्रोकर का काम करते थे। वही रिंकू खनूजा करनवीर इंफ्रा रायपुर में ब्रोकरेज का काम करते थे, जिनका मालिक रसजीत सिंह (लवली) खनूजा थे। रसजीत सिंह खनूजा के पिता एवं विजय पंड्या के पिता आपस में मित्र थे और अगस्त 2017 को रिंकू और विजय पांड्या के बीच दोस्ती प्रारंभ हुई। इसमें तीसरे किरदार कैलाश

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए थे दावते-ए-इस्लामी संगठन को जमींन देने के मामले पर सवाल

भूपेश सरकार पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि भूपेश सरकार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाकिस्तानी संस्था को छत्तीसगढ़ में पनाह दे रही है। दावत-ए-इस्लामी संस्था को रायपुर के बोरियाखुर्द में सामुदायिक भवन बनाने सरकार अनुमति दे रही थी उन्होंने दावा किया कि दावत ए इस्लामी के विदेशी फंडिंग, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने और धर्मांतरण करने के मामले सामने आ चुके हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आवेदन 10 सालों से पेंडिंग पड़े हैं, मगर 2020 में आवेदन करने वाली इस संस्था को अब फौरन जमीन देने की तैयारी की थी। इसका इश्तिहार छपवाया गया था। बृजमोहन अग्रवाल ने मांग करते हुए सरकार से कहा कि सरकार यह बताए कि इस संस्था का हेड क्वार्टर कहां है और इस संस्था को इतने फौरी तौर पर जमीन देने की क्या जरूरत थी। दावत-ए-इस्लामी पाकिस्तान में स्थित एक सुन्नी इस्लामी संगठन है। दुनिया भर में इसके कई इस्लामी शिक्षण संस्थान हैं। ये इस्लाम की तालीम देने और सामाजिक कार्य करने का दावा करते हैं। इसकी स्थापना 1981 में कराची, पाकिस्तान में मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तर ने की थी। दावत-ए-इस्लामी दुनिया के 194 से अधिक देशों में सक्रिय है। इसके नाम का मतलब इस्लाम की ओर आमंत्रण था।

मुरारका थे। यह पूरा वीडियो 10 से 11 मिनट का था जिसमें 1.31 मिनट में वीडियों में आदमी का चेहरा एनिमेशन से राजेश मूणत का चेहरा लगा दिया गया। रिंकू और विजय को इस काम के लिये कैलाश मूरारका ने 75.00 लाख रुपये दिये थे। इसके बाद यह सीडी लेकर कैलाश मुरारका दिल्ली में विनोद वर्मा के गाजियाबाद स्थित निवास पर मुलाकात की और वीडियों दिखाया। इसी बीच 24.10.2017 को भूपेश बघेल और विजय भाटिया दिल्ली के होटल में रूके हुये थे जहां कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा ने उनसे मुलाकात कर कथित फर्जी वीडियो दिखाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर इसकी 500 कॉपी बनाई गयी तथा इसी वीडियो को लेकर भूपेश बघेल ने रायपुर में 27.10.2017 को पत्रकारवार्ता की। इस पत्रकारवार्ता के बीच वीडियों को सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया। अब मुख्यमंत्री और उनके राजनैतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने आपराधिक साजिश रच कर किसी व्यक्ति की चरित्र हत्या करने की कोशिश की। यह इतना घिनौना कार्य है जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती। ऐसी चरित्र हत्या है उस व्यक्ति की समाज, परिवार, बेटे-बहू, बेटी-दामाद, माँ-बाप, पत्नी सब की नजरों में अपने प्रति घिन्न एवं नफरत पाता है। भले ही झूठी साजिश करके किसी को फंसाया गया हो पर यह काम उस व्यक्ति की हत्या से भी ज्यादा बुरा है।

Declare hamas war criminals

Acharya Vishnu Hari

Suppression of Hamas is necessary. Hamas should be declared war criminals. A violent terrorist organization like Hamas should not be allowed to become a tragedy for the world. The world's regulatory codes should be activated to teach the lessons of peace to Hamas. The mentality of hiding among the Muslim population by committing violence should also be attacked. How can the Muslim population that protects terrorists and gives shelter to terrorists in their homes avoid becoming victims of reprisals? The terrorist policy of seeing Palestine only as a country of Muslim population will have to be abandoned. Denying the existence of Israel is not a solution to the Palestine problem.

Who is responsible for Hamas's attacks on Israel, its violence and inhuman acts, as well as its terrorist-religious activities? Certainly, Hamas is guilty of viewing Palestine as religious and spreading terror through violence and terrorism to achieve religious goals. But along with Hamas, many other parties are also guilty. America is also guilty, Europe is also guilty, Muslim countries are also guilty, Islamic terrorists around the world who have mushroomed in the name of Islam are also guilty, media organizations like Al Jazeera are also guilty which are not only Hamas but terrorists all over the world. He is a benefactor of organizations, a protector and creates public opinion in favor of Muslim terrorists.

Now you will say here how America and Europe are guilty? America and Europe are guilty because they suppress Israel's right of retaliation and self-defense, weaken Israel's identity, teach Israel the lesson of restraint, call the act of retaliation anti-humanity even after barbaric and inhuman violence. Let's agree. The United Nations censures Israel through its various codes.

Due to international compulsion and pressure, Israel fails to teach the lesson of restraint and peace to Muslim terrorists and organizations like Hamas. As far as Muslim countries are concerned, Muslim countries not only provide weapons to terrorist organizations like Hamas but also finance them. Not only Israel suffers the consequences of the benefits and facilities given to terrorist organizations like Hamas in the name of human rights, but democratic countries like India also suffer the consequences. India is also facing the challenge of violence of Muslim terrorist organizations and their religious thinking.

The current violence of Hamas is disgusting, poisonous, dangerous and promotes Muslim sectarianism. The traditions and codes of war have no meaning for terrorist organizations. War has a rich tradition and theory. There are self-accepted codes of war as well as international codes. The codes of war forbid targeting civilians and teach us to refrain from attacking crowds and public places. During war, attacks take place only at strategic places. Those who break the code of war are called war criminals and the punishment for war crimes is also decided at the international level.

Hamas has violated the war codes in this war. He carried out very few attacks on Israel's strategic locations. He has carried out attacks against civilian targets and among densely populated areas. Not only have they attacked but many of their activities are barbaric and inhuman. Looking at the attack by Hamas, it seems that it is not fighting the Israeli government and the Israeli army, it is not targeting the Israeli army but it is targeting the people of Israel. Civilians were picked up from the streets, killed, and many were even taken hostage. Not only this, but Hamas has also taken women hostage, video footage has surfaced openly insulting the honor of women. In one day, Hamas has fired more than five thousand rockets at Israel and hundreds of its terrorists have entered the Israeli border and carried out violence. Hundreds more Israeli citizens have lost their lives in the Hamas attack.

Does Israel have the right to retaliate against this horrific attack by Hamas or not? Does Israel have the right to retaliate or not? How long will Israel's right to retaliate be put on hold? Israel certainly has the right to retaliate. Israel has the right to teach the lesson of peace to Hamas, which is waging war and carrying out gruesome attacks. Not only Hamas, but it is the only Muslim terrorist organization in the world. The policy and strategy is to commit violence and then teach the lesson of human rights. By committing terrorist violence, Muslim terrorists seek protection and hide among the Muslim population that protects them. Then when reprisals take place, people of religious Muslim terrorist organizations start raising hue and cry about human rights violations. Propaganda is spread that the grave of human rights is being dug. Innocent people are being targeted in retaliation, innocent people's lives are being taken. Hamas does not fight one-on-one battles. Not only Hamas but any other Muslim terrorist organization in the world does not fight face to face, instead they take shelter in populated areas after carrying out incidents of violence and terrorism. The protectors and lobbyists of Muslim terrorists around the world are a variety of people, wearing different masks. Some NGOs, some artists, some politicians, some human rights defenders etc. have their faces.

Muslim terrorism like Hamas is nurtured by tying Israel's hands. By the way, countries impose sanctions and restrictions, which themselves are stinking examples of retaliation. Who have shed a lot of human rights blood in the name of retribution. Take America for example. America's Children's Ted Center was attacked. Thousands of people were killed. America turned Afghanistan into a grave in retaliation. Lakhs of people were killed in the name of destruction of Taliban and Akalida. To suppress Muslim terrorism, China runs a military campaign to destroy the Muslim population. China is massacring Uyghur Muslims. Pakistan conducts military operations against Baloch demanding independence. But when Israel resorts to retaliatory violence, countries like America, China and Europe become adepts and start teaching Israel the lesson of peace. Israel has so much strategic power that it can defeat not only the Palestinian terrorist organizations but the entire Muslim world on its own. He has also demonstrated defeating the entire Muslim world.

Muslim unionism regarding Palestine is violent, terroristic and anti-humanity. The Muslim countries and Muslim population supporting Palestine do not accept the existence of Israel. Palestine is not a country of only Muslim population. Palestine has a Muslim population as well as Christians and Jews. But not only Hamas but all Muslim terrorist organizations do not accept that Christian and Jewish population should also exist in Palestine. Muslim countries have already experienced a great war. Muslim countries were defeated by Israel. At present, the rulers of many Muslim countries also declare to wipe out Israel from the world map. The former regime of Malaysia had made a similar announcement on which Muslim countries were very happy.

Palestine has no economy of its own. Palestine's hearth burns with the help of America and Europe. If America and Europe do not provide economic assistance, the population of Palestine will die of hunger. Muslim countries finance terrorist organizations like Hamas. Hamas buys weapons only with the help it receives from Muslim countries. Hamas gets a lot of support from Iran and Türkiye. A Turkish ship was attacked and sunk by Israel. That Turkish ship was carrying weapons for Hamas. Then rumors were spread that the ship was carrying only relief material which was being sent for the poor citizens. There was a huge reaction against the burial of the Turkish ship at sea and Europe and America also laid siege to Israel. But Israel was firm on its power and right to self-defense.

Everyone would like a solution to the Palestine problem. But we have to stop seeing Palestine only as a country of Muslim population, we have to give up the violent mentality of denying the existence of Israel. All Muslim terrorist organizations including Hamas should be declared war criminals, their supporting countries should also be declared terrorist states.